द्वितीय माला, खण्ड २१—अंक ३३

२४ सितम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

(खण्ड २१ म अंक ३१ से अंक ३५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

216A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २१—अंक ३१ से ३५—२२ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ से १४३१, १४३३, १४३६, १४४० और १४४२ से १४५० ... ३६७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३७ से १४३९, १४४१, १४५१ से १४६१ और १४६३ से १४७६ ... ३६९५–३७०७

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ से २४८४ और २४८६ से २४९९ ... ३७०७–३०

जानकारी का प्रश्न ... ३७३१, ३७३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ३७३१

राज्य-सभा से सन्देश ... ३७३२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ३७३२

याचिका समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३७३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में ... ३७३३

सभापति तालिका . . ३७३३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ३७३४

केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में . . . ३७३४–३८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव ... ३७३८–९१

दैनिक संक्षेपिका ३७९२–९८

अंक ३२—मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ से १४८१, १४८३, १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९६, १४९८, १५०१ और १५०३ . . . ३७९९–३८२४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८४, १४८६, १४८६, १४६७, १४६६, १५००, १५०२, १५०४, से १५१७ और १५१६ से १५२१ . . ३८२४–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०० से २५६६ . . ३८३४–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८७८–७६

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . ३८७६–८१

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . ३८८१–६०

तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण . ३८६०–६१

वर्ष १९५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . . ३८६१–३९२०

कोयले के निर्यात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . ३९२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ३९२६–३२

अंक ३३—बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५२२ से १५२६, १५३१ से १५३४, १५३६, १५३८ और १५४१ से १५४५ . . . ३९३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३०, १५३५, १५३७, १५३६, १५४०, १५४६ से १५५७, १५५७-क, १५५८, १५५६, १५५६-क, १५५६-ख, १५६० से १५६३ और १५६३-क . . ३९५६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ से २७११, २७१३, २७१५ से २७३५, २७३७ से २७४१, २७४१-क और २७४१-ख . . ३९७५–४०३६

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३७–३८

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३८–३९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४०३९–४०

सदस्य की गिरफ्तारी . . . ४०४०

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश ४०४१

राज्य-सभा से सन्देश . . ४०४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई . . ४०४१–४३

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण ४०४२

सभा का कार्य ४०४२–४३

वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग ४०४३—४५

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—— ४०४५—७२

खण्ड २, ३, ४ और १ तथा अनुसूची ४०६६—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०७०—७२

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ४०७२—७७

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४०७७—८१

दैनिक संक्षेपिका ४०८२—९१

अंक ३४—गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १५८७, १५८९, १५८८ से १५९०, १५९२ से १५९६, १५९८ और १६०० ४०९३—४११४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६ ४११५—१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९३, १५९९, १६०१ से १६०६, १६०६-क, १६०७ से १६१७, १६१७-क, १६१८ से १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६-क, १६३७, १६३७-क और १६३८ से १६४३ ४११८—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४२ से २३५०, २३५२ से २८५४, २८५६ से २८६९ और २८६९-क ४१३९—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१९०–९१

सदस्य की गिरफ्तारी ४१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

अठाइसवां प्रतिवेदन ४१९१

प्राक्कलन समिति——

छब्बीसवां प्रतिवेदन ४१९१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——

नवां प्रतिवेदन ४१९२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी ४१९२

भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य——

सभा पटल पर रखा गया ४१९३

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धि ४१६४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक—

पुरःस्थापित ४१६४

विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव ४१६४–६५

सभा का कार्य ४१६५,४२२२

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक —

विचार करने का स्ताव ४१६५–४२२२

खण्ड २ से २५, अनुसूची और खण्ड १ ४२१३–२२

पारित करने का प्रस्ताव ४२२२

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४२२२–३१

दैनिक संक्षेपिका ४२३२–४०

अंक ३५—शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४३-क, १६४४ से १६४६, १६५१, १६५२,१६५५, १६५७ से १६६०, १६६४ और १६६५ ४२४१–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ४२६५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६६१ से १६६३, १६६६ से १६९२, १६९२-क, और १६९३ से १६९८ ४२७५–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २९९० और २९९२ से ३०२५ ४२९०–४३६३

स्थगन प्रस्ताव—

भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना ४३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३६५–६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६६

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६७

पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी . ४३६७–६८

सदस्यों को सजा . . . . ४३६८—४४०१

विशेषाधिकार समिति—

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन . . ४३६८

प्राक्कलन समिति . . . .

सत्ताइसवां तथा अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ४३६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना . ४३६९—७०

२. कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही . ४३७०—७१

अनुपस्थिति की अनुमति . . ४३७१

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर की शुद्धि ४३७१—७२

विशेषाधिकार प्रस्ताव—

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ४३७२—८५

विधेयक—पुरःस्थापित—

१. भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक . ४३८५–८६

२. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक । ४३८६

३. चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक । ४४०४

जानकारी का प्रश्न ४३८६–८७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के रूपभेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४३८७—९०

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में . . ४३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ४३९१

उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिए आयोग के बारे में संकल्प . . . ४३९२—४४०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प . . . ४४०१—०३

अमेरिका को रूई के संभरण के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा ४४०५—०९

दैनिक संक्षेपिका . ४४१०—२१

पांचवें सत्र का कार्यवाही सारांश ४४२२–२४

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आपात्त सहायता सस्थायें

†*१५२२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्थापित आपात्त सहायता संगठन ने कोई सहायता कार्य किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने १९५८ में अब तक किस प्रकार का कार्य किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) महामारी और बाढ़ जैसी दैवी विपत्तियों के दिनों में और अनावृष्टि के कारण सूखे वाले क्षेत्रों में उपयुक्त सहायता कार्य किये गये थे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस प्रकार के संगठन सभी स्तरों पर बनाये गये हैं अथवा केवल थाना स्तर पर ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : आशा है कि वे कुछ समय में कम से कम जिला स्तरों पर तो बना दिये जायेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : संगठन द्वारा कितना खर्च किया जाता है और क्या उसका कुछ अंश केन्द्र द्वारा भी वहन किया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं तो केवल प्राप्त जानकारी पढ़ कर सुना देता हूं । मैं कह नहीं सकता कि यह प्रश्न से कहां तक संगत है ।

१९५७–५८ में अन्य लोगों के साथ ही भारत सरकार के पदाधिकारियों के एक दल ने बिहार राज्य के सूखे क्षेत्र का दौरा किया था । दल ने कुछ अतिरिक्ति छोटी सिंचाई योजनाओं की सिफा-

---

†मूल अंग्रेजी में

216 (A) LSD—1

रिशें की हैं जिन पर ८६ लाख रुपयों का खर्च आयेगा । तदनुसार, निम्नलिखित राशियां मंजूर की गयी थीं । केन्द्रीय ऋण ८३ लाख रुपये; केन्द्रीय अनुदान ३ लाख रुपये, राज साहाय्य में राज्य का अंश, ३ लाख रुपये। चालू वित्तीय वर्ष में, राज्य सरकार ने सूखे क्षेत्रों में कार्यान्विति के लिय किसी योजना की मंजूरी के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस संगठन द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं में जितने कार्य किये गये हैं उनसे कितनी जमीन में सिंचाई होने की आशा है ?

पंडित गो० ब० पन्त : यह तो रिलीफ आरगेनाइजेशन है। इसका खास काम तो यह है कि जब कहीं कोई आफत नागहानी आ जाती है या कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, जैसे सूखा पड़ जाये, या कहीं बाढ़ आ जाये या कहीं कोई बीमारी या वबा फैल जाये, ऐसे वक्तों में लोगों की मदद करे । तो इसका खास अन्दाजा तो लगाना मुश्किल है कि कब-कब ऐसा होगा । उम्मीद यही रखनी चाहिये कि ऐसे बहुत कम मौके होंगे ।

†**श्री रामकृष्ण :** क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों वाले अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठन स्थापित किये गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** इस प्रकार के संगठन लगभग सभी राज्यों में विद्यमान हैं और ये न केवल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये ही हैं, अपितु अन्य दैवी विपत्तियों में भी सहायता करने के लिये हैं ।

नई दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल

†*१५२३. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार नई दिल्ली में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मूल प्रस्तावना यह थी कि इस स्कूल को मंत्रालय स्वयं ही चलाये । परन्तु बाद में यह विचार किया गया कि यदि इस संस्था को किसी गैर-सरकारी अभिकरण के हवाले कर दिया जाये तो अच्छा होगा । ज्यों ही किसी गैर-सरकारी संस्था से फैसला हो जायेगा, इस स्कूल को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या सरकार सभी बच्चों के लिये, अमीर और गरीब बच्चों के लिये एक ही शिक्षा प्रणाली चलाने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय कर चुकी है । मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि सरकार ने बुनियादी शिक्षा को देश की राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह :** सरकार ने इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ? जब सरकार ने बुनियादी शिक्षा को लागू करने का निर्णय कर लिया है तो फिर इसे केवल दिल्ली में ही क्यों लागू किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार सभी राज्यों में सभी अन्य स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल देने के लिये वहां की सरकारों को सहायता दे रही है। हमें आशा है कि कुछ समय में सभी अन्य स्कूल बुनियादी स्कूलों में बदल दिये जायेंगे और इस प्रकार से प्राथमिक अवस्था में सभी स्कूलों में एक ही शिक्षा प्रणाली होगी ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या पब्लिक स्कूलों को भी बुनियादी स्कूलों में बदल दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्बन्ध में भी प्रयत्न किया जा रहा है, और हमें आशा है कि उन स्कूलों में भी यही शिक्षा प्रणाली अपनाई जायेगी ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या यह सच है कि बड़े-बड़े प्राधिकारी और मंत्री अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संविधान के अधीन लोग अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्कूल में भेज सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या इस योजना को कम से कम संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा चुका है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने संघ राज्य-क्षेत्रों से भी इस बारे में कहा है, और इस सम्बन्ध में प्रयत्न भी किये जा रहे हैं । कुछ एक संघ राज्य-क्षेत्रों में तो बुनियादी स्कूल प्रारम्भ भी हो गये हैं ।

†**श्री हेम बरूआ :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि बुनियादी शिक्षा ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का आधार है, सरकार का क्या विचार है कि इस बुनियादी शिक्षा का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के साथ कैसे समन्वय किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्थापना है । उसका उत्तर केवल 'हां' या 'ना' ही हो सकता था । परन्तु उससे बुनियादी शिक्षा की सामान्य नीति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना संगत नहीं है ।

पिछड़े हुए वर्गों का वर्गीकरण

†*१५२४. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिदय्या :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुये वर्गों के रहन सहन की अवस्था और परिस्थितियों के सम्बन्ध में नमूने के तौर पर किया जाने वाला सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तो तैयार नहीं की है, परन्तु उसने केवल सारिणियों के रूप में सामग्री संकलित की है और भेजी है जिसमें सर्वेक्षण के दौरान में प्राप्त की गयी जानकारी और पिछड़े हुये वर्गों का उनकी साक्षरता और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण दिया हुआ है ।

(ग) डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भेजे गये आंकड़े इतने अधिक और व्यापक हैं कि उन्हें पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

†**श्री राम कृष्ण** : डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ने किस प्रकार की जानकारी भेजी है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि यह जानकारी इन की साक्षरता और व्यवसाय आदि के आधार पर तैयार की हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस आशय की कुछ शिकायतें आयीं भी कि कुछ एक पिछड़े हुये वर्गों को सूची में शामिल नहीं किया गया है । उन्हें नमूना-सर्वेक्षण में शामिल करने के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : किसी भी विशेष वर्ग को किसी भी सरकारी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । वर्तमान आदेशों में यह कहा गया है कि उन सभी व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता दी जाये जिन्हें पहले से पिछड़े हुये वर्गों के सदस्य के रूप में गिना जाता रहा है ।

†**श्री आचार** : क्या सरकार इस सर्वेक्षण के अनुसार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : निश्चय ही, सर्वेक्षण इसी लिये तो किया गया था कि हम उनके वर्गीकरण के लिये कोई आधार निर्धारित कर सकें ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या मद्रास राज्य में भी सर्वेक्षण किया गया है और क्या रिपोर्ट मद्रास सरकार के पास भी भेजी गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह सर्वेक्षण पश्चिमी बंगाल, बम्बई और मद्रास केवल इन्हीं तीन राज्यों में किया गया था ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट मद्रास सरकार के पास भेजी गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, अभी नहीं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या उनका वर्गीकरण 'पिछड़े वर्ग' और 'अत्यन्त पिछड़े वर्ग' के आधार पर किया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : फिलहाल तो अधिक वर्ग बनाने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** : इस नमूना सर्वेक्षण के निर्देश पद क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित गो० ब० पन्त : नमूना सर्वेक्षण करने वालों का पथ प्रदर्शन डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है। वास्तविक उद्देश्य यही है कि पिछड़े हुये वर्गों की सूची में तैयार करने के लिये आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जा सकें।

†श्री तंगामणि : क्या उस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पिछड़े हुये वर्गों का पुनः वर्गीकरण किया जायेगा ? क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास राज्य में यह प्रणाली है कि वहां पर कुछ एक वर्गों को 'अत्यन्त पिछड़े वर्ग' कहते हैं और उन्हें अधिक सुविधायें दी जाती हैं ?

†पंडित गो० ब० पन्त : मुझे आशा है कि इसका पुनः वर्गीकरण किया जायेगा।

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये रेल के इंजनों का आयात

†*१५२५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा कितने रेल के इंजन आयात किये गये थे ;

(ख) प्रत्येक इंजन की कितनी कीमत है ; और

(ग) क्या फालतू पुर्जों की कमी को पूरा करने के लिये किन्हीं इंजनों में से कुछ पुर्जे निकाले गये थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा २४ रेल के इंजन मंगाये गये थे जिन में से १० इंजन २७५ हार्स पावर के, १० इंजन ५५० हार्स पावर के और ४ इंजन ८०० हार्स पावर के थे।

(ख) उनमें से प्रत्येक की कीमत निम्नलिखित है :—

२७५ हार्स पावर वाले इंजन	२.२ लाख रुपये
५५० ,, ,, ,,	४.२५ ,, ,,
८०० ,, ,, ,,	६.७ ,, ,,

(ग) इंजन जोड़ते समय यह देखा गया कि कुछ एक पुर्जे खराब थे या ग़ायब थे। इंजनों को एकदम इस्तेमाल करने के योग्य बनाने के लिये ये पुर्जे अस्थायी रूप से दो इंजनों से निकाल लिये गये थे।

†**श्री मुरारका** : ये इंजन कब आयात किये गये थे और उन्हें इस्तेमाल कब किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह तो नहीं बता सकता कि वे भारत कब पहुंचे थे। परन्तु उपलब्ध जानकारी से यह प्रतीत होता है कि रूरकेला परियोजना द्वारा इंजनों के लिये मांगे गये टेण्डरों के उत्तर में लगभग एक दर्जन फर्मों से जून, १९५६ में टेण्डर प्राप्त हुये थे। मैसर्स इन्टर्नेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी का टेण्डर कीमत तथा भुगतान की शर्तों दोनों की दृष्टि से आकर्षक था और इसलिये उसे स्वीकार कर लिया गया था। परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि निश्चित रूप से किस तिथि को वे हमें प्राप्त हुये थे।

†**श्री मुरारका** : क्या इस इंजन के कोई पुर्जे भी आयात किये गये थे ; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इंजनों के साथ उनके पुर्जे भी मंगाये गये थे। परन्तु जो पुर्जे ग़ायब थे, वे कोई साधारण पुर्जे नहीं थे। उसमें कोई शरारत सी नज़र आती है, इसलिये मामले की जांच करने के लिये एक जांच समिति बनाई गई है जिसमें रूरकेला इस्पात परियोजना का मुख्य इंजीनियर, वित्त परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी सम्मिलित हैं। उसकी जांच इस समय की जा रही है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या उन ग़ायब पुर्जों के सम्बन्ध में विदेशी संभरणकर्ताओं को लिखा गया था; और यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : ये पार्ट कहां से इम्पोर्ट हुये थे और जो पार्ट खो गये थे, वे रास्ते में खो गये थे या वहां से आये ही नहीं थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अगर यह पता लग जाता कि वे किस जगह खो जा रहे हैं, तो शायद वे खोये ही न जाते।

†**श्री मुरारका** : क्या भिलाई और दुर्गापुर के इंजन एक ही लाइन के हैं या अलग-अलग लाइन के ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसके लिये मुझे एक पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

शिक्षा संस्थाओं में मौनधारण तथा अनुशासन

†*१५२६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेयी :

क्या शिक्षा मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों ने सभी शिक्षा संस्थाओं में प्रति दिन १० मिनट के लिये मौनधारण तथा अनुशासन रखने के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र के अनुसार अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

आसाम सरकार ने परिपत्र में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कई स्कूल चुने हैं। पंजाब, मैसूर, उड़ीसा, मद्रास, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं को कोई हिदायत नहीं भेजी है। हां, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि वहां पर लगभग प्रत्येक स्कूल में यह एक नियमित प्रणाली है कि सभी विद्यार्थी अपने अध्यापकों सहित प्रति दिन स्कूल का नियमित कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व हाल में एकत्रित होते हैं और वहां पर मौन रखने का अभ्यास करते हैं। अन्य राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में यह कहा गया है कि केवल आन्ध्र प्रदेश में ही इसका अभ्यास किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी वैसा अभ्यास कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि यह तो तत्कालीन शिक्षा सचिव ने अपने एक अर्ध-सरकारी पत्र में इस प्रकार का एक सुझाव दिया था, यह राज्य सरकारों के लिये कोई निदेश नहीं था । हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का ध्यान फिर से आकृष्ट करेंगे । परन्तु हम उस बारे में कोई निदेश जारी नहीं कर सकते । राज्य सरकारों को स्वयं इस पर विचार करना चाहिये ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मौनधारण और अनुशासन दो पृथक-पृथक् विषय होंगे या कि अनुशासन के द्वारा मौनधारण का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : उस पत्र में राज्य सरकारों से जो बात कही गई थी, वह यह थी कि शिक्षक और विद्यार्थी प्रति दिन एक स्थान पर इकट्ठे हुआ करें और कुछ एक मिनटों के लिये मौन रहा करें ; संभव है कि इससे उनकी महान आन्तरिक भावनायें विकसित हों और उनमें सामाजिक प्रेम और सामाजिक दायित्व का भाव उत्पन्न हो । इसी दृष्टि से यह सुझाव दिया गया था ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने ही इसे क्यों स्वीकार किया है और अन्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां बताई हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास जो भी इत्तिला थी, वह मैंने टेबल पर रख दी है ।

तेल शोधक कारखानों में उत्पादन

†*१५२७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १९५७–५८ में प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ था और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन का ढंग देश की मांग को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उत्पादन के ढांचे को देश की मांग के अनुसार बनाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चतुर्थ तेल-शोधक कारखाने से उत्पादन की क्या योजना है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सुरक्षा के कारणों और लोक-हित को ध्यान में रखते हुये पैट्रोल के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े बताना उचित नहीं है ।

तैयार किये जाने वाले अशोधित तेल के प्रकार को दृष्टि में रखते हुये शोधित वस्तुओं के उत्पादन के ढांचे की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से की जा सकती है । भारत में 'मिडिल डिस्टिलेट्स' (केरोसीन व हाई स्पीड डीजल ऑयल) की खपत का अनुमान बहुत अधिक है और इनकी खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है । इस प्रकार इन वस्तुओं के देश में उत्पादन और खपत के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है जब कि दूसरी ओर मोटर स्प्रिट और फर्नेस ऑयल का उत्पादन पहले ही अधिक है । अतः उक्त प्रविधिक सीमाओं के अन्दर ही कम उत्पादन वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में पहले ही चार तेल-शोधक कारखाने हैं। पांचवें मे (जो कि गोहाटी के निकट स्थापित किया जायेगा) 'मिडिल डिस्टिलेट्स' का अधिकतम् उत्पादन करने का प्रयत्न किया जायेगा। छठे कारखाने में (जो कि बरौनी में स्थापित किया जायेगा) उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त एविएशन स्प्रिट, बिट्मेन और 'लुब्रिकेटिंग' तेलों का भी उत्पादन किया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वर्तमान तेल शोधक कारखानों के विस्तार कार्यक्रम में इस उत्पादन की इतनी अधिक कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में भी कोई योजना बनाई गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह तो मैंने पहले ही बता दिया है कि नये तेल शोधक कारखानों में उत्पादन की इस कमी को पूरा करने पर अधिक जोर दिया जायेगा।

जहां तक वर्तमान तेल शोधक कारखानों का सम्बन्ध है, फिलहाल तो केवल एक ही कार्यक्रम है, और वह यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल-शोधक कारखानों का विस्तार किया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार उत्पादों के ढांचों के सम्बन्ध में योजना का पहले परीक्षण करती है और तब मंजूरी देती है, और क्या अनिवार्य परिस्थितियों के कारण ही इस ढांचे की अनुमति दी गई थी अथवा केवल लाभ को ध्यान में रख कर वैसा किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि केवल लाभ को ही दृष्टि में रख कर वैसा किया गया था। इसमें सब की अलग-अलग राय हो सकती है। वह करार तो उस समय बहुत अच्छी प्रकार से सोच विचार करने के बाद किया गया था। वह ढांचा उस समय सर्वोत्तम माना जाता था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस तेल शोधक कारखाने ने अपने कुल लाभ और खर्च के सम्बन्ध में सरकार को सूचित किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ये कम्पनियां अपना विवरण भेजती हैं, परन्तु उनके खाते की हम जांच नहीं करते।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : क्या इन कारखानों की अतिरिक्त मोटर गैसोलीन को विदेशों में लाभ-मूल्य पर बेचने में कोई कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तीन कारखानों में उस वस्तु के उत्पादन को कम कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक निर्यात तथा विदेशी मण्डियों में मूल्य का सम्बन्ध है, वास्तव में ये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ही होते हैं। मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि ये सदैव लाभ-मूल्य ही होते हैं क्योंकि तेल परियोजनाओं की अर्थ व्यवस्था एक जटिल समस्या है। परन्तु जहां तक उत्पादन को घटाने का सम्बन्ध है, हमने उस पर विचार किया है और यह अनुभव किया है कि यदि उत्पादन घटाया गया तो उससे देश की आन्तरिक आवश्यकताओं और विदेशी मुद्रा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि इन तेल शोधक कारखानों के कुछ एक अंश सरकार के हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : गैर-सरकारी क्षेत्र के इन तेल शोधक कारखानों में हमारा कोई भी अंश नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बोस** : क्या तेल शोधक कारखानों को इस प्रकार से बनाया गया है कि वे अशोधित तेल से सभी प्रकार के उपोत्पाद प्राप्त कर सकेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह उत्तर देना कठिन है क्योंकि उसका आधार अशोधित तेल हैं । इसका विश्लेषण किया जाता है, उसे अलग अलग करके शोधित किया जाता है और तब जा कर उपोत्पाद प्राप्त होते हैं ; परन्तु माननीय सदस्य तो तेल को शोधित करने के बाद शेष बचे हुये अवशिष्ट अंशों की ओर संकेत कर रहे हैं । यह तो बड़ा रहस्यपूर्ण विषय है और इस बारे में सारे संसार में गवेषणा की जा रही है । हम भी इस अवशिष्ट से अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि सम्भव है कि बरौनी में 'लुब्रिकेटिंग' तेल तैयार किया जा सके । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समय 'लुब्रिकेटिंग' तेल की सारी मांग आयात से पूरी की जा रही है, क्या सरकार वर्तमान तेल शोधक कारखानों से इस सम्बन्ध में बातचीत करेगी कि वे अशोधित तेल से 'लुब्रिकेटिंग तेल' का निर्माण करने का प्रयत्न करें?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमने इस सम्बन्ध में वर्तमान तेल शोधक कारखानों से सामान्य रूप से बातचीत की है, परन्तु अशोधित तेल का ऐसा कोई भी अवशेष नहीं दीखता जिससे अधिक 'लुब्रिकेटिंग' तेल पैदा किया जा सके । फिर भी इस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पैट्रोल के उपोत्पादों पर हमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ? क्योंकि उनका यहां पर उनका उत्पादन होने के कारण हमें उनका आयात करना पड़ता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : 'पैट्रोल के उपोत्पादों' के अर्थ को समझना बड़ा कठिन है ।

दिल्ली पोलिटेक्नीक

*१५२८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें दिल्ली पोलिटेक्नीक के सर्वांगीण विकास की अन्तिम रूप से स्वीकृत योजना का ब्यौरा दिया हुआ हो ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : नीचे लिखी तबदीलियों के साथ गवर्निंग बाडी की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं :—

(क) दिल्ली में अलग एक इंजीनियरिंग कालेज जल्दी ही खोला जाना चाहिये । काफी विषयों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देने के लिये पोलीटेक्नीक का विकास करना चाहिये ।

(ख) १९५९–६० से बी० काम० डिग्री कोर्स में दाखिला बन्द कर देना चाहिये ।

(ग) मौजूदा टेक्नीकल हाई स्कूल को जूनियर टेक्नीकल स्कूल बना देना चाहिये ।

(घ) आर्कीटैक्चर का कोर्स, स्कूल आफ टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग दिल्ली में कर देना चाहिये ।

(२) नये इंजीनियरिंग कालेज के ब्योरेवार नक्शे और तखमीने बनाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं जानना चाहता हूं कि अब जो सिफारिशें मंजूर की गई हैं उन्हें कार्यान्वित करने में, उनको अमली जामा पहनाने में कितना समय लगेगा और इसके लिये कितना खर्चा मंजूर किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** कुछ कार्यवाही तो की जा चुकी है। वहां तो सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स प्रारम्भ किया जा चुका है और उसमें सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स शुरू किये गये हैं। शेष सिफारिशों को भी शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : यह जो नया विकास का कार्यक्रम चालू किया जा रहा है क्या इससे यह आशा की जाती है कि यहां का इंजीनियरिंग कालेज भी उसी स्तर का हो जायेगा जैसा कि खड़गपुर का इंस्टीट्यूट है या और जो बड़े बड़े टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित हुये हैं ?

श्री हुमायून कबिर : यहां तो इंजीनियरिंग कालेज बनेगा। हायर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट यहां नहीं बनेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन के पास इस सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं कि अभी तक इस पालिटेक्नीक में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं रहे हैं ? क्या खड़गपुर की तरह या दूसरे विद्यालयों की तरह यहां पर भी खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कम्पीटीशंस का सिस्टम जारी किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य ने अपने सवाल के पहले हिस्से में जो शिकायत की है वह सही नहीं है। जहां तक दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है हम हमेशा ही यह कोशिश करते हैं कि यहां भी दाखिले के मामले में एक ही तरह का इंतिजाम हो और वह हो जो दूसरी जगहों पर हैं।

†**श्री रंगा :** क्या उस इंजीनियरिंग कालेज में दिल्ली के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिये भी कुछ सीटें रक्षित की जायेंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये २० प्रतिशत सीटें रक्षित हैं। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, काश्मीर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य के लिये कोई भी सीट रक्षित नहीं है।

†**श्री रंगा :** क्या अन्य क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये भी ये सीटें रक्षित होंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह सामान्यतया सभी क्षेत्रों के लिये होगा। दिल्ली में तो सम्पूर्ण भारत से विद्यार्थी आते हैं।

उद्वाष्पन नियंत्रण प्रयोग[1]

†*१५२९. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने उद्वाष्पन नियंत्रण प्रयोग के लिये कोई केन्द्र चुने हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के क्या नाम हैं ; और

(ग) प्रयोग के क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1 Evaporation Control Experimen

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) (१) फरीदाबाद, दिल्ली के निकट;

(२) पूंडी, मद्रास के निकट ; और

(३) कृष्णराजसागर, मैसूर के निकट ।

(ग) प्रयोग किये जा रहे हैं और परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस प्रयोग की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसका प्रमुख प्रयोजन ऐसे उपायों का पता लगाना है जिससे उद्वाष्पन से होने वाली हानि में कमी की जा सके। माननीय सदस्य सरलता से इसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। यदि उद्वाष्पन में कमी की जा सके तो पानी भी अधिक उपयोग में लाया जा सकता है ।

†**श्री आचार** : क्या पश्चिमी तट पर भी कहीं एक केन्द्र खोला जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं उन तीन स्थानों का उल्लेख कर चुका हूं जिनमें प्रयोग किया जा रहा है ।

आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*१५३१. **श्री विमल घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने पाकिस्तानी वीसा अथवा मान्य यात्रा सम्बन्धी लिखित पत्र के बिना आसाम में घुस गये ; और

(ख) आसाम में इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये पाकिस्तानी लोगों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जुलाई, १९५८ के अन्त तक १९५ ।

(ख) उचित विधि के अन्तर्गत इन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है। सीमा पर बड़ी देख-भाल भी की जा रही है ।

†**श्री विमल घोष** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये पाकिस्तानी कहां तक भारत विरोधी कार्यों में लगे रहेंगे और क्या इसके लिये कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री दातार** : यह भिन्न प्रश्न है। यहां प्रश्न केवल वीसा अथवा मान्य यात्रा सम्बन्धी लिखित पत्र के बारे में है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को उन पाकिस्तानियों के बारे में कोई जानकारी है जो सीमा पर गोली चलने का बहाना बना कर भारत में अनधिकृत रूप से वहां स्थायी रूप से बसने के लिये घुस आये हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने उनका पता लगाने की चेष्टा की है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस समय उस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ग्रासर : क्या सरकार को यह पता है कि वीसा ग्रथवा परमिट के बिना न जाने कितने पाकिस्तानी कच्छ क्षेत्र से घुसते ग्रा रहे हैं; ग्रौर यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या सावधानी बरती है ?

†ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो ग्रासाम के बारे में है ; कच्छ दूसरी ग्रोर है ।

†श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी हमारे भू-भाग में, विशेषकर ग्रासाम में, वीसा के बिना ग्रथवा वीसा से, घुस ग्राये ग्रौर वीसा को फाड़ कर यहीं के लोगों में घुल मिल गये हैं ; ग्रौर यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है ग्रौर इस प्रकार ग्रनधिकृत रूप से ग्राये पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): इस प्रकार की कुछ शिकायतें की गई हैं । सरकार ने सीमा पर कुछ ग्रौर चौकियां इसलिये स्थापित कर दी हैं कि जो लोग यहां ग्राते हैं वे यहीं ग्राकर छलपूर्वक ठहर नहीं जाते ; किन्तु इस प्रकार कितने लोग ग्राये इनकी ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है ।

त्रिपुरा के ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के बालक

†*१५३२. श्री बांगशी ठाकुर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के बालकों को नर्सरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त है ; ग्रौर

(ख) क्या ग्रगरतला के नर्सरी स्कूलों में त्रिपुरा के ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के बालकों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखने का कोई प्रबन्ध है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ग्रौर (ख). जी हां ।

†श्री बांगशी ठाकुर : या उस स्कूल में ग्रनुसूचित जाति के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।

†श्री बसुमतारी : क्या चाय बागानों में काम करने वाले ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के लोगों के बच्चों के लिये भी यही व्यवस्था है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस स्कूल में २० प्रतिशत स्थान ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के छात्रों के लिये रक्षित हैं ।

†श्री बसुमतारी : मैं चाय बागानों के ग्रनुसूचित ग्रादिम जाति के बच्चों की बात कर रहा था ।

†ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : स्कूल उन सभी के लिये खुला है जो ग्रपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं ।

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

†श्री बांगशी ठाकुर : मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं बता चुका हूं कि इस स्कूल में शिक्षण शुल्क कुछ भी नहीं ली जाती और सभी बच्चों को निःशुल्क भर्ती किया जाता है। किसी के साथ भेद-भाव का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अनुसूचित आदिम जाति के लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क

\+

†*१५३३. { श्री न० रा० मुनिस्वामी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों और बिजली से चलने वाले करघों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न प्रकार के कपड़े पर लगाये उत्पादन शुल्क के बारे में हाल के समायोजन का कोई हिसाब लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का होगा ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मिल और बिजली से चलने वाले करघों पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क के हाल में समायोजन का प्रभाव निर्धारण पर क्या होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता , उत्पादन का रुख, माल की निकासी, निर्यात तथा मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा।

(ख) उत्पादन तथा बिजली से चलने वाले करघों के माल की निकासी दोनों ही बढ़ गये हैं। मिल के कपड़े की निकासी में कुछ वृद्धि हुई है और मिल के बने कपड़े के थोक भाव में कुछ कमी हो गई है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या उत्पादन शुल्क का समायोजन कर देने से मोटे और औसत दर्जे के कपड़े के भाव में कुछ कमी नहीं हुई है और वास्तव में इस उत्पादन शुल्क के समायोजन से पहले जो भाव था वही चल रहा है और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार मिल मालिकों द्वारा कमाये गये मुनाफे में कुछ कमी करने के लिये प्रयत्न नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने इस कपड़े के मूल्य में कोई कमी नहीं की है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न का उत्तरार्ध नहीं समझ सका किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि सामान्यतः कपड़े का भाव कम होता जा रहा है। मेरे पास विभिन्न प्रकार के कपड़े के मूल्य की विस्तृत सूचना नहीं है किन्तु मिल के कपड़े का थोक भाव अप्रैल में ११९·४ तथा अगस्त में ११५·९ था।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : जांच समिति की विभिन्न सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी थी कि प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग १८ १/२ गज से घट कर १७ १/२ गज रह गया है। इसके परिणामस्वरूप मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां हमने ८४ लाख गज कपड़े का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो फिर उत्पादन में भी पुनरीक्षित आंकड़ों के हिसाब से कमी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ब०रा० भगत : इसका सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से है, इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछें ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : उपमंत्री महोदय ने मूल्य का रुख कमी की ओर बताया है। उसका प्रभाव मोटे और औसत दर्जे के कपड़े पर क्या पड़ेगा, क्या इसके उनके पास अलग-अलग आंकड़े हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसके मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री तंगामणि** : पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि मिल के कपड़े की निकासी में कुछ सुधार हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि इस रियायत के देने से पहले जितना स्टाक था उसके मुकाबले अब कितना स्टाक मिलों के पास है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जन में ७३ करोड़ ४० लाख गज की तुलना में अगस्त, १९५८ तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह संख्या ६६ करोड़ ८० लाख गज थी। इससे पता लगता है कि स्टाक में कमी हो रही है ।

†**श्री रा० क० वर्मा** : आज जो कपड़ा तयार होता है एक्साइज ड्यूटी से बचने के लिये उसमें से कटपीस अधिक परिमाण में बनाया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट को इस बात का ज्ञान है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : पूरी तरह यह ज्ञात नहीं है ।

†**श्री रंगा**: यद्यपि यह उत्पादन शुल्क मिलों और बिजली से चलने वाले करघों द्वारा तैयार किये कपड़े पर ही लगाया जाता है, क्या यह सच नहीं कि हाथ से बुने कपड़े की बिक्री में भी कमी हो गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह अलग प्रश्न है, और इसके लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

दुर्लभ पाण्डुलिपियों का अधिग्रहण

†*१५३४. **श्री संगण्णा** : क्या **वैज्ञानिकगवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी लोगों के हाथ से दुर्लभ पांडुलिपियों का अधिग्रहण करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: सरकार कलात्मक वस्तुयें क्रय समिति के द्वारा दुर्लभ पाण्डुलिपियों को खरीदती है और सरकार ने १९५७ में जनता से एक अपील भी की है जिस में जनता तथा गैर सरकरी संस्थाओं से यह निवेदन किया है कि उनके कब्जे में इस प्रकार की जो पाण्डुलिपियां हों उन्हें वह भेंट के रूप में सरकार को दे दें अथवा सरकार के हाथ बेच दें ।

†**श्री संगण्णा** : क्या दुर्लभ पाण्डुलिपियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो किस अभिकरण ने ऐसा किया है ?

†**श्री हुमायन् कबिर** : प्राचीन पाण्डुलिपियों का पता लगाने, एकत्र करने तथा उनकी सुरक्षा के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री संगण्णा : क्या राज्य सरकारों के लिये कुछ वित्तीय राशि उनके अपने-अपने राज्यों में दुर्लभ पाण्डुलिपियों के बारे में पता लगाने के लिये नियत कर दी गई है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार इस सम्बन्ध में व्यय कर सकेंगी ?

†श्री हुमायून् कबिर : हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है और इस सम्बन्ध में उनकी सहायता मांगी है ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या हमारे व्रज में इसकी कोई जांच-पड़ताल की गई है क्योंकि वहां अत्यन्त महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियां हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर : हम सारे भारत में इसकी जांच करवाना चाहते हैं और सारी भाषाओं में जिसमें व्रजभाषा भी शामिल है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या दुर्लभ मुगल कालीन चित्रों का अधिग्रहण करने अथवा खरीदने के लिये भी कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†श्री हुमायून् कबिर : जी हां ।

†श्री पाणिग्रही : क्या किसी राज्य में इन दुर्लभ पाण्डुलिपियों के खरीदने पर कुछ राशि व्यय की गई है ?

†श्री हुमायून कबिर : मेरे पास यहां जो आंकड़े हैं वे ये हैं :

१९५८ तक ५६२ पाण्डुलिपियां भेंट स्वरूप प्राप्त हुईं और २२६३ क्रय की गईं । प्रधान मंत्री से हमें बहुत बड़ी संख्या में पाण्डुलिपियां तथा उपहार प्राप्त हुये हैं ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या केवल इसी प्रयोजन के लिये एक संग्रहालय खोलने का विचार है ?

†श्री हुमायून् कबिर : संग्रहालयों में अन्य वस्तुओं के साथ इनका भी संरक्षण किया जायेगा ।]

लोहे और इस्पात का वितरण

†*१५३६. श्री बसुमतारी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से इस्पात के कोटे की विकास योजना में कम से कम ५०० टन प्रति तिमाही बढ़ा देने का निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) और (ख). आसाम सरकार ने राज्य के तिमाही कोटे में वृद्धि कर देने का निवेदन किया है । देश में इस्पात की कुल कमी के बावजूद राज्य की विकास योजना के कोटे में विशेष रूप से आई/५८-५९ में ५६३ टन से वृद्धिकर १०६३ टन प्रति तिमाही कर दिया गया है ।

†श्री बसुमतारी : लोहे और इस्पात के कोटे की विकास योजना के विवरण का आधार क्या है ? इसका आधार जनसंख्या होगा अथवा आवश्यकता ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इसका आधार विकास है ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि गौहाटी में औद्योगिक बस्ती बसाने का काम लोहे की सरियों की कमी के कारण रोक दिया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इस्पात की सामान्य कमी है । इसकी कमी केवल आसाम में ही नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि सारी औद्योगिक वस्तियों को केवल एक शिष्ट के लिये कोटा दिया जायेगा, और यदि हां, तो फिर ऐसा क्यों है कि आसाम की औद्योगिक वस्ती की मांग क्यों नहीं पूरी की जाती ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** वह आश्वासन किस प्रकार का है, इसके बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । किन्तु मैं समझता हूं कि प्रश्न औद्योगिक बस्ती के निर्माण के बारे में था न कि उसे चलाने के बारे में । यदि निर्माण सम्बन्धी कोई बात है तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच नहीं कि पिछले छः महीनों में आसाम को कुछ भी लोहे और इस्पात का कोटा नहीं भेजा गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे साथी ने उत्तर दिया है कि आवंटन किया जा चुका है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या कोटा भेजा जा चुका है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सीमा विवाद

†*१५३८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसी सीमा सम्बन्धी विवाद का हाल में केन्द्रीय सरकार को निदेश किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम राज :** इस तथ्य की दृष्टि से कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर की शिमला और डलहौजी जैसी बस्तियों के बारे में बहुत सी प्रशासकीय कठिनाइयां हैं तो क्या भारत सरकार इन बस्तियों को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने के बारे में कार्यवाही करेगी और क्या इस प्रकार का कोई निर्णय किया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** प्रश्न सीमा विवाद के बारे में था जो अब दोनों राज्यों के बीच नहीं रह गया है । कुछ बस्तियां हैं यह सच है । किन्तु वह प्रश्न इससे बिल्कुल भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दलजीत सिंह : हिमाचल प्रदेश से मिली हुई कुल्लू, स्पीती और लाहौल घाटियां हैं जो कांगड़ा ज़िले से बिल्कुल अलग हैं, क्या इन क्षेत्रों को मिला कर एक जिला अलग बनाने का कोई विचार है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : सरकार के सम्मुख ऐसा कोई विचार नहीं है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा शिमला को हिमाचल प्रदेश का एक भाग बने रहने की मांग की जाती है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : मेरे विचार से कुछ हद तक शिमला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है भी।

तेल का वितरण करने वाली कम्पनियों द्वारा कमाया गया मुनाफ़ा

†*१५१४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों ;

(क) १९५७ में भारत में तेल वितरण के लिये मेसर्स वर्मा शेल, स्टैंडर्ड वैकुअम तथा काल्टेक्स आयल कम्पनियों द्वारा कितना लाभ कमाया गया ;

(ख) इस वर्ष के शुद्ध लाभ के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) १९५७ में इन कम्पनियों की कितनी बिक्री हुई; और

(घ) क्या इन कम्पनियों ने १९५७ का अपना सन्तुलन-विवरण भारत में किसी प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** :(क) से (ग). तेल कम्पनियों द्वारा दी गई उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(घ) मेसर्स काल्टेक्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अपने १९५७ के लेखाओं का विवरण अगस्त, १९५८ में कम्पनियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया था। अन्य दोनों कम्पनियां भी शीघ्र ही अपने विवरण भेजेंगी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि इन सभी तेल कम्पनियों का एक विशेष प्रकार का व्यापार, जिसे बांड डिलीवरी कहते हैं, स्टीमरों को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ईंधन तेल के संभरण के लिये होता है और उन्हें भारत में जो आय होती है वह संबंधित कम्पनियों के हानि-लाभ के लेखा में सम्मिलित नहीं की जाती और न उसकी जांच ही की जाती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह प्रश्न तेल व्यापार में चाव रखने वाले कुछ पक्षों द्वारा उठाया गया था और सरकार उस पर विचार कर रही है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि इन कम्पनियों की आय किस प्रकार होती है उसके लेखे तथा व्यापार में अन्तर्गस्त व्यय के लेखाओं की जांच भारतीय फर्मों के लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं की जा सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : ये कम्पनियां भारत से बाहर रजिस्टर्ड हैं इस कारण नियमानुसार इन कम्पनियों को अपना सन्तुलन–विवरण तथा लाभ-हानि विवरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार को ही प्रस्तुत करना पड़ता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्मा शेल के लाभ-हानि का विवरण प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखा जायेगा क्योंकि जो विवरण इस समय दिया गया है उसमें बताया गया है कि वह अभी उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि लन्दन और वाशिंगटन में कम्पनियों के कार्यालयों के भुगतान के लिये कम्पनियों के लाभ में से कमीशन के रूप में काफी राशि घटा दी जाती है और इस प्रकार उनके लेखे रखे जाते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं मुनाफे के बारे में अपनी सम्मति प्रकट नहीं कर सकता, किन्तु यदि माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं पूर्वसूचना चाहूंगा । वह इस विषय में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दूंगा ।

†**श्री रंगा** : क्या उन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता और इस कारण क्या उन्हें अपने लेखे आय-कर विभाग को नहीं भेजने पड़ते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उन्हें अपनी आय पर आय-कर देना पड़ता है और वे नियमित रूप से अपने लेखे आय-कर विभाग को भेजते रहते होंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि शुद्ध आय बिक्री में से वितरण पर किये गये व्यय को घटा कर केवल १० प्रतिशत होती है क्योंकि भारत में उनका पंजीयन वितरण एजेंसियों के रूप में किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब तक मैं विस्तार में न जान लूं तब तक मैं इस समय स्थिति पर अपनी राय नहीं दे सकता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि ये कम्पनियां अपने लेखे कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेजते हैं । क्या यह सच है कि जो लेखे ये कम्पनियां भेजती हैं उनमें उनकी आय किस प्रकार हुई है तथा आय में से व्यय के बारे में विस्तृत ब्योरा कभी नहीं दिया जाता वरन् वे केवल लाभ-हानि का विवरण भेजते हैं जिनमें बड़े-बड़े व्यय और अधिक आय वाले मद दिखाये जाते हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय सदस्य से मुझे सहानुभूति है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं बताना चाहूंगा नियमों और विधिनुसार जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकती है मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर सदन के सामने रख दूंगा किन्तु नियमानुसार उन्हें ये पत्र ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं । मैं नहीं कह सकता कि इससे अधिक मैं और जानकारी क्या दे सकूंगा ।

†**श्री रंगा** : क्या इन दो लेखाओं जिन्हें वे कम्पनियों के रजिस्ट्रार तथा आय-कर प्राधिकारियों को भेजते हैं; की तुलना और उसका अन्तर जानने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम लेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जहां तक आय-कर विभाग को प्रस्तुत किये गये लेखाओं का सम्बन्ध है, वे लेखे किस प्रकार के हैं उन्हें बताने के बारे में कुछ संविहित संरक्षणों की व्यवस्था की गई है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या माननीय मंत्री उन नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विचार करेंगे जिनकी आवश्यकता कम्पनी के हानि-लाभ का वास्तविक हाल जानने के लिये हो क्योंकि जिस तरीके से अभी यह काम हो रहा है उससे स्पष्ट है कि माननीय मंत्री भी सन्तुष्ट नहीं हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह विद्यमान नियमों में संशोधन करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वे तेल कम्पनियां जो विदेशों में खोली गई हैं उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है जैसा कि विदेशों में खोली गई अन्य कम्पनियों के लेखा प्रस्तुत करने के बारे में लागू होता है। मुझे विश्वास है कि संसद् जो भी नियम बनाता है, उनका पालन वे सभी कम्पनियां करेंगी जो विदेशों में खोली गई हैं और जो चलती रहना चाहती हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या वह संसद् में ऐसी विधि रखेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बारे में राय प्रकट करना मेरे ऊपर थोड़े ही निर्भर करता है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या मंत्री महोदय इस बारे में अपनी सम्मति नहीं दे सकते कि संसद् के सामने ऐसा कोई विधेयक रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सुझाव यह है कि विधेयक सभा के सम्मुख रखा जाना चाहिये । माननीय मंत्री से तत्काल 'हां' कह देने की आशा नहीं की जा सकती ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: संबंधित कम्पनियों से इस प्रकार के लेखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०

†*१५४२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय इंजीनियरों का स्थानान्तरण इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ग) किन प्रयोजनों के लिये उनका स्थानान्तरण किया गया है; और

(घ) क्या उनकी संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). जी नहीं किन्तु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ४३ भारतीय इंजीनियरों को इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी में उस कम्पनी से समझौते की शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) टेक्निकल देख-रेख, प्रगति, निरीक्षण तथा क्लर्की के काम के लिये यह समझा गया था कि यथासम्भव भारतीय इंजीनियरों व कार्यालय कर्मचारियों का होना न केवल बांछनीय हो अपितु लाभदायक भी होगा। इसका सुनिश्चय करने के लिये दुर्गापुर में जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे परियोजना में कोई हानि नहीं होगी और यह तय किया गया था कि परियोजना द्वारा इन भारतीय इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारी वर्ग को काम दिया जायेगा।

(घ) जी हां, ज्यों-ज्यों कार्य तीव्र गति से होने लगेगा त्यों-त्यों इंजीनियरों की संख्या लगभग ७५ की जा सकती है।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या यह सच है कि इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी को जोकि एक ब्रिटिश फर्म है, भारत सरकार द्वारा इण्डियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी के परामर्शदाता इंजीनियर के रूप में नियुक्ति की गई है, जिसमें १३ ब्रिटिश फर्में हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी हां, उनकी नियुक्ति इस्पात परियोजनाओं के लिये भारत सरकार के परामर्शदाता के रूप में की गई है।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंजीनियरों के समान अथवा उससे अधिक योग्यता प्राप्त भारतीय इंजीनियरों को ब्रिटिश इंजीनियरों के समान न तो वेतन मिलता है और न मकान सम्बन्धी सुविधायें आदि ही मिलती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रत्येक इंजीनियर की सेवा की शर्तों का मुकाबला करना बड़ा कठिन है। उच्च कोटि के टेक्निकल लोगों की सापेक्ष योग्यता अथवा क्षमता का पता लगाना भी सरल काम नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार की तुलना करना कोई सरल काम नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित तथा अन्य समाचारों की ओर इस बारे में आकर्षित किया गया है कि दुर्गापुर परियोजना और अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण कम्पनी में लगे भारतीय इंजीनियरों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने समाचार पढ़ा था। मैंने कुछ जांच भी इस बारे में की थी जिससे पता लगा था कि लगाये गये आरोप पूर्णरूपेण सही नहीं थे।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या माननीय मंत्री के कथन का तात्पर्य यह है कि भारतीय कम और ब्रिटिश के लोग अधिक योग्य हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निश्चय ही नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने कहा है कि आरोप पूर्णतया सही नहीं है। तो फिर उनमें कितनी सत्यता है ?

†**श्री ब्रज राज सिंह** : कितने प्रतिशत सत्यता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने प्रतिशत का हिसाब नहीं लगाया है किन्तु सामान्य रूप से मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि यदि टेक्निकल शिक्षा समान है तो भारतीय इंजीनियरों के विरुद्ध कोई भेद-भाव वाली नीति नहीं बरती जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **सुबिमन घोष** : क्या भारतीय इंजीनियरों से अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण कम्पनी के अधीन कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिये कहा गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किसने कहा था ?

†श्री **सुबिमन घोष** : भारत सरकार द्वारा ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और सरकार जानती है कि उसके क्या कर्त्तव्य हैं ।

चुनाव याचिकायें

†*१५४३. { श्री तंगामणि :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **विधि मंत्री** १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विचारहेतु निलम्बित १५६ चुनाव याचिकाओं के निबटान में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) उनके निबटान में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या भविष्य में चुनाव याचिकाओं के निबटान में देरी न होने देने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) मुकदमे के समय विलम्ब का मुख्य कारण उच्च न्यायालयों द्वारा रोक आदेश जारी करना है । चूंकि उच्च न्यायालयों से प्रार्थना करने का आदेश संविधान के अनुच्छेद २२६ और २२७ के अन्तर्गत प्राप्त है । इस प्रकार के विलम्ब के कारण को टालने का सुझाव सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग). चुनाव आयोग, चुनाव याचिकाओं के निबटाने में शीघ्रता करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही करता है । चुनाव याचिकाओं के निबटान में प्रत्येक ट्रिब्यूनल द्वारा की गई प्रगति को आयोग अनवरत देखता रहता है । प्रत्येक ट्रिब्यूनल प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट भेजता है और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिये समस्त युक्ति संगत कार्यवाही करता है ताकि मुकद्में अथवा अपील की अवस्था में अनावश्यक विलम्ब न हो । यदि अन्य न्यायिक कार्यों में संलग्न रहने के कारण यदि किसी ट्रिब्यूनल का जज चुनाव सम्बन्धी मामलों की ओर समुचित तौर पर ध्यान न दे सके तो चुनाव आयोग सम्बन्धित उच्च न्यायालय से प्रार्थना करता है कि वह अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान करे जो जज को उसके न्यायिक कार्य में आंशिक हाथ बटा कर सहायक हो सके । अपील की अवस्था में अत्याधिक बिलम्ब के मामले ऊंचे न्यायालयों की जानकारी में लाये जाते हैं ।

न चुनाव आयोग और न भारत सरकार ही चुनाव याचिकाओं के निबटान में शीघ्रता करने के लिये किन्हीं विशेष कदम उठाना आवश्यक समझते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री तंगामणि : अगस्त, १९५८ में १५६ चुनाव याचिकायें विचाराधीन थीं उनमें से कितनी लोक-सभा के सम्बन्ध में हैं और कितनी राज्य की विधान सभाओं से सम्बन्धित हैं और इनमें से कितनी चुनाव याचिकाओं पर निर्णय हो चुका है ?

†श्री हजारनवीस : यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

†श्री तंगामणि : क्या चुनाव आयोग को अब तक जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको ध्यान में रखकर चुनाव याचिकाओं के निबटान में शीघ्रता करने के लिये लोक प्रतिनिधान अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार समुचित विधान प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है ।

†श्री तंगामणि : गैर-सरकारी सदस्य का इस विषय में एक विधेयक था और माननीय उपमंत्री ने कहा था कि सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उक्त प्रस्ताव कब क्रियान्वित होगा ।

†श्री हजारनवीस : सरकार शीघ्र ही लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने का विचार रखती है और कतिपय प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं जिनके परिणामस्वरूप इन मामलों के निबटान में शीघ्रता हो सकती है ।

†श्री तिम्मटया : क्या विधि आयोग ने इस प्रश्न का परीक्षण किया है और चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निबटान के लिये कुछ उपाय सुझाये हैं ?

†श्री हजारनवीस : जहां तक मुझे मालूम है यह प्रश्न विधि आयोग को निर्देश नहीं किया गया है ।

†श्री स० म० बनर्जी : विभिन्न चुनाव ट्रिब्यूनलों ने कितनी चुनाव याचिकायें निर्णीत की हैं और कितने मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर की गई हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में पृथक् प्रश्न पूछें ।

चिकित्सा और दंत चिकित्सा सेवायें

†*१५४४. सेठ अचल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य पार्श्व की भांति चिकित्सा और दंत-चिकित्सा सेवाओं में आपात तथा लघु सेवा नियमित कमीशण्ड अधिकारियों को गत दो वर्षों में अतिरिक्त सामान्य कमीशन[1] नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चिकित्सा सेवा आदि विभिन्न पार्श्व में आपात आदि कमीशन प्राप्त अधिकारियों में जो नियमित कमीशन दिये गये हैं अथवा देने का विचार है उसके संबंध में शर्तें समान हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Additional regular Commissions.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५६]

†**सेठ अचल सिंह** : विवरण में बताया गया है कि :

"यह प्रश्न विचाराधीन है कि सेना चिकित्सा संवर्ग/सेना दंत चिकित्सा संवर्ग में कुछ और गैर-नियमित अधिकारियों को स्थायी नियमित कमीशन प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय और लगेगा ?

†**श्री रघुरामैय्या** : यह कहना कठिन है। विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जायेगा। सेना चिकित्सा संवर्ग का प्रश्न गैर-चिकित्सा पक्ष से भिन्न है। विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जायेगा और यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उसमें कितना समय लगेगा। हम इसमें यथासम्भव शीघ्रता करेंगे।

तेल शोधक कारखानों में डीजल आयल का उत्पादन

†*१५४५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई समझौता हुआ है कि तेल शोधक कारखानों में डीजल आयल उत्पादित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन तेल शोधक कारखानों द्वारा डीज़ल आयल उत्पादित किये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख). तेल शोधक कारखानों संबंधी समझौते के अन्तर्गत स्थापित तीनों कारखाने डीज़ल आयल का उत्पादन करने के लिये वचन बद्ध हैं और उत्पादन कर भी रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : गौहाटी और बरौनी की प्रस्ताविक तेल शोधक कारखाने में क्या समझौता है और उत्पादन का स्वरूप क्या रहेगा ? यह केरोसीन आयल होगा या मोटर स्प्रिट अथवा डीज़ल आयल या उड्डयन स्प्रिट के रूप में होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह प्रश्न उत्पादन के स्वरूप के संबंध में वर्तमान शोधन-नशाला और भारत सरकार के बीच हुये समझौते से सम्बन्धित है। माननीय मित्र नई तेल शोधन शालाओं के बारे में पूछ रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों के साथ क्या समझौता होगा **और** उनके उत्पादन का क्या स्वरूप रहेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरी प्रार्थना है कि अलग प्रश्न पूछा जाये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : नहर कटिया के आसाम तेल क्षेत्रों में हमें जो तेल मिल रहा है क्या उसके संबंध में आसाम तेल आयल कम्पनी और भारत सरकार के बीच कोई समझौता विद्यमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं, नई तेल शोधन शालाओं में उत्पादन के स्वरूप के बारे में जहां तक मुझे स्मरण है आसाम तेल आयल कम्पनी और भारत सरकार के बीच कोई समझौता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारे रेलवे के कुछ क्षेत्रों में डीजल इंजनों को चालू करने का प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने डीजल आयल का उत्पादन करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वर्तमान अवस्था में जहां तक संभव है हम अधिकतम मात्रा में डीजल आयल उत्पादन करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खजुराहो

*१५३०. **श्री यादव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ नवम्बर, १९५६ को लगभग ७ बजे शाम को खजुराहो के मंदिर से १६ मूर्तियां एक जीप में उठा कर ले जाई गईं ;

(ख) क्या इस घटना में विभाग के किन्हीं अफसरों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क), (ख) और (ग). खुदाई के दौरान जो १७ मूर्तियां मिली थीं उनमें से एक अजायबघर में रखी गई थी और बाकी १६ मूर्तियों में से तीन मूर्तियां २३ नवम्बर १९५६ को लापता थीं। रिपोर्ट मिली है कि २२ नवम्बर १९५६ की इस चोरी में विभाग के तीसरी श्रेणी के एक कर्मचारी का हाथ था। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई थी और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनीय कार्यवाही की जा रही है ।

कलकत्ता में स्पोर्टस स्टेडियम

†*१५३५. { **श्री साधन गुप्त** :
श्री अरबिन्द घोषाल : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता सुधारन्यास ने कलकत्ता में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिये भारत सरकार से अनुदान की मांग की है ;

(ख) क्या भारत सरकार अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह विषय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्का घाटी परियोजना

†*१५३७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्का घाटी परियोजना (मैसूर) के सिंचाई तथा विद्युत दल के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख) योजना परियोजनाओं की कार्यान्विति से संबंधित परियोजना प्राधिकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ चर्चा करने के पश्चात् संबंधित सरकारों और समितियों के समक्ष दल के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। इस मामले में यह रिपोर्ट चर्चा के पश्चात् मैसूर सरकार को भेजी गई थी जिन्होंने नहर की देवनागरी ब्रांच के सम्पर्क से संबंधित जहां यह शांतिनगर बांध को पार करती है, को छोड़कर सब सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

अन्दमान में सभाओं आदि पर प्रतिबन्ध

†*१५३९. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान में हाल में म्युनिसिपल चुनावों के दौरान पोर्ट ब्लैयर के पुलिस अधिकारियों द्वारा लाइसेंस लिये बिना मीटिंग करने और जलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक आदेश जारी किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन कानूनी उपबन्धों के अधीन यह आदेश दिया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) यह आदेश पुलिस एक्ट, १८६१ (१८६१ का ५ वां) की धारा ३०(२) के अधीन जारी किया गया था।

संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी

*१५४०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के कार्यों से जनता को अवगत कराने के लिये इन अकादमियों की रिपोर्टें किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं ;

(ख) क्या संगीत नाटक अकादमी की विभिन्न गोष्ठियों में पढ़े गये लेखों को प्रकाशित करने का विचार है ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं छपी है लेकिन "अकादमियों" ने अंग्रेजी में बुलिटिन छापे हैं जिन से उनके क्रियाकलापों का पता चलता है।

(ख) अभी अकादमी ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीपों का क्रय

†१५४६. { श्री रामी रेड्डी :
श्री जाधव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री उ० च० पटनायक :
श्री हेम बरुआ :
श्री अशोक मेहता :
श्री नाथ पाई :
श्री गोरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में जीपों के सौदे के संबंध में चलाये गये मुकदमे की क्या स्थिति है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : कागजपत्रों की खोज और जांच पूरी हो गई है और अगले वर्ष के प्रारम्भ में इसकी सुनवाई प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

सीनियर बेसिक पाठ्य क्रम

†*१५४७. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने सैकण्डरी स्कूलों की लोअर कक्षाओं में सीनियर बेसिक पाठ्यक्रम समायोजित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि सीनियर बेसिक स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थी सुविधापूर्वक सैकण्डरी स्कूलों में भरती हो सकें ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि यदि वह पहले से ही ऐसा नहीं कर रही हैं तो बेसिक और अ-बेसिक स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम का अनुसरण करें, ताकि सीनियर बेसिक के विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के समान ही सैकण्डरी स्कूलों में भरती हो सकें ।

विश्वविद्यालय की डिग्रियां

†*१५४८. **श्री प० कु० घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परस्पर डिग्रियों को मान्यता देने की पद्धति भारत के सब विश्वविद्यालयों में विद्यमान है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार मान्यता प्रदान करने की एक पद्धति पुरःस्थापित करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत में कानून द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है । प्रत्येक विश्व-विद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने के विषय में सर्वप्रभुतामय है और कोई बाहरी शक्ति उन्हें इसके लिये विवश नहीं कर सकती है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

मितव्ययिता समिति

†*१५४९. **श्री सूपकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में मितव्ययिता बरतने के लिये नियत मितव्ययिता समिति ने अभी तक क्या कार्य किया है ; और

(ख) इस समिति के सुझावों के फलस्वरूप कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७**]

नौ प्रतिष्ठान

†*१५५०. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **जेन्स फाइटिंग शिप्स** के १९५५–५६ और १९५६–५७ के संस्करणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिनमें भारत के नौ प्रतिष्ठान का ब्यौरा दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त संस्करणों में वर्णित तथ्य सही हैं ; और

(ग) क्या उनमें बताई गई जानकारी सरकार द्वारा अधिकृत माध्यम के अधीन दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) **जेन्स फाइटिंग शिप्स** एक लोकप्रिय प्रकाशन है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की नौसेनाओं के संबंध में जानकारी बताई गई है। अन्य देशों की नौ सेनाओं की भांति भारतीय नौसेना में भी यह प्रथा रही है कि प्रकाशन हेतु हर वर्ष जानकारी प्रदान होती रहे।

होशंगाबाद का उपनिर्वाचन

*१५५१. **श्री जांगड़े** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में लोक-सभा का उप-निर्वाचन कब होगा ; और

(ख) क्या इस निर्वाचन की तिथि निर्धारित करते समय उक्त निर्वाचन क्षेत्र की यातायात संबंधी कठिनाइयों और उन कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया है जो नदियों में बाढ़ और वर्षा आदि के कारण पैदा हो जाती हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अन्तिम निर्णय तो अभी नहीं किया है किन्तु अस्थायी तौर पर उसने यह निश्चय किया है कि यह उप-निर्वाचन दिसम्बर, १९५८ के मध्य में किसी समय किया जाये।

(ख) जी, हां।

राजस्थान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

*१५५२. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान

†मूल अंग्रेजी में

में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों के लिये इन जातियों की वर्तमान बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में दी जाने वाली धन राशि बढ़ाने के लिये जो ज्ञापन दिया था उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्य सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के मातहत अधिकतम निर्धारित की गई रकम को बढ़ाया जाये । उसने केवल केन्द्र द्वारा संचालित योजना के लिये ही यह मांग की है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना में तो आधा खर्च उसे स्वयं अपने साधनों में से ही करना पड़ता है । राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या बढ़ जाने के बावजूद भी केन्द्र द्वारा संचालित योजना की निर्धारित रकम को निम्नलिखित कारणों से नहीं बढ़ाया जा सकता है :—

(क) केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के लिये जो रकम उपलब्ध थी वह पहले ही विभिन्न राज्यों के लिये निर्धारित कर दी गई है और अब किसी राज्य की निर्धारित रकम में कमी किये बिना किसी दूसरे राज्य की रकम को बढ़ाना संभव नहीं है ।

(ख) यद्यपि राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जन-संख्या बढ़ी है लेकिन पिछड़े वर्गों की कुल जन-संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि यह बढ़ोतरी पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों या आदिम जातियों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित करने से हुई है । इसलिये इसका इलाज यही है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित ६९ करोड़ रुपये की रकम को उनकी संख्या में हुई कमी के अनुपात से घटा दिया जाये और इसे अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित रकम में जोड़ दिया जाये ।

(ग) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वर्तमान निर्धारित रकम को ही खर्च नहीं कर पाई है । उससे कहा गया है कि वो केन्द्र और राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के शुरू के दो सालों में बची रकम और चालू वर्ष की रकम को खर्च करें ।

ओपन हर्थ ब्लास्ट फर्नेस[1]

†१५५३. { **श्री गोरे :**
श्री जाधव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चीनी पद्धति के आधार पर छोटे पैमाने में ओपन हर्थ ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की सम्भावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Open Hearth Blast Furnaces

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये चीन में कई सहस्त्र छोटे छोटे ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। उसी प्रकार की भाट्टियां भारत में स्थापित करने की संभावना और उनकी मितव्ययता का प्रश्न आजकल विचाराधीन है।

अन्दमान द्वीप के अस्पतालों में रोगियों के रखे जाने के लिये स्थान

†*१५५४. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में अस्पताल के रोगियों के रखे जाने के लिये स्थान है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अस्पतालों में "पलंगों" में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं।

(ख) (१) पोर्ट ब्लैयर अस्पताल में "पलंगों" की संख्या ७५ से बढ़ाकर १७५ कर देने का विचार है। इस विषय की योजनायें और प्राक्कलनों की परिनिरीक्षा की जा रही है।

(२) कार नीकोबार में अस्पताल में "पलंगों" की संख्या बढ़ाकर ५० कर दी जायेगी। प्राक्कलन स्वीकार कर दिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(३) रनगात में २० "पलंग" वाले एक अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है।

(४) मायाबन्दर में ४० "पलंगों" के एक अस्पताल के संबंध में प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

खनिज पदार्थों का संभरण

†*१५५५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में खनिज संभरण करने का एकाधिकार राज्य व्यापार निगम को दिया गया है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी नहीं। फिर भी लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क आवश्यकतानुसार राज्य व्यापार निगम की मार्फत खरीदने का विचार है।

पद सुरक्षित रखना

*१५५६. **श्री पाइका मुर्मू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का ध्यान रखने के लिये कि केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित पदों की सूचना उम्मीदवारों के पास समय पर पहुंच जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : रिजर्व किये गये खाली स्थानों की सूचना का एडवर्टाइजमेंट बहुत से अंग्रेजी और हिन्दी के अखबारों में (जिनकी संख्या फिलहाल ३० है) दिया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी जानकारी मिल सके। ऐडवर्टाइजमेंट की प्रतियां रीजनल और लोकल काम दिलाऊ दफ्तरों को भेज दी जाती हैं और यदि उनके पास कोई उम्मीदवार न हो तो डायरेक्टोरेट जनरल आफ रिसेटिलमेंट एंड एम्पलायमेंट को लिखा जाता है जिसके पास

†मूल अंग्रेजी में

सारे हिन्दुस्तान के अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की लिस्ट रहती है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो उन मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भी सलाह ली जाती है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की देखभाल करती हैं।

भारत इंश्योरेंस कम्पनी और जुपिटर इंश्योरेंस कम्पनी

†*१५५७.. **श्री नौशीर भरूचा** : : क्या **वित्त** मंत्री अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ और तत्संबंधी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड और जुपिटर जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के सीमित व्यवसाय को लेने में निश्चित कानूनी कठिनाइयां क्या-क्या हैं ; और

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) विभिन्न कानूनी कठिनाइयों में मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं :—

(१) **भारत इंश्योरेंस कम्पनी**

(१) डाइरेक्टरों के वैध बोर्ड का अभाव जिसे 'नियंत्रित व्यवसाय' के स्थानान्तरण के पश्चात् समवाय का प्रबन्ध पुनः सौंपा जा सके।

(२) दिल्ली की कुछ जायदाद और कम्पनी द्वारा किये गये कुछ समझौतों के बारे में विवाद है।

(३) कुछ मूल पुस्तकें और कागज पत्र पुलिस के कब्जे में हैं अतः प्रशासक बीमा अधिनियम, १६५६ की धारा १०६ के अधीन पूर्व प्रबन्धकर्ताओं से देय रकम निश्चित नहीं कर सका है।

(२) **जुपिटर इंश्योरेंस कम्पनी**

(१) डाइरेक्टरों के वैध बोर्ड का अभाव जिसे 'नियंत्रित व्यवसाय' के स्थानान्तरण के पश्चात् समवाय का प्रबन्ध पुनः सौंपा जा सके।

(२) पूर्व प्रबन्धकर्ताओं द्वारा समवाय के फंड से ६३,००० शेअरों की कथित खरीद के नियंत्रणकर्त्ता ब्लाक के पट्टे से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) न्यायालय में विचाराधीन मामलों के अतिरिक्त अन्य बातों के विषय में प्रशासक और संबंधित पार्टियों में इन्हें हल करने के लिये बातचीत चल रही है।

वनस्पति

†१५५७-क. { **पंडित ठाकुर दास भार्गव** :
श्री ब० द० मिश्र :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ३ मार्च, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति में मिलाने के लिये किसी उपयुक्त रंग की खोज हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जी नहीं ।

गुम्मिडीपुंडी में युद्धास्त्र डिपो का बन्द होना

†*१५५८. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुम्मिडीपुंडी स्थित डिपो बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने से कितने व्यक्ति प्रभावित हुये हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है ; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों को नियोजित करने के अभिप्राय से अबाडी स्थित डिपो का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां, आंशिक रूप में ।

(ख) डिपो का कुछ भाग बन्द करने से २४३ व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) सभी २४३ व्यक्तियों को जो प्रभावित हुये थे उन्हें वैकल्पिक नियुक्तियां जितनी उपलब्ध थीं दी गईं ; २४३ कर्मचारियों में से ४७ कर्मचारियों नें वैकल्पिक नियुक्तियां अस्वीकार कर दीं ।

(घ) जी नहीं ।

"साउथ चाइना एथलेटिक एसोसियेशन टीम"

†*१५५९. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री वें० प० नायर : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारतीय फुटबाल एसोसिएशन ने "साउथ चाइना एथलेटिक एसोसिएशन टीम" को बम्बई और कलकत्ता में प्रदर्शन मैच खेलने के लिये आमंत्रित किया है ;

(ख) इन खेलों के लिये वित्तीय प्रबन्ध किस प्रकार किया गया है ; और

(ग) इन खिलाड़ियों की क्या राष्ट्रीयता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस टीम के सदस्य राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में आये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलीगुड़ी में तिलक मैदान

†*१५५९-क. : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलीगुड़ी में 'तिलक मैदान' के नाम से पुकारा जाने वाला एक स्थान, जो इस शीघ्र बढ़ने वाले टाउन में कई वर्षों से एक मात्र सार्वजनिक मैदान रहा है, भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा ले लिया गया है ;

(ख) क्या तब से अनेक तयशुदा मैच रद्द कर दिये गये और जनता की भावनाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया है ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त मैदान पर अधिकार करने के आदेश को रोकेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तिलक मैदान सिलीगुड़ी में एक सैनिक शिविर स्थल है और भारत सरकार का प्रतिरक्षा मंत्रालय इसका अधिस्वामी है । अतः प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा इस स्थान को लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ख) सरकार को इस विषय में जानकारी केवल पिछले सप्ताह सिलीगुड़ी के स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी और यंगमेंस एसोसिएशन के सेक्रेटरी द्वारा दिये गये तार द्वारा मिली है ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुये यह समझा जायेगा कि सेना को अपने कार्य के लिये अपनी जमीन प्रयुक्त करने का अधिकार है और रोक आदेश जारी करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मनीपुर क्षेत्रीय परिषद का बजट

†*१५५९-ख. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८—५९ के लिये मनीपुर राज्य क्षेत्रीय परिषद् का बजट परिषद् द्वारा पारित नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् द्वारा अपना बजट पारित करने में असमर्थ रहने के कारण परिषद् की कोई योजना अथवा उसके सामान्य कार्य रद्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) परिषद् के सामान्य कार्य करने में उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) बजट परिषद् के सामने रखे गये थे किन्तु सभी मांगें अस्वीकृत कर दी गईं ।

(ख) जहां तक भारत सरकार को मालूम है परिषद् द्वारा बजट पारित करने में असफल रहने में असफल रहने के फलस्वरूप परिषद् की कोई योजना अथवा सामान्य कार्य रद्द नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) 'कठिनाई दूर करने का एक आदेश' जारी किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत प्रशासक को यह शक्ति दी गई है कि १९५८-५९ में परिषद् द्वारा यथा समय बजट प्राक्कलन स्वीकार करने तक राज्य क्षेत्रीय परिषद् को उस वित्तीय वर्ष में परिषद् निधि (कौंसिल फंड) से खर्च करने का अधिकार दे दिया जाये। प्रशासक को बजट की विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करने के लिये तारीखें निश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है।

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण

†*१५६०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) भारत में रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ने १९५७-५८ में कितना अल्प कालीन ऋण और मध्यम कालीन ऋण दिया—प्रत्येक राज्य तथा राज्य क्षेत्र के आंकड़े अलग-अलग बताये जायें ;

(ख) क्या इस बारे में कोई पूछताछ की गई है कि क्या राज्य सहकारी बैंको ने इन ऋणों और पेशगियों का प्रयोग उसी काम के लिये किया जिसके लिये ये दिये गये थे; और ।

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) मैं सभा-पटल पर दो विवरण रखती हूं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ख) और (ग). राज्य सहकारी बैंकों के निरीक्षण के समय प्रायः रिजर्व बैंक इसकी जांच करता है। मध्यम-कालीन ऋणों के बारे में बैंक रिजर्व बैंक त्रैमासिक विवरण भेजते हैं, जिनमें यह बताया गया होता है कि उन राशियों को किस प्रकार प्रयुक्त किया गया।

फोरमेन और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण

†*१५६१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् ने फोरमेन और सुपरवाइज़रों में प्रशिक्षण की योजना का अनुमोदन और उसकी सिफारिश की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या १९५८-५९ में योजना कार्यान्वित की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) मकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग के लिये सुपरवाइज़रों के प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता में एक संस्था स्थापित की जा रही है।

मद्रास में एक और केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद की प्रादेशिक समितियां अन्य स्थानों पर उद्योग के सहयोग से और केन्द्र खोलने के प्रश्न की जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

†*१५६२. श्री राम कृष्ण :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री मं० वें० कृष्ण राव :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की समस्त उपलब्ध सामग्री एकत्र कर ली गई है ;

(ख) इसे किस अभिकरण द्वारा एकत्र किया गया है ; और

(ग) इतिहास को तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) बहुत सी सामग्री एकत्र कर ली गई है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सभी संगत सामग्री हमारे पास है ।

(ख) यह स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास के सम्पादक बोर्ड द्वारा मुख्य राज्य सरकारों से और भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एकत्र की गई थी ।

(ग) डा० तारा चन्द नें हमें बताया है कि उन्हें आशा है कि इतिहास का पहला खंड मई, १९५९ तक पूरा हो जायेगा ।

वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प की क्रियान्विति

†*१५६३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक नीति संबंधी संकल्प को सभा-पटल पर रखने के पश्चात् उनमें उल्लिखित बातों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वैज्ञानिकों और टेक्नालोजिस्टों की सेवा शर्तों में किस प्रकार और किस हद तक सुधार किया गया अथवा करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). १८ और १९ जुलाई, १९५८ को वैज्ञानिक नीति संबंधी संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों का सम्मेलन किया गया और एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें सम्मेलन की सिफारिशें दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ५९]** सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

'यूनेस्को' प्रादेशिक गोष्ठियां

†*१५६४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को भारत में दक्षिण और पूर्व एशिया के लिये दो गोष्ठियों का आयोजन करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन गोष्ठियों में कौन-कौन से विषयों पर चर्चा की जायेगी ; और

(ग) ये गोष्ठियां कब होंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

'यूनेस्को' न भारत में दक्षिण और पूर्व एशिया के लिये निम्नलिखित दो गोष्ठियों का आयोजन किया है :—

(१) दक्षिण और पूर्व एरिया के लिये शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में गोष्ठी ।

(२) आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिये दृश्य सहायक वस्तुओं संबंधी गोष्ठी ।

प्रथम गोष्ठी नई दिल्ली में २५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८ तक हुई और दूसरी गोष्ठी नई दिल्ली में ८ से २७ सितम्बर, १९५८ तक हो रही है ।

कोयले का उत्पादन

†*१५६५. **श्री विमल घोष** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेक्टर में कोयला उत्पादन के लक्ष्य का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नाटक गोष्ठी

†१५६६. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा नाटक गोष्ठी की रिपोर्ट भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जिन सिफारिशों पर सरकार को कार्रवायी करना था उन्हें संगीत नाटक अकादमी ने इस मंत्रालय के विचार के लिये भेज दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जरूरी कार्रवायी के लिये सिफारिशें मुनासिब अधिकारियों के पास भेज दी गई है।

तेल शोधक कारखानों का मुनाफ़ा

†*१५६७. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) भारत में तीन तेल शोधक कारखानों ने १९५७ में कितना मुनाफा कमाया ;

(ख) उस वर्ष इन समवायों का शुद्ध लाभ कितना था ; और

(ग) क्या इन समवायों ने १९५७ के सन्तुलन पत्र भारतीय प्राधिकारियों के पास भेज दिये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). तेल समवायों द्वारा दी गई जानकारी दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ग) अभी नहीं। वे शीघ्र ही समवायों के रजिस्ट्रार के पास जमा करा देंगे।

रूरकेला में डीसिलीकोनाइजिंग प्लांट

†*१५६८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने सरकार को राय दी है कि रूरकेला में डीसिलिकोनाइजिंग प्लांट लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव कब दिया गया था ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर १९५५ में।

(ग) क्योंकि डीसिलीकोनाइजिंग प्लांट की आवश्यकता के संबंध में मतों में अन्तर है इस लिये कारखाने के चालू होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) लगभग २ लाख रुपये।

दक्षिणी जोन

†*१५६९. **श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी जोन के लिये रिजनल पावर ग्रिड का मामला दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् द्वारा स्थापित की गई समिति को सौंपा गया है ; और

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत करेगी और परिषद द्वारा विचार करने के पश्चात् कार्यवाही का व्योरा संसद् के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा।

आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१५७०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड का हाल ही में जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है क्या उसमें किये गये प्राकृतिक गैस के उत्पादन की मात्रा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो संचित मात्रा का अनुमान क्या है ; और

(ग) घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिये यह कब उपलब्ध हो जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). आसाम आयल कम्पनी ने जो निर्धारण किया उसके आधार पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन ३२० लाख घन फुट प्रति दिन है। अभी तेल क्षेत्रों की संचित मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजनायें सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परामर्शदाता कर रहे हैं। जब तक कोई निश्चय नहीं हो जाता तब तक यह बताना सम्भव नहीं कि घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल के लिये किस तिथि से इसका संभरण आरम्भ होगा।

सेना का द्वितीय नौ-प्रांगण

†*१५७१. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के लिये द्वितीय नौ-प्रांगण की स्थापना के लिये चिल्का झील का विकास करने की संभावना पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) सेना के लिये द्वितीय नौ-प्रांगण बनाने के लिये चिल्का झील का उपयोग करने की सम्भावना पर सविस्तार विचार किया गया था परन्तु यह स्थान उपयुक्त नहीं समझा गया।

इस्पात के कारखाने

†*१५७२. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन वर्तमान कारखानों के विस्तार की सम्भावना और इसमें बचत के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). साधारणतः 'ब्लूमिंग मिल' के आकार पर इस्पात के कारखाने का आकार निर्भर करता है। इस दृष्टि से भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों में कुछ वृद्धि करके उनका १२·५ से १३·० लाख टन तक विस्तार किया जा सकता है। रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार १६·० लाख टन तक किया जा सकता है।

भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के नक्शों में यह उपबन्ध किया गया है कि बाद में इनकी क्षमता २५ लाख टन कर दी जायेगी। रूरकेला में, क्षमता को दोगुना करने की सम्भावना है परन्तु यह विचार करना है कि उस क्षेत्र में उपलब्ध कच्ची सामग्री से इतना बड़ा कारखाना मितव्ययतापूर्ण चलाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन

१५७३. **श्री जांगड़े** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रविधिक टेक्निकल कठिनाइयों के कारण मध्य प्रदेश विधान परिषद् का निर्वाचन अभी तक नहीं हो सका, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस): (क) जी नहीं, इस बारे में कोई भी प्रविधिक कठिनाई नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने सुझाव दिया है कि उस राज्य से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों की सूची जैसी कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की चौथी अनुसूची में दी गई है, इस प्रकार से संशोधित की जानी चाहिये जिससे "मंडल पंचायतें" के स्थान पर "केन्द्र पंचायतें" शब्द प्रतिस्थापित हो जाए ताकि नयी विधान परिषद् की रचना के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन संशोधित सूची के आधार पर किया जा सके।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० को कई अन्य बातों के साथ उपरोक्त प्रयोजन के लिये भी संशोधित करने के लिये एक बिल संसद् के इस चालू सत्र में १९ सितम्बर, १९५८ को पेश कर दिया गया है।

सैन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, छेवकी

†*१५७४. { **श्री स० म० बनर्जी** : **श्री तंगामणि** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल आर्डनेंस डिपो, छेवकी में स्थानीय खरीद में हुई कुछ बेकायदगियों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच किस प्रकार की जा रही है; और

(ग) क्या मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). पूर्वी कमान मुख्यालय ने इसकी जांच करने के लिये जांच न्यायालय नियुक्त करने का आदेश दिया है कि केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो,

---

†मूल अंग्रेजी में

छेवकी द्वारा स्थानीय खरीद करते समय किन परिस्थितियों में प्रक्रिया संबंधी बेकायदगियां की गईं। जांच न्यायालय ने जांच समाप्त कर ली है और कार्यवाही के विवरण छानबीन की जा रही है ।

पुलिस विभाग में गैर-सरकारी खोजी

***१५७५. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पुलिस विभाग चोरी, डकैती आदि करने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों तथा अनुभवी गैर-सरकारी खोजियों की सेवाओं से भी लाभ उठाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकार की नौकरी में ऐसे कितने विशेषज्ञ हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्र सीमा शुल्क नियम पुस्तिका

†*१५७६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९५५ तक तैयार की गई समुद्र सीमा शुल्क नियम पुस्तिका का नवीनतम संस्करण अब भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ जो उसे जनता को दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो नियमों को नियमित रूप से लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां । नियम पुस्तिका के वर्तमान संस्करण—जो कि छपा है—को शुद्धि पत्र जारी करके ठीक रखा जाता है । ३० जून, १९५७ तक की अवधि के लिये दो शुद्धि पत्र सामान्य विक्रय के लिये दिये जा चुके हैं । ३० जून, १९५८ तक के तीन शुद्धि पत्र छप रहे हैं ।

(ख) नियम पुस्तिका का अगला संस्करण लगभग तैयार हो चुका है और अगले वर्ष मुद्रणालय को भेज दिया जायेगा । आशा है कि इसकी प्रतियां १९५९ के प्रारम्भ में लोग खरीद सकेंगे ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†*१५७७. श्री दलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई संस्था बनाई है कि अस्पृश्यता अनुसूचित निवारण और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं को दी गई राशि का दुरुपयोग न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का व्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६१]**

†मूल अंग्रेजी में ।

तेल के लिये छिद्र करना

†*१५७८. श्री राम कृष्ण :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल्मीकि :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:
श्री सरजू पांडे :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो ।

(क) १९५८ में (३१ अगस्त तक) कितने और किन किन स्थानों पर तेल के लिये छिद्र किये जा रहे हैं और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसी अवधि में कितने और किन-किन स्थानों पर सफलता न मिलने के कारण छिद्र करने का काम बन्द कर दिया गया ;

(ग) क्या छिद्र करने का काम बन्द करने से पूर्व भारतीय इंजीनियरों की राय ली गई थी;

(घ) क्या "फील्ड-सीज़न" (१९५८–५९) में सरकार किसी नये क्षेत्र में तेल की खोज करेगी ;

(ङ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष में तेल के लिये की गई खुदाई पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कितना खर्च किया ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ङ). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(च) नवीनतम आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

इस्पात कारखानों के इंजीनियरिंग ठेके

†*१५७९. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समवाय का स्तर और अनुभव क्या हैं जिन्हें 'ब्लास्ट फर्नेस'[1], इस्पात को ढालने और अन्य सहायक कामों के ३ करोड़ रुपये से अधिक के ठेके दिये गये हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त समवाय को दिये गये ठेके सफल रहे और समय पर काम पूरा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना विलम्ब हुआ और काम में क्या त्रुटि रही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blast Furnace

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वह पुराने और अनुभवी ठेकेदारों का एक समवाय है जिन्होंने देश भर में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य किया है और इस समय भी कर रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा, मद्रास, पत्तन न्यास, लोक निर्माण विभाग, आंध्र प्रदेश; रेलवे; स्टैनवेक रिफाइनरी, बम्बई आदि।

(ख) और (ग). कार्य अभी हो रहा है। सामान्यतः पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है।

आदिवासियों का धर्म परिवर्तन

†*१५८०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया जो ९ जुलाई, १९५८ के **'आनन्द बाजार पत्रिका'** में प्रकाशित हुये कि पश्चिमी बंगाल में विशेष कर पश्चिमी दीनाजपुर में ईसाई धर्म-प्रचारक निरक्षर आदिवासियों को मजबूर करके उन्हें ईसाई बना रहे हैं ;

(ख) क्या बिहार राज्य में भी विशेष कर छोटा नागपुर डिवीजन में इस प्रकार लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में सायंकालीन कालेज

†*१५८१. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने दयाल सिंह कालेज न्यास को दिल्ली में पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कालेज के स्थान पर सायंकालीन कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालेज, दिल्ली के कितने छात्र और कर्मचारी उस कालेज में लिये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कालेज के स्थान पर जो चार कालेज खोले गये हैं उनमें से एक दयाल सिंह कालेज न्यास का कालेज भी उसी में है। दयाल सिंह कालेज किसी छात्र को नहीं लेगा क्योंकि कैम्प कालेज प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बन्द हो जायेगा। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि दयाल सिंह कालेज न्यास को कितने कर्मचारियों और अध्यापकों की आवश्यकता होगी और उन में से कितने कैम्प कालेज के कर्मचारियों में से लिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास को लोहे और इस्पात का संभरण

†*१५८२. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७–५८ में मद्रास राज्य को लोहे और इस्पात की मांग की तुलना में संभरण बहुत ही कम किया गया; और

(ख) सरकार ने राज्य की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) देश में इस्पात की कमी को देखते हुये मद्रास को दिया गया संभरण असन्तोषजनक नहीं था ; और

(ख) देश में तैयार इस्पात के उत्पादन से १९६० तक १३ लाख टन से बढ़ा कर ४५ लाख टन करने के लिये कार्यवाही की गई है । यदि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गई तो देशीय संभरण की कमी को पूरा करने के लिये इस्पात का आयात किया जायेगा ।

दिल्ली जल संभरण जांच समिति

†*१५८३. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में जल संभरण में हुई गड़बड़ की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(१) जिस कुयें से यमुना नदी की धारा से पानी लिया जाता था उस धारा में पानी कम हो जाने के कारण पीने के पानी के संभरण का संकट पैदा हुआ था । असाधारण रूप से एक लम्बे अर्से तक नदी में बाढ़ के परिणामस्वरूप जिस धारा से कुयें में पानी आता था उस के मार्ग में रेत भर जाने के कारण बाधा उत्पन्न हो गई थी ।

(२) यह संकट अपरिहार्य था पर जितनी कठिनाई हुई है उसे कम किया जा सकता था ।

(३) जहां तक उत्तरदायित्व का सवाल है समिति ने बताया है कि पूरा प्रयत्न करने के बाद भी समिति की उपपत्तियां अन्तिम नहीं हैं । समिति ने सिफारिश की है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये अधिक विस्तृत और ब्योरेवार जांच की जाये ।

(४) चालू मौसम में यमुना में बाढ़ आने के कारण जल संभरण का ऐसा संकट दोबारा न पैदा हो जाये इसलिये समिति ने कुछ तत्कालिक और अल्पकालीन कार्यवाही की सिफारिश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†*१५८३-क. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विधान तथा कार्यों में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह मामला विचाराधीन है।

नगरीय समाज कल्याण केन्द्र

†२६०१. **श्री हेमराज :** क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१११ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने नगरीय समाज कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ख) पिछले दो वर्षों में हर एक राज्य में और हर जिले में कितने केन्द्र खोले हैं; और

(ग) ये किन रोजगारों के लिये खोले गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). बम्बई उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल , मैसूर, बिहार, पश्चिम बंगाल, तथा जम्मू और काश्मीर राज्य सरकारों के उत्तरों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। उनसे फिर से यह प्रार्थना की कि वे अपेक्षित जानकारी जल्द भेज दें ।

मैसूर के स्मारक

†२६०२. **श्री सिदय्या :** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११८ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें मैसूर राज्य के मंदिरों, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के नाम दिये हों और १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ आदि में उनके संरक्षण के लिये निर्धारित रकम दी हो ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : लोक सभा के पुस्तकालय में एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये अनुक्रमणिका संख्या एल टी ९५३/५८]**

अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†२६०३. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता मुफ्त में देने के लिये १९५७-५८ में बम्बई राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी रकम निर्धारित की गई थी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये वास्तव में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) चूंकि १९५७–५८ में अनुसूचित आदिम-जातियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की कोई योजना बम्बई सरकार ने नहीं चलाई अतएव उसे इस प्रयोजन के लिये कोई रकम बांट में नहीं दी गई ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई में आदिवासी

†२६०४. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदि वासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की पुनरीक्षित योजना बम्बई सरकार से प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये बम्बई सरकार की वित्तीय आवश्यकतायें कितनी हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां। राज्य के क्षेत्र में आने वाली अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये एक पुनरीक्षित योजना प्राप्त हो गई है ।

(ख) १६१.९१६ लाख रुपये ।

बम्बई उच्चन्यायालय

†२६०५. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में अलग अलग बम्बई राज्य के उच्च न्यायालय में कुल कितनी लेख याचिकायें दायर की गई हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ष की अलग अलग कितनी याचिकायें अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ग) १९५६–५७ में याचिकाओं के निपटान में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) बम्बई उच्च न्यायालय में १९५६–५७ और१९५७–५८ में क्रमशः १८९० और १७३६ याचिकायें दायर की गई थीं ।

(ख) इनमें से क्रमशः ११८ और १२६ अभी भी विचाराधीन हैं ।.

(ग) १९५६–५७ की सभी ११८ लेख-याचिकायें दीवानी मामलों से सम्बन्धित हैं । अधिकांश मामलों में पेशी की तारीख बढ़ा दी गई हैं । कुछ मामले इस लिये निलम्बित हैं क्योंकि उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई है और उसका निर्णय नहीं हुआ है । कुछ मामले नागपुर के खंड न्यायालय में इसलिये विचाराधीन हैं कि उन पर उच्च न्यायालय के सम्पूर्ण भाग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । अब उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया है और अब ये मामले नागपुर के खंड न्यायालय द्वारा शीघ्र ही निपटा दिये जायेंगे ।

पुलिसमेन

†२६०६. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के आधीन ऐसे कितने पुलिसमेन काम कर रहे हैं जिन्हें जनवरी—जून १९५८ की अवधि में भ्रष्टाचार के लिये गिरफ्तार किया गया है तथा दंड दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में कितने पुलिस मेनों की सर्वोत्कृष्ट कुशल सेवा के लिये इनाम दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : (क) दो पुलिस मेन गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से एक को दंड दिया गया है ।

(ख) ११२२.

केन्द्रीय सचिवालय में स्थानापन्न नियुक्तियां

†२६०७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय शीघ्र लेखक सेवा में ऐसी कितनी स्थानापन्न नियुक्तियां हुई हैं जिन पर लोग तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा (प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिये) उपर्युक्त सेवाओं के लिये योग्य घोषित किये गये व्यक्तियों को इन स्थानापन्न कर्मचारियों के बदले में रखा जायेगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय की उक्त सेवाओं में बिना परीक्षा के लोगों को भर्त्ती करने की कोई संख्या निश्चित है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी तुरंत नहीं मिल सकती ।

(ख) केवल उन्हीं अयोग्य पाये गये शीघ्र लिपिकों के स्थान पर योग्य उम्मीदवारों को रखा जायेगा जिनकी नियुक्तियां अन्तःकालीन थीं ।

(ग) शीघ्र लेखकों की निम्नतर श्रेणी में नियुक्तियां परीक्षा के आधार पर की जाती हैं परन्तु ऊंची श्रेणी में पदोन्नतियां परीक्षा द्वारा न हो कर चुनाव द्वारा होती हैं ।

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किये गये कुछ थोड़े से अपर डिवीजन क्लर्कों को छोड़ कर सभी क्लर्कों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के नियुक्त किया गया है चाहे उन्हें अपर या लोअर किसी भी डिवीजन में नियुक्त क्यों न किया गया हो ।

भिलाई इस्पात परियोजना में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

२६०८. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना में अब तक श्रेणी २ और श्रेणी ३ के पदों पर अनुसूचित जातियों के कितने लोगों को भर्ती किया गया और उनमें से कितनों को घर दे दिये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने परियोजना के प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों के लिये पद रक्षित करने का निदेश दे दिया है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भिलाई इस्पात परियोजना में अब तक भर्ती किये गये श्रेणी २ और श्रेणी ३ के पदों पर अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या ३३ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को दिये गये घरों की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि घरों का बंटन इस भेदभाव पर आधारित नहीं है।

(ख) जी, हां, अनुसूचित जातियों के लिये पद रक्षित करने के, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों का निदेश दे दिया गया है।

केरल राज्य बैंक की स्थापना

†२६०९. **श्री वारियर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडो मरकेन्टाइल बैंक, कोचीन, एरणाकुलम (केरल राज्य) के हिस्सेदारों का इस सम्बन्ध का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उक्त बैंक को त्रावनकोर बैंक लिमिटेड में मिला दिया जाये ;

(ख) क्या केरल में केरल राज्य बैंक स्थापित करने और उसमें इंडो मरकेन्टाइल बैंक, कोचीन को मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) अखिल केरल बैंक कर्मचारी संघ ने यह सुझाव देते हुये एक अभ्यावेदन किया है कि इंडो मर्केन्टाइल बैंक को या तो भारत के राज्य बैंक में या त्रावनकोर बैंक में मिला दिया जाये। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिये इंडो मर्केन्टाइल बैंक की साधारण सभा की बैठक बुलाने वाली सूचना की प्रतियां एक गैर-सरकारी हिस्सेदार द्वारा कुछ समय पहिले समवायों के पंजीयक, त्रिवेन्द्रम तथा भारत के रिजर्व बैंक को भेजी गई थीं।

(ख) जी, नहीं। इस संघ ने १९५७ में एक ऐसा सुझाव भेजा था कि केरल में राज्य से सम्बद्ध सभी बैंकों को मिला कर केरल राज्य बैंक बना दिया जाये।

(ग) चूंकि बैंकों के एकीकरण अथवा पुनर्संगठन का मामला, प्रबन्धकों और हिस्सेदारों पर पूर्णतः निर्भर है अतएव भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा उच्चन्यायालय में आयकर के मुकदमे

†२६१०. **श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में उड़ीसा उच्च न्यायालय में आयकर के कितने मुकदमे स्वीकार किये गये थे ; और

(ख) अब तक इन मुकदमों में से कितनों का फैसला हो चुका है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में ९

(ख) इन में से अब तक १ मुकदमे का फैसला हुआ है।

उड़ीसा राज्य में लघु बचत योजना

†२६११. **श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक उड़ीसा राज्य में लघु बचत योजना के अंतर्गत किनी रकम जमा हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : जनवरी से अगस्त १६५८ तक की अवधि में उड़ीसा राज्य में जमा की गई कुल राशि लगभग ६७ लाख रुपये है ।

भारत से विदेशों को और विदेशों से भारत को धन भेजा जाना

†२६१२. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने देश हैं जो अपने विदेशी मुद्रा नियंत्रक प्राधिकार की मंजूरी लिये बिना ही बैंकों के जरिये भारत को सीधे ही धन भेजते हैं; और

(ख) किन देशों को भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति लिये बिना ही भारत से धन भेजे जा सकते हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। अधिकांश देशों में किसी न किसी प्रकार का विदेशी मुद्रा नियंत्रण है। परन्तु कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जैसे अमेरिका और स्टिजरलैंड जहां से सब देशों को बिना रोक टोक के धन भेजा जाता है । पौंड-पावना क्षेत्र में भी ब्रिटेन तथा ऐसे उपनिवेशों में जो पौंड पावना क्षेत्र में आते हैं दूसरे देशों में रुपया भेजने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इनमें भारत भी शामिल है ।

(ख) रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना चीन, के नेपाल और तिब्बत क्षेत्रों को ही भारत से पैसा भेजा जा सकता है । अन्य देशों के मामलों में विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिबन्ध लागू होते हैं ।

केन्द्रीय वेतन मान

†२६१३. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें केन्द्र के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के वर्ग १ और वर्ग २ के अधिकारियों के वेतन मान दिये हों ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: केन्द्रीय सरकार के अधीन वर्ग १ और वर्ग २ के अधिकारियों के नमूने के वेतन मानों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]** वर्ग १ और वर्ग २ के अधिकारी इन्हीं वेतन मानों अथवा उनके भीतर ही रखे जाते हैं । परन्तु वर्ग १ और वर्ग २ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में जितने अधिकारी हैं उनके वेतन मान की जो जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी है वह एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मनीपुर में आदिमजाति गृह निर्माण योजना

†२६१४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में आदिमजाति गृह निर्माण योजना के लिये १६५७–५८ और १६५८–५६ के लिये कितनी रकम रखी गई है ? ;

(ख) क्या १६५७–५८ के लिये निर्धारित रकम को खर्च कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) सालाना १ लाख रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कारण इस प्रकार हैं :—

(१) नालीदार टीनों की कमी ।

(२) इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के तथा उन गांवों के चुनाव में देर जहां योजना शुरू करनी थी ।

मनीपुर में आदिम जाति के होस्टल

†२६१५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक आदिमजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत मनीपुर में आदिम जातियों के लिये कितने होस्टल खोले गये हैं ;

(ख) आज कल उनमें आदिमजाति के कितने विद्यार्थी रखे गये हैं ; और

(ग) क्या इम्फाल के आदिम जाति होस्टल में पानी बिजली तथा फर्नीचर की व्यवस्था है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अाल्वा) :** (क) प्रश्न से सम्बन्धित वर्षों में आदिमजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आदिमजाति के लिये २८ होस्टल खोले गये हैं।

(ख) लगभग १,१०० ।

(ग) इम्फाल के महिला होस्टल में पानी, बिजली और फर्नीचर की व्यवस्था है तथा पुरुषों के होस्टल में केवल फर्नीचर की व्यवस्था है । प्रशासन द्वारा बिजली तथा पानी की अलग से सुविधा देने की संभावना पर इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि क्या ये दोनों सुविधायें इम्फाल में बिजली तथा पानी के संभरण की वर्त्तमान स्थिति के भीतर ही दी जा सकती हैं।

गवेषणायें

†२६१६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से विश्वविद्यालयों के विभागों तथा स्नात्तकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों द्वारा की गई गवेषणाओं के परिणामों का संकलन हो गया है और क्या उन्हें प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) क्या यह योजना भविष्य में भी जारी रहेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ज्योंही महत्वपूर्ण गवेषणा परियोजनाओं के परिणाम तैयार हो जाते हैं, उनका संकलन कर उन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है ।

(ख)

वर्ष	रकम (रुपये)
१९५६	६७,७६२
१९५७	१,१२,१८३
१९५८ में अब तक	८५,२१७

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना को चालू रखने का प्रस्ताव है ।

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी

†२६१७. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भिलाई इस्पात संयंत्र में कितने स्थायी तथा अस्थाई कर्मचारी हैं; और

(ख) १९५८-५९ में कितने अस्थायी और कितने स्थायी कर्मचारी लिये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वास्तव में रुढ़िगत अर्थ के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र में कोई स्थायी पद नहीं हैं। सीधी भर्ती द्वारा रखे गये व्यक्तियों की संख्या अगस्त १९५८ के अन्त तक ६०१० थी।

(ख) इसी प्रकार १९५८-५९ में ऐसे ही ७६५० व्यक्ति रखने की आशा की जाती है।

इसके अलावा आजकल काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये लगभग १०,००० कर्मचारी और ठेकेदारों द्वारा रखे गये लगभग ४५,००० मजदूर हैं।

महेन्द्रगढ़ में खनिज निक्षेप

†२६१८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महेन्द्रगढ़ जिले में किस सीमा तक निम्नलिखित धातुओं के निक्षेप पाये जाते हैं :—

(क) चूने का पत्थर ;

(ख) लोह अयस्क ;

(ग) तांबा ;

(घ) संगमरमर; और

(ङ) शीशे की रेत (ग्लास सैंड) :

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) चूने का पत्थर महेन्द्रगढ़ जिले में चूने के पत्थर के निक्षेप का पता नहीं लगा है।

(ख) **लौह अयस्क** : ढनोरा-धन चोली—अंतरी बिहारीपुर में अच्छी कोटि का लौह अयस्क है। कुल निक्षेपों का अनुमान १५ लाख टन के लगभग है। इस अयस्क में ६४ प्रतिशत लोहा है और इसमें फासफोरस की मात्रा काफी अधिक है ;

(ग) **तांबा** : तांबा भी महेन्द्रगढ़ जिले में कहीं पाया गया।

(घ) **संगमरमर** : संगमरमर के निक्षेप भी लौह अयस्क के निक्षेपों के पास ढनोरा, धन-चोली, अंतरी बिहारीपुर में ही है। इन की कोटि अथवा मात्रा का अन्दाजा अभी तक नहीं लगाया गया।

(ङ) **शीशे की रेत** (ग्लास सैंड) : काफी अच्छी कोटि की शीशे की रेत (ग्लास सैंड) के निक्षेप महेन्द्रगढ़ जिले के अटेला और कालियाना के पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं। इनका अभी अप्रमाणित अन्दाजा केवल २,००० टन के लगभग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षित बेकार

†२६१९. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राधा रमण :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री कलिका सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित लोगों से बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों में ६,००० शिक्षकों की नियुक्ति की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह क्या हैं; और

(ग) क्या इस पर सभी राज्य सरकारों के मत प्राप्त हो गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४**]

नाटक के विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण

†२६२०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नाटकों के विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में बेसिक स्कूल

†२६२१. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ के उत्तर के संबंध में सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि पंजाब राज्य में १९५७-५८ और १९५८-५९ में खोले गये और खोले जाने वाले बेसिक स्कूलों की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

दो वर्षों की अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है:—

१९५७-५८ : १६ नये बेसिक स्कूल खोले गये तथा २५ में दूसरी और ३० में ७वीं बेसिक ढंग की कक्षाओं को चालू किया गया।

१९५८-५९ : राज्य सरकार द्वारा कोई बेसिक स्कूल चालू नहीं किया गया परन्तु ३० स्कूलों में बेसिक ढंग की ८ वीं कक्षा चालू की गयी।

सीमा विवाद

†२६२२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा विवाद का निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के आस पास के भागों में पक्की सीमा का निर्धारित किया जाना अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्र मंडलीय व्यापार तथा अर्थ सम्मेलन

†२६२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही कनाडा में हुये राष्ट्र मंडलीय व्यापार और अर्थ सम्मेलन में भारत शामिल हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : कनाडा के मोंट्रियल में इस समय हो रहे राष्ट्रमंडलीय व्यापार तथा अर्थ सम्मेलन में भारत शामिल हो रहा है ।

क्योंकि सम्मेलन अभी समाप्त नहीं हुआ अतः (ख) और (ग). भागों के संबंध में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†२६२४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ज़िलेवार तम्बाकू की खेती वाली कुल कितने एकड़ भूमि है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १६५२ से १६५७ तक (वर्षवार) पंजाब में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की कितनी राशि अभी तक प्राप्त नहीं की गयी ; और

(ग) पंजाब में १६५७-५८ में जिलेवार तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की कितनी राशि अभी तक प्राप्त करनी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५**]

संघ राज्य क्षेत्रों के इंजोनियरिंग विद्यार्थी

†२६२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना किसी रूकावट के संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरिंग कालिजों में प्रविष्ट होने की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित किये हैं ; और

(ग) इस प्रकार के कालिजों के नाम क्या हैं जहां कि स्थान सुरक्षित हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६**]

साहित्य **अकादमी**

२६२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी ने १६५७-५८ में कितनी रचनायें प्रकाशित की हैं ;

(ख) अब तक इस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) भविष्य में अकादमी के कार्य में और प्रगति करने के लिये क्या कार्यक्रम अपनाया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क), (ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा है।

(क) साहित्य अकादमी की १६५६-५७ की सालाना रिपोर्ट की एक कापी सभा की लाइब्रेरी में मिल जायेगी। दिसम्बर १६५७ तक की स्थिति इस में दी हुई है। रिपोर्ट में जो "किताबें प्रेस में हैं" कहा गया था वह जनवरी—मार्च १६५८ में छप चुकी हैं उनके नाम नीचे दिये हैं :—

हिन्दी

१. **नारायण राम्रो** (उपन्यास)
लेखक अदिवी बपिराजू ।

२. **आज का भारतीय साहित्य** ।

३. जीवी (उपन्यास : मलेल जिव)
लेखक पन्नालाल पटेल

---

†मूल अंग्रेजी में

मराठी

४. रजवाड़े लेख-संग्रह (रजवाड़े के चुने हुये लेख)
लक्षमण शास्त्री जोशी द्वारा सम्पादित

तेलगू

५. मट्टी मनुशयूलू (उड़िया उपन्यास : मतीर मनीश)
लेखक कालिंदी चरण पानीग्रही ।

(ख) अकादमी पर किया गया खर्च :

	रुपये
१६५४-५५	६७,०६७.४२
१६५५-५६	१,३६,४७०.७०
१६५६-५७	३,२७,६११.६१
१६५७-५८	४,२८,२३३.५७
१६५८-५६ (३१ अगस्त, १६५८ तक)	१,२०,६१७.६२

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान अकादमी की १६५६-५७ की वार्षिक रिपोर्ट की ओर दिलाया जाता है ।

बकाया आयकर की वसूली

†२६२७. **श्री वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम जनवरी से ३० जून, १६५८ तक के काल में बकाया आयकर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: १-१-५८ को बकाया आयकर में से १-१-५८ से ३०-६-५८ तक २४,६१,३४,००० रुपये वसूल किये गये ।

डासडा (कंचनपुर) रोड

†२६२८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के धर्मनगर सब-डिवीजन के स्वस्ति समिति कंचनपुर के डासडा नामक स्थान पर स्वस्ति समिति लिमिटेड ने त्रिपुरा प्रशासन के साथ ठेके पर २५ मील लम्बी सड़क का निर्माण किया है ;

(ख) क्या सत्य है कि यह सड़क प्रयोग के अयोग्य हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** :(क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सड़क केवल १२ फुट चौड़ी है और खुले मौसम में ही चालू रहती हैं। इस पर जो पुल इत्यादि हैं, वे सब अस्थायी हैं। इसलिये वर्षा काल में यह अप्रयोग के अयोग्य हो जाती है।

(ग) स्वस्ति समिति वर्षा काल के पश्चात् इसकी मरम्मत कर देती है और फिर जीपें इत्यादि इस पर चलने लगती हैं। १९४८ में राजा के काल में इस पंजीकृत सहकारी संस्था को १००० ड्रोन अर्थात् ६४०० एकड़ भूमि जिन शर्तों पर दी गई थी उन में एक यह थी कि समिति डासडा (कंचनपुर) से आसाम-अगरताला रोड तक इस प्रकार की सड़क बनायेगी जो कि प्रत्येक ऋतु में चालू रहेगी। जैसे कि अन्य सामान्य सड़कें आवश्यकतानुसार चालू रहती हैं। समिति से कहा जा रहा है कि वह यह आवश्यकता पूरी करे।

हार्ड कोक

†२६२९. **सरदार इकबाल सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्थर हार्ड कोक की मांगों का पुनः अनुमान लगाने के लिये भारत सरकार ने समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या उस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। भारत सरकार ने २० मई, १९५८ को १९६२ तक की हार्ड कोक की कुल मांग का अनुमान लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति यह भी अनुमान लगायेगी कि इस मांग और वर्तमान उपलब्धि में क्या अन्तर रह जायेगा तथा यह भी परीक्षण करेगी कि अपेक्षित अतिरिक्त क्षमता वर्तमान कोक भट्टी संयंत्रों के विस्तार से पूरी होगी अथवा नयी इकाइयों के संस्थापन से।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सांस्कृतिक तथा मनोरंजन की सुविधायें

†२६३०. **श्री संगण्णा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के युवक संघों की समिति ने भारत सरकार को व्यावसायिक कार्यों में लगे युवकों के लिये सांस्कृतिक तथा मनोरंजन की सुविधायों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में परिप्रश्नावलि भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

शक संवत् की तिथिपत्री

†२६३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कि शक सम्बत् की तिथि पत्री लागू कर दी गई है ; और

(ख) उन राज्यों में इसे लागू किये जाने की तिथि क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७**]

बम्बई में लघु बचत संग्रह

†२६३२. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में लघु बचत योजना के अन्तर्गत बम्बई में कितनी धन राशि संग्रह की गई ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : बम्बई राज्य में १९५७-५८ के वर्ष में कुल मिला के लगभग १५$^{1}/_{4}$ करोड़ रुपये एकत्रित हुये ।

दिल्ली की बाढ़ों के लिये समितियां

†२६३३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की बाढ़ों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये दो समितियां नियुक्त की गई हैं ;

(ख) इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक समिति का कार्य क्या है ; और

(घ) अब तक इस समिति ने क्या काम किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). निम्न कार्यों के लिये दो समितियां नियुक्त की गई हैं :—

१. बाढ़ों तथा अन्य ऐसी विपत्तियों के मुकाबले के लिये व्यवस्था करने वाली समिति

निम्नांकित सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई :—

श्री क० च० रेड्डी	प्रधान
पुनर्वास मंत्रालय के सचिव	सदस्य
स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव	सदस्य
दिल्ली के मुख्यायुक्त	सदस्य
दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, श्री पी० आर० नायक	सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार	सदस्य
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर	सदस्य
दिल्ली विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष श्री जी० मुकर्जी	सदस्य
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
दिल्ली नगर निगम के नालियों के इंजीनियर	सदस्य
एक सेना इंजीनियर	सदस्य
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के सचिव	संयोजक

इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(१) भारी वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ों से रक्षा करने के ढ़ंगों पर विचार करना ;

(२) वर्तमान जल निस्सारण तथा नाली व्यवस्था की पर्याप्तिता का परीक्षण कर सुधार के लिये सुझाव प्रस्तुत करना ;

(३) निचली भूमि पर एकत्रित अथवा भूमि के नीचे के पानी से सम्बन्धित समस्या पर विचार करना ;

(४) इमारती दृष्टिकोण से पुलों, बंदों इत्यादि का परीक्षण करना ; और

(५) पम्प जैसी चीज़ों की जो कि आपात के समय आवश्यक होती हैं, व्यवस्था करना ।

२. सहायता समिति :

निम्नांकित सदस्यों की समिति नियुक्त हुई ताकि वह २०, २१ जुलाई की भारी वर्षा के कारण प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी मामलों की देख भाल कर सके ।

श्रीमती अरुणा आसफअली .	प्रधान
पुनर्वास मंत्रालय के सचिव . . .	सदस्य
प्रधान मंत्री के प्रमुख निजी सचिव .	सदस्य
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर	सदस्य
दिल्ली के उपायुक्त .	सदस्य
दिल्ली पुलिस के डी० आई० जी०	सदस्य
डा० एम० एस० चड्ढा, दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक ; और	सदस्य
दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री पी० आर० नायक . .	सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

(१) प्रथम समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति १८ अगस्त, १९५८ को सभा पटल पर रख दी गई थी ।

(२) सहायता समिति के परामर्श से दिल्ली नगर निगम ने निम्न कार्य किये :—

(एक) ४००० सिरकियां, बांसों समेत जरूरतमंद लोगों में वितरण की गई (इसका कुल मूल्य १६,००० रुपये था)।

(दो) १२७ तम्बू और २०९ छोलदारियां भारी क्षति वाले क्षेत्र में लगाई गई ताकि लोगों को आश्रय मिल सके ।

(तीन) वर्षा से प्रभावित बहुत ही गरीब लोगों को निम्न खाद्य पदार्थ दिये गये :

(क) आटा	७० मन
(ख) दालें	१२ मन
(ग) मसाले	१½ मन
(घ) चीनी	४ सेर
(ङ) सूजी, चावल (बीमार महिलाओं के लिये)	४-४ सेर

(चार) पानी और नालियों के रुकने के १६०० मामलों पर ध्यान दिया गया ।

(पांच) भारी क्षति वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण कर खतरनाक मकानों के संबंध में रिपोर्टों का परीक्षण किया गया । ३१३ घरों को गिराया गया तथा १३४६ की मरम्मत के नोटिस दिये गये । जो लोग मकानों इत्यादि के गिर जाने अथवा गिरा देने से बेघर हुये उन्हें झिलमिला तीहारपुर के सरकारी क्वाटरों में रखा गया । कुछ को निष्क्रांत मकानों में भी रखा गया जिसका कि सविस्तार विवरण उपलब्ध नहीं है ।

अंडमान पुलिस

†२६३४. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५७ से लेकर आज तक अन्डमान और निकोबार पुलिस से सेवा निवृत होने वाले असिसटेंट सब-इन्सपैक्टरों की संख्या कितनी है और वे किस राज्य के मूल निवासी थे ;

(ख) असिस्टैंट सब इंसपैक्टर तथा इससे ऊपर की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें इस काल में भारत से भेजा गया ;

(ग) वे कौन से राज्य से आये ; और

(घ) उनका पिछला पद क्या था तथा अन्डमान में बदली होते समय उनका पद क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) १-१-५७ से आज तक पांच पुलिस अधिकारी सेवा निवृत्त हुये, वे पांचों पंजाब के थे।

(ख) और (ग). तीन अधिकारी मद्रास राज्य के थे।

(घ) उनके पहले पद और अन्डमान में बदली पर पद निम्न प्रकार थे :

(१) **सर्कल इंस्पैक्टर** : पदधारी पहले स्थायी सब-इंस्पैक्टर था और उसका नाम उन सब-इंस्पैक्टरों की सूची में सम्मिलित था जिन्हें सर्कल इंस्पैक्टर बनाने के लिये उपयुक्त पाया गया था।

(२) **रिजर्व इंस्पैक्टर** : पदधारी स्थायी सारजैंट था और उसका नाम उन सार्जेन्टों की सूची में सम्मिलित था जिन्हें सार्जेन्ट मेजर बनाने के लिये उपयुक्त पाया गया था। मेजर की सूची में सम्मिलित करने के योग्य समझा।

(३) **हैडक्वार्टर्स सब-इंस्पैक्टर** : पदधारी स्थायी हैड कांस्टेबल था और उसने वेलौरा से सब-इंस्पैक्टर का कोर्स पास कर लिया था।

महिलाओं द्वारा तस्कर व्यापार

†२६३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३-५४ से १९५७-५८ तक भारत-पाक सीमा पर कुछ महिलाओं को पंजाब की सीमा पुलिस ने तस्कर व्यापार करते हुये गिरफ्तार किया ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) अब तक जो जानकारी भारत सरकार के पास है उसके अनुसार पंजाब पुलिस तथा सीमा शुल्क पुलिस दल ने १४ महिलाओं को तस्कर व्यापार करते हुये १-१-५७ से ३१-७-५८ तक भारत-पाक सीमा पर गिरफ्तार किया है। इसके बाद के समय की जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इन मामलों का विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्णय किया जाता है :

समुद्र तथा सीमा शुल्क अधिनियम, आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम इन उपबन्धों के अनुसार पकड़ी हुई चीजें जब्त की जा सकती हैं। जब्ती के बदले में जुर्माना किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप में भी सजा दी जा सकती है। यह पकड़े हुये माल की कीमत के तीन गुणा तक अथवा १ हजार रुपये तक हो सकती है। कई मामलों में अपराधियों के विरूद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इन १४ महिलाओं में एक को एक मास की कड़ी कैद की सजा दी जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस०

†२६३६. **श्री साधू राम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सेवा आयोग द्वारा सितम्बर, १९५८ में जो परीक्षा हुई थी उसमें कुल कितनी संख्या में लोग आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० की परीक्षाओं में बैठे ; और

(ख) कुल स्थानों की संख्या कितनी है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये क्रमशः कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सितम्बर, १९५८ में होने वाली आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में कुल ९००४ व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी गई। लन्दन समेत १२ केन्द्रों में १८ सितम्बर से परीक्षा आरम्भ हुई, और अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे।

(ख)

सेवा	भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमित संख्या	रिक्तियां रक्षित स्थान	
		अनुसूचित जातियों के लिये	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये
आई० ए० एस०	५५	१४	५
आई० पी० एस०	४५	९	३

शाहजहांपुर में तेल सर्वेक्षण

†२६३७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर के पास तेल का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप बरेली शाहजहांपुर समेत उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अवसाद की पर्याप्त स्थूलता का पता चला है। परिणामों के बाद भूम्याकर्षण, भूमि चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये। इन सर्वेक्षणों से इन क्षेत्रों में कुछ आसार तो दिखाई दिये हैं। परन्तु इन आसारों से इनकी क्षमताओं का तब तक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं, जब तक कि काफी गहरी खुदाइयों द्वारा उप-धरातल का कुछ पता नहीं चल जाता।

†मूल अंग्रेजी में

देवलाली छावनी

†२६३८. **श्री जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६५६-५७ तथा १६५७-५८ में सैनिक प्रयोजनों के लिये देवलाली छावनी में नं० २ मिलटिरी टैंक ट्रेनिंग सेंटर के पास नासिक जिले में वदनेर-दुमाला में जो ज़मीन पट्टे पर ली गई थी उसका किराया कृषकों के अनेक आवेदनों के बावजूद नहीं दिया गया है ;

(ख) इस भाटक के कब तक अदा कर दिये जाने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी

†२६३६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दुर्गापुर अर्थात् वर्क्स, इस्पात, कोक ओवन ब्लास्ट फर्नेस, रोलिंग मिल्ज़, मैलटिंग शोप्स इत्यादि के ठेकेदार इण्डियन स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी में १३ ब्रिटिश सार्थे मिली हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सार्थ कौन-कौन से हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) दी सीमेंटेशन कम्पनी लिमिटिड, डेवी एण्ड यूनाइटेड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटिड, हैड राइटसन एण्ड कम्पनी लिमिटिड, साइमन-कार्व्स लिमिटिड, वैलमैन स्मिथ ओवन इंजीनियर कोरपोरेशन लिमिटिड, मैट्रोपोलिटन विकर्स इलैकट्रिकल कम्पनी लिमिटेड, ब्रिटिश थोमपसन-होडसटन कम्पनी लिमिटिड, इंग्लिश इलैकट्रिक कम्पनी लिमिटिड, जनरल इलैकट्रिक कम्पनी लिमिटिड, जोज़फ पार्क्स एण्ड संस लिमिटिडं, डोरमन लाँग (ब्रिज एण्ड इंजीनियरिंग) लिमिटिड, दी क्लीवलैंड ब्रिज एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटिड, सर विलियम अरोल एण्ड कम्पनी लिमिटिड ।

विदेशी प्रचारकों की गतिविधियां

†२६४०. { **श्री जाधव** :
श्री प्र० च० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी प्रचारकों द्वारा नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा आसाम में भारत विरोधी भावनाएं उत्पन्न की जा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इस विरोधी प्रचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई। फिर भी जांच की जा रही है। आवश्यकता हुई तो एकत्रित जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल की अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२६४१. **श्री ई० ईयाच्चरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में केरल की अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी कल्याण योजनायों के कार्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उपायुक्त द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) इन रिपोर्टों के सम्बद्ध अंशों की प्रतिलिपियां आवश्यक कार्यवाही व टिप्पणी के हेतू राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

इस्पात की पुनर्बेलन मिलों[1] की लागत

†२६४२. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पास की पुनर्बेलन मिलों की लागत ४८ करोड़ से बढ़ कर ७२ करोड़ हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां। परियोजना प्रतिवेदन के प्राक्कलनों की अपेक्षा पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह वृद्धि

(१) मंगाये गये अतिरिक्त उपकरणों की लागत ;

(२) नमूनों में परिवर्त्तन; और

(३) मजूरी के स्तर, समुद्री भाड़े, देश के भीतर के परिवहन, निर्माण व्यय, और अतिरिक्त फालतू पुर्जों के लिये किये गये उपबन्ध

के कारण हुई है।

वारंगल का रामप्पा देवालयम्

†२६४३. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के बारंगल जिले के रामप्पा देवालम् का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है ;

(ख) इस मन्दिर की वर्त्तमान दशा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rerolling Mills.

(ग) उसके परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ६८]

(ख) यह मन्दिर अच्छी तरह परिरक्षित अवस्था में है।

(ग) वार्षिक और आवश्यकतानुसार समय-समय पर मरम्मत करके और पहरे की व्यवस्था करके इस मन्दिर का परिरक्षण किया जाता है।

चीनी राष्ट्र-जन

†२६४४. **श्री जाधव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में चीनी राष्ट्र-जन आसाम के सीमान्त क्षेत्र में घुसे आ रहे हैं; और

(ख) १९५० में कलकत्ता नगर में कितने मूल चीनी राष्ट्रजन अथवा नागरिक थे और इस समय उनकी संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ।

(ख) १९५० में कलकत्ता नगर में पंजीकृत चीनी राष्ट्रजनों की संख्या ४५८० थी और अब उनकी संख्या ५७३४ है।

ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्र करना

†२६४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्र करने का कार्य फिर बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). ज्वलामुखी के कूप संख्या १ पर छिद्र करने का कार्य १९४४.७ मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद १९-६-५८ को बन्द कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी १८४०वें मीटर पर केसिंग की रस्सी टूट गयी थी और नीचे का १२ मीटर वाला हिस्सा अलग हो गया था और इसमें तथा केसिंग के साबुत हिस्सों में ६ मीटर का अन्तर पड़ गया था इस पर टूटे पाइप को किनारे हटा देने या नीचे को ओर ठोक देने के लिये कार्यवाही की गयी इन कार्यों के फलस्वरूप इस छिद्र को १८४० वें मीटर पर से कुछ हटाने के प्रयास सफल हो गये हैं और ज्वालामुखी में इस बीच छिद्र करने का कार्य फिर आरम्भ हो गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा-केन्द्र

†२६४६. **श्री गणपति :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ की परीक्षाओं के लिये संघ लोक-सेवा आयोग ने देश में कितने परीक्षा-केन्द्र स्थापित किये थे; और

(ख) ये किन-किन राज्यों में स्थापित किये गये थे ?

†**गृहकार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ६९]

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

†२६४७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के अधिकारियों ने अपनी भट्टियों (ब्लास्ट फर्नेस) और कोक भट्टी के स्टोवों में वहां मिलने वाले धातु-कार्मिक कोयले के इस्तेमाल के विषय में ईंधन गवेषणा संस्था की सलाह मानने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सलाह को मान लेने से आवर्तक व्यय में काफी बचत हो जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड इस प्रकार के मामलों में ईंधन गवेषणा संस्था, कोयला नियंत्रक और परामर्शदाता-इंजीनियर की राय से काम करते हैं। दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के संभरण के लिये चुने गये साधनों से यह सब सहमत हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अल्पवयस्कों का धर्मपरिवर्तन

†२६४८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पवयस्कों के धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अल्पवयस्कों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है जिनका गत पांच वर्षों में धर्मपरिवर्तन किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) संविधान ने धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार की स्वतन्त्रता दी है। इसलिये सरकार उन नाबालिगों के धर्म परिवर्तन को रोकने का कोई उपाय नहीं कर सकती जिनका धर्म परिवर्तन उनके मां-बाप या सरपरस्तों की मर्जी से किया गया है। फिर भी, जबरदस्ती या नाजायज तरीकों से नाबालिगों के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सूचना प्राप्त नहीं है और न कोई ऐसा कानून ही है जिसके मातहत इसे इकट्ठा किया जा सके ।

सेवाओं के एकीकरण के बारे में शिकायतें

†२६४९. **श्री थानुलिंगम नादर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सेवाओं के एकीकरण के विषय में राज्य सरकार के निर्णयों के विरुद्ध मद्रास राज्य के सरकारी कर्मचारियों से कितनी अपीलें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) कितनी निबटाई जा चुकी हैं और कितनी विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) भारत सरकार को अब तक २० ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं (३ राजपत्रित और १७ अराजपत्रित कर्मचारियों से) ।

(ख) ये सभी इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त मंत्रणा समितियों के निर्णय के लिये विचाराधीन हैं । राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कर्मचारियों से प्राप्त इस प्रकार के अभ्यावेदनों को निबटाने के लिये राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक समिति केन्द्र में और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये राज्य स्तर पर एक समिति गठित की गई है ।

इन्द्रप्रस्थ कालिज के होस्टल की घटना

†२६५०. **श्री जाधव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ कालेज के होस्टल में रहने वाली दो छात्राओं के साथ घटी घटना की जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कालेज के अधिकारियों ने इस घटना से संबंधित तथ्यों का पता लगाया था और उन्होंने खबर दी है कि जो दो छात्रायें पाखाने के ऊपर वाली टंकी पर चढ़ गयीं थीं वह पाखानों के निकट की खाली जगह पर ढकी एसबेसटास की चादर पर एक साथ उतरने पर जमीन पर गिर पड़ीं थीं ।

काव्य संग्रह "तिरुक्कुरल"

†२६५१. **श्री तंगामणि** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी तिरुवल्लुवर की तमिल काव्य-कृति "तिरुक्कुरल" का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) किन प्रादेशिक भाषाओं में इसका अनुवाद पहले से मौजूद है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसको अनुवाद के लिये देने से पहले इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किन-किन भाषाओं में इसके अनुवाद पहले से मौजूद हैं ।

(ग) अकादमी में अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार "तिरुक्कुरल" का अनुवांद इन भाषाओं में पहले से ही मौजूद है :—

बंगला
हिन्दी
कन्नड़
मलयालम
तेलुगु

आंध्र प्रदेश में बेरिटीज के निक्षेप

†२६५२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के बैरिटीज का निक्षेपों सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस धातू के कितने निक्षेप होने का अनुमान है ; और

(ग) वह किस स्थान पर है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां, भारत के भूपरिमाप ने १९५५-५६ और १९५६-५७ के फील्ड सीजन में अनन्तपुर और कडपा जिलों के कुछ भागों में बैरिटीज के निक्षेपों का सर्वेक्षण किया था ।

(ख) और (ग). अभी तक आन्ध्र प्रदेश में बैरिटीज के कुल निक्षेपों का प्राक्कलन नहीं किया गया है फिर भी अनुमान है कि तीन महत्वपूर्ण निक्षेप हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) कोट्टपल्ली, पुलिवडल तालुक—३०,००० टन

(२) नेरिजामुपल्ली, तदपत्री ताल्लुक ६,००० टन

(३) मुत्सुकोट, तदपत्री ताल्लुक ७५,००० टन

पता चला है कि कड़पा जिले कड़पा तालुक, कमलपुरम् तालुक, कुरनूल जिले के धोन तालुक, नन्धाल तालुक, कुरनूल तालुक ; और खम्भामेठ जिले में वेंलगमेटला और रुमियमकोट में भी बैरिटीज के निक्षेप हैं । इन निक्षेपों के परिमाणों का प्राक्कलन अभी नहीं हुआ है ।

अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थी

†२६५३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थाओं के शीट मेटल व धातु संबंधी विशेष वर्ग (केवल अनुसूचित आदिम जातियों के लिये) के प्रशिक्षार्थियों को अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर "राष्ट्रीय प्रमाण पत्र" नहीं दिया जाएगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Barytes.

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा)** : यह "राष्ट्रीय प्रमाण पत्र" शब्द स्पष्ट नहीं है। केवल पश्चिमी बंगाल के शीट मेटल उद्योग में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र है। इस योजना का उद्देश्य उम्मीदवारों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहकारिता के आधार पर उत्पादन में लगा देने का है। प्रशिक्षार्थियों को कोई प्रमाणपत्र देने का विचार नहीं है।

पंजाब में भारत सेवक समाज के शिविर

†२६५४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज ने १९५८-५९ में अब तक पंजाब के किन-किन स्थानों में कितने शिविर संगठित किये हैं ;

(ख) सरकार ने उन पर कितना खर्च किया है ;

(ग) इस अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(घ) उसका क्या फल हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). चाल वित्तीय वर्ष में पंजाब में सितम्बर, १९५८ के मध्य तक भारत सेवक समाज द्वारा संगठित किये जाने वाले शिविरों के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है, । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ७०]** शिविरों से प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इन प्रतिवेदनों और लेखों में वास्तव में हुए कार्यों और खर्चों का व्यौरा होगा।

(घ) ये सभी शिविर गांवों के छोटे निर्माण कार्यों को पूरा करने या गांवों में रह कर समाज-सेवा के लिये हो रहे हैं। इन से गांव वालों को तो लाभ होता ही है, शिविरों में आने वाले छात्र भी शारीरिक परिश्रम करने के लिये अभ्यस्त हो जाते हैं और जनता के सम्पर्क में आते हैं। सहकारिता के आधार पर सामुदायिक जीवन और कार्य के माध्यम से वे अनुशासन और कठोर श्रम का महत्व समझने लगते हैं।

ताजमहल और आगरे के किले की ईंटों के भट्टे

†२६५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन भट्टों में ताजमहल और आगरे के कीले की ईंटें पकीं थीं उन का पता चल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) : सरकार को इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मारे गये तस्कर-व्यापारी

†२६५६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी सीमा पर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप १९५८ में अब तक कुल कितने तस्कर व्यापारी मारे गये हैं, और

(ख) इस कार्यवाही में मारे गये भारतीयों और पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क) और (ख). संयुक्त कार्यवाहियों की ओर किया गया संकेत स्पष्ट नहीं है। पश्चिमी सीमा पर भारतीय सीमा पुलिस की तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाहियों में १५ अगस्त, १९५८ तक चालू वर्ष में १५ तस्कर व्यापारी मारे ग े। इनमें से ५ भारतीय थे और शेष के संबंध में यह विश्वास है कि वे पाकिस्तानी थे।

चोरी से लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

†२६५७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ की आखिरी छमाही में कुल कितनी कीमत की चोरी से लायी गयी घड़ियां पकडी गयीं थी ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** ४,५४,४९१ रुपये की।

रूमानिया में तेल की खोज के सम्बन्ध में अध्ययन

†२६५८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल की खोज और टेक्नोलाजी के विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन और प्रशिक्षण के लिये भारतीय विद्यार्थियों को रूमानिया भेजने के प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (१) तेल टेक्नोलाजी, (२) भूतत्व-शास्त्र, (३) खनन के संबंध में स्नातकोत्तर गवेषणा प्रशिक्षण के लिये पांच छात्र वृतियां स्वीकार करने का निश्चय किया गया है। इन छात्रवृतियों की अवधि दो साल की होगी और विद्यार्थियों को (१) प्रतिमास ९०० लाइज़ (७०८ रुपये) का निर्वाह भत्ता, (२) मुफ्त चिकित्सा, (३) शिक्षा-शुल्क से माफी प्रदान की जायेगी। रूमानिया जाने और वहां से लौटने का व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

इंजीनियरिंग कालेज और पोलिटेक्निक्स

†२६५९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के बाद से देश के किन-किन स्थानों में कितने-कितने इंजीनियरिंग कालेज और पोलिटेक्निक खोले गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ से पहले के प्रत्येक वर्ष में इन में कितने-कितने छात्र भर्त्ती किये गये ; और

(ग) मौजूदा संस्थाओं में डिप्लोमा और डिग्री कोर्सों के लिये १९५८ में कुल कितने अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गयी ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) : लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ७१].

अमरीका में इंजीनियरों का स्नातकोत्तर अध्ययन

†२६६०. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अधीन ६० इंजीनियरों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये अमरीका भेजा जा रहा है ;

(ख) अब तक इस कार्यक्रम के अधीन कितने व्यक्ति भेजे जा चुके हैं ; और

(ग) उनका अध्ययन किस प्रकार का है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) ५६ ।

(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के विषय हैं :

१. सिविल इंजीनिरिंग ।

२. मेकैनिकल इंजीनियरिंग ।

३. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ।

४. केमिकल इंजीनियरिंग ।

५. मैटालर्जी ।

६. एप्लाइड ज्योलाजी एण्ड जियोफिजिक्स ।

७. वास्तु-शिल्प ।

८. खनन ।

ब्रिटेन भेजी गई राशियां

†२६६१. सरदार इकबाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५४ से १९५७ के बीच ब्रिटेन भेजी गयी और वहां से आयी कुल राशियां कितनी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : ब्रिटेन भेजी गयी और वहां से आयी राशियों के संबंध में उपलब्ध जानकारी चालू सौदों के बारे में है और नीचे दी जाती है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राप्ति	भुगतान
१९५४	२३३	२७६
१९५५	२७४	३२०
१९५६	२८०	३८६
१९५७	२३८	३९०

नोट :—भुगतान के आंकड़ों में आयात की और अदृश्य दोनों प्रकार की राशियां शामिल हैं। प्राप्ति की राशियों में निर्यात की आय और अदृश्य रूप से हुई आय दोनों शामिल हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच

†२६६२. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवाओं की

(१) आई० सी० एस०
(२) आई० ए० एस०
(३) आई० पी० एस०
(४) आई० आर० एस० ; और
(५) आई० एफ० एस०

पदालियों पदाधिकारियों के खिलाफ़ विशेष पुलिस संस्थापना ने पिछले पांच वर्षों में कितने कितने मामलों की जांच की, चालान किये और दण्डित कराये ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७२].

ब्रिटेन में इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†२६६३. सरदार इकबाल सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की योजनाओं के अधीन कितने भारतीय इंजीनियर ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ६७ भा इंजीनियर कोलम्बो योजना के अधीन ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) भारतीय इंजीनियरों को ब्रिटेन के इस्पात के कारखानों के विभिन्न विभागों में संचालन और देख रेख दोनों के विषय में "कारखाने के भीतर" प्रशिक्षण दिया जाता है। प्र प्रशिक्षार्थी को दुर्गापुर के इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं और उन कर्तव्यों का ध्यान रखते जिनका भारत लौटने पर उसे पालन करना पड़ सकता है, विभाग के क्षेत्र विशेष में विशेष प्र का कार्य सौंपा जाता है।

पंजाब के भूतपूर्व सैनिक

†२६६४. सरदार इकबाल सिंह: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपू राज्यों की सेनाओं से निकाले गये कितने भूतपूर्व सैनिकों को १९४७ और १९५७ के बीच पंजाब पुन: नियुक्त किया गया ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या): जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भूतपूर्व राज्यों कर्मचारियों के पंजीयन और नौकरियां दिलाने के आंकड़े काम दिलाऊ दफतरों द्वारा भूतपूर्व सैनिव से अलग नहीं रखे जाते।

पंजाब में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†२६६५. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये काम करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं सम्बन्धी जानकारी उसके पश्चात एकत्र कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७३].

पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२६६६. सरदार इकबाल सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में पंजाब राज्य में भूतत्वीय सर्वेक्षण ने किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया ; और

(ख) इसके क्या परिणाम रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) १९५७–५८ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने अपर ब्यास घाटी, बसाई क्यों और तहसील फीरोज़पुर में भुबलहेरी, झिरका, लोहारू, जिला हिसार; धर्मकोट, जिला कांगड़ा; भाखड़ा, सोम्ब नदी बांध क्षेत्र, यमुना नदी पर कीच बांध क्षेत्र, गुड़गांव, हिसार और अम्बाला के कुछ भागों में सर्वेक्षण किया ।

(ख) १९५७–५८ में जो खनिज पदार्थ प्राप्त हुए उनका ब्योरा निम्नलिखित है :

स्थान	खनिज	किस्म और मात्रा
बसाई क्यो, तहसील फिरोज़पुर में भुबलहेरी, झिरका जिला गुड़गांव	स्लेट	स्लेट वाले जिस क्षेत्र में काम हो सकता है वह केवल १०–१५ फुट मोटा है और घटिया किस्म की स्लेट पाई जाती है जो केवल मकानों आदि में ही इस्तेमाल हो सकती है ।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड लोहारू ज़िला हिसार	चूना (कंकर)	लोहारू में चूने की जिन खानों की सूचना मिली वहां निक्षेप काफी क्षेत्र में फैले हुये हैं । कंकर लगभग १ १/२ फुट से ३ फुट मोटा है जो अलुमिनियम के नीचे दबा हुआ है ।
धर्मकोट, कांगड़ा ज़िला	सीमेंट ग्रेड चूना	धर्मकोट में सीमेंट ग्रेड चूना जो निकाला जा सकता है वह १७६ लाख टन है । इससे ७०० पोर्टलैंड सीमेंट फैक्टरी को २५ वर्ष तक चालू रखा जा सकता है ।

दिल्ली में आत्महत्यायें

†२६६७. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में प्रत्येक मास दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की और कितनों ने इसका प्रयत्न किया ; और

(ख) इनमें से कितने लोगों को आत्म हत्या करने की कोशिश करने पर दण्ड दिया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने १९५८ आत्महत्या की :—

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर १५–९–५८ तक
४	४	३	९	१०	४	५	७	—

उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने १९५८ में आत्महत्या करने की कोशिश की :—

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर १५–९–५८ तक
१	६	२	४	२	१	८	३	२

(ख) जो अपराधी सिद्ध हुये . १५

जो रिहा कर दिये गये . १

न्यायालय में विचाराधीन . २

जिनकी जांच हो रही है . ५

२९

रेलवे यात्री किराये

†२६६८. सरदार इकबाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से रेल यात्रियों पर कर लगाया गया है तब से प्रत्येक रेलवे में कुल कितनी राशि एकत्र की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : १५-९-१९५७ से ३१-७-१९५८ तक विभिन्न रेलवेज़ में कर का सकल संग्रह बताने वाला विवरण नीचे दिया जाता है : —

रेलवे का नाम	एकत्र की गई राशि (ला रुपयों में)
मध्य रेलवे	१३८.८५
पूर्व रेलवे	१०५.७१
उत्तर रेलवे	१९४.०९
पूर्वोत्तर रेलवे	५४.९७
दक्षिण रेलवे	१२७.२६
दक्षिण पूर्व रेलवे	४७.५६
पश्चिमी रेलवे	१५१.५५
उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे	५.९९
गैर-सरकारी रेलवे	३.६३
कुल	८२९.६१

आंकड़े अन्तिम नहीं है। नियंत्रक महा लेखा परीक्षक से पता चलेगा कि ये सही हैं या नहीं।

नौवहन सम्मेलन

†२६६९. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाव निर्माण और नौवहन सम्मेलन खड़गपुर में होगा ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन क्या है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी हां, ७ और ८ नवम्बर, १९५८ को।

(ग) सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन इन उद्योगों में प्रशिक्षण संस्थाओं और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को एकत्र करके जहाजों के निर्माण के लिये टैक्नीकल जानकारी एकत्र करना और सम्बन्धित लोगों का परस्पर सम्पर्क स्थापित करना है जिस से वे एक दूसरे की समस्यायें हल करने में सहायक सिद्ध हों।

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह

२६७०. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृहों की संख्या बढ़ाने अथवा पुराने विश्राम-गृहों की मरम्मत करने के लिये किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये विश्राम-गृह किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और किन-किन पुराने विश्राम-गृहों की मरम्मत करने का विचार है ;

(ग) उन में से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(घ) इन विश्राम-गृहों के लिये भारत सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या): (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश पोस्टवार रिकान्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट, सशस्त्र बल के सेवीवर्ग के लिये चम्पावत, तनकपुर और टेहरी में आरामघर बनाने के सुझावों पर विचार कर रहा है। उनके विचाराधीन कोई ऐसा सुझाव नहीं कि उत्तर प्रदेश में पुराने आरामघरों की मरम्मत की जाये।

(ग) चम्पावत और तनकपुर के आरामघरों के लिये उत्तर प्रदेश पोस्टवार रिकान्स्ट्रक्शन फंड ट्रस्ट ने क्रमशः २१,००० और ३०,००० रुपये की स्वीकृति दी है। टेहरी के आरामघर के लिये १०,००० रुपये की स्वीकृति के लिये इस फंड के बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ से एक सुझाव की मंजूरी का इन्तजार है।

(घ) भारत सरकार ने इन आरामघरों में से किसी के लिये भी वित्तीय सहायता देने का वचन नहीं दिया है।

भारतीय वायु सेना का हेलीकाप्टर विभाग

२६७१. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना के हैलीकाप्टर विभाग को इस बीच काफी बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय वायु सेना के पास कितने हेलीकोप्टर हैं ?

(ग) अब तक किन-किन विशेष कार्यों पर उनका उपयोग किया गया है ; और

(घ) भविष्य में इस हैलीकाप्टर विभाग के और विकास की कौन सी योग्यतायें बनाई गई हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) कुछ हवाई जहाज़ बढ़ाये गये हैं।

(ख) आठ।

(ग) जानें बचाने और संकट में सहायता, हवाई सर्वेक्षण, संचार कार्य और अभ्यास के लिये।

(घ) इस समय कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी कमान, लखनऊ

†२६७२ { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमान, लखनऊ के अधीन विभागों और इंजीनियरों के लिये लखनऊ में एक नई इमारत बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इमारत बनाने पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) क्या इस इमारत की अभी से मरम्मत होने लगी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) १४,८४,३०० रुपये (१) पूर्वी कमान के मुख्यालय, और (२) पूर्वी कमान के मुख्य इंजीनियर के कार्यालयों के लिये ।

(ग) नहीं ।

लौह अयस्क परियोजना

†२६७३. श्री सूपकार : क्या वित्त मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्ष तक रूरकेला क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष २० लाख टन लौह अयस्क जापान भेजा जायेगा ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : अभी पहले दस वर्ष तक के लिये यह व्यवस्था की गई है ।

जीवन बीमा निगम

†२६७४. { श्री यादव
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम के लिये कर्मचारियों की भर्ती करने का नया तरीका क्या है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : भर्ती काम दिलाऊ दफ्तरों की सहायता से की जाती है और जहां काम दिलाऊ दफ्तर निगम की मांग को पूरा नहीं कर पाते वहां विज्ञापन दे दिया जाता है । परीक्षा और इंटरव्यू करके भर्ती की जाती है । चुने गये उम्मीदवारों को नियुक्त करने से पूर्व पहले उनकी डाक्टरी परीक्षा होती है और निगम द्वारा स्वीकार्य अपने चरित्र के बारे में कुछ प्रमाणपत्र देने पड़त हैं ।

राजस्थान में नई बीमा योजना

†२६७५. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५८ से राजस्थान राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में जीवन बीमे की एक नई योजना चालू की जा रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) और (ख). १ सितम्बर, १९५८ से राजस्थान के छः विकास खंडों में राजस्थान सरकार की ग्राम्य विकास योजनाओं के सहयोग से उनके खंड विकास संगठनों के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से एक पुनरीक्षित संचालन व्यवस्था लागू की गई है । योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(१) योजना बस्सी, जयपुर, रूपबास, गोविन्दगढ़, रायसिंहनगर और पिसंगम विकास खंडों में शुरू की गई है ।

(२) खंड के प्रत्येक पंचायत बोर्ड द्वारा एक व्यक्ति नामज़द किया जायेगा जो जीवन बीमा निगम से जीवन का बीमा करने की एजेंसी लेगा । निगम इन एजेंटों की सहायता तथा मार्ग दर्शन के लिये एक फील्ड आफ़िसर (बीमा) नियुक्त करेगा जो कि खंड विकास पदाधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त करेगा । एजेंसी को दिये जाने वाले कमिशन का कुछ अंश एजेंट को और शेष पंचायत द्वारा ग्राम विकास के लिये खर्च किया जायेगा ।

(३) ग्राम्यवासी ५०० रुपये अथवा इस से अधिक के बीमा पत्र खरीद सकते हैं । ये एंडोमेंट बीमा पत्र होंगे जो निश्चित अवधि तक पूरे हो जायेंगे । प्रीमियम हर छः मास बाद फसल की कटाई के समय चुकाया जा सकता है ।

त्रिपुरा न्यायपालिका

†२६७६. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के न्यायपालिका कर्मचारियों के वेतन क्रम पश्चिमी बंगाल की तुलना में कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) जी नहीं । त्रिपुरा की न्यायपालिका कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन क्रम पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा सामान्यतः कम नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियां

†२६७७. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण संख्या बढ़ी है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का अनुपात निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १९५६ के अनुमान के अनुसार ४७,००० ।

(ख) शायद इसमें कोई वृद्धि हुई हो ।

(ग) जी नहीं । क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन होने के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है इसलिये नई सूचियां तैयार होने के बाद रक्षण का प्रश्न उठाया जायेगा ।

वेतन सम्बन्धी नियम

†२६७८. श्री जगदीश अवस्थी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के असैनिक गज़ेटिड अफ़सर अवकाश से लौटने पर तीन चार मास तक अपना वेतन प्राप्त नहीं कर पाते ;

(ख) यदि हां, तो उनके अवकाश वेतन मिलने में इतना विलम्ब क्यों होता है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :(क) से (ग). नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के असैनिक गजेटिड अफसरों को अवकाश का अथवा वापसी पर ड्यूटी के समय का वेतन प्राप्त करने में कोई विलम्ब नहीं होता । कुछ मामलों में पूरी कार्यवाही करते विलम्ब हो गया होगा । पहले से ये हिदायतें दी जा चुकी हैं कि जब कोई पदाधिकारी छुट्टी पर जाये तो यह सब कार्यवाही शीघ्र कर ली जाये और यदि इस में देर होने की सम्भावना हो तो अन्तर्कालीन भुगतान कर दिया जाये ।

एम० ई० एस० और इंजीनियर कोर

†२६७९. श्री सूपकार: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ई० एस० और इंजीनियर कोर को शान्ति काल में क्या कार्य करने पड़ते हैं ; और

(ख) क्या उन्हें असैनिक कार्य सौंपने की भी कोई योजना विचाराधीन है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इंजीनियर कोर में मिलिटरी इंजीनियर यूनिट और मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज़ होती हैं ।

एम० ई० एस० शान्ति काल में ये कार्य करती हैं :—

(१) सेना, नौसेना और विमान बल और युद्ध सामग्री डिपो के लिये पूंजीगत निर्माण कार्य जैसे कि इमारतें बनाना और प्रतिरक्षा निर्माण कार्य और सभी सहायक कार्य जैसे कि सड़कें बनाना, इलैक्ट्रीकल और मैकेनिकल सेवायें, जल संभरण, नालियों आदि की व्यवस्था, फर्नीचर और अन्य सामान ।

(२) ऊपर (१) में उल्लिखित कार्यों की मरम्मत और देखरेख का काम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर छावनी बोर्डों, अन्य सार्वजनिक निकायों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की ओर से 'डिपाज़िट कार्य' पूरे करना ।

(४) बिजली, पानी, बर्फ़ आदि की व्यवस्था करना और कूड़ा कर्कट आदि हटाने का प्रबन्ध करना ।

(५) उन सभी लोगों से किराया बिजली, पानी का खर्च और फर्नीचर का किराया आदि वसूल करना जो प्रतिरक्षा सेवाओं की इमारतों में रह रहे हैं परन्तु जो निःशुल्क रिहायश का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ।

(६) सभी इंजीनियर कार्यों के लिये स्टोर जमा करना और उसे रखना ।

(७) ठेकेदारों से कराये गये काम के लिये उन्हें भुगतान करना, स्टोर के लिये प्राप्त की गई वस्तुओं का मूल्य चुकाना और नगरपालिका अथवा समवायों से प्राप्त की गई बिजली के बिल चुकाना ।

(८) राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं (जैसे कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण परियोजनायें) के असैनिक कार्यों में हाथ बटाना ।

(९) आपात काल में अत्यावश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने में असैनिक पदाधिकारियों की सहायता करना ।

मिलिटरी इंजीनियर यूनिट का शान्ति काल में यह भी काम होता है कि वे कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित और संगठित कर दें कि वे युद्ध काल में अपने कर्तव्य को ठीक निभा सकें । सेना इंजीनियरी के सभी पहलुओं को वे देखते हुये कार्य करते हैं उन्हें 'फील्ड' प्रतिरक्षा, नदी को पार करना और उन पर पुल बनाना। इमारतें बनाना, हवाई अड्डे बनाना आदि सभी कार्य करने पड़ते हैं ।

(ख) जी नहीं । दोनों यूनिटों को मिला कर काम लिया जाता है जिस युद्ध और शान्ति काल में वे कुशल रूप से कार्य कर सकें ।

सड़क परिवहन के लिये अमरीकी सहायता

†२६८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन योजनाओं के लिये २५० लाख डालर अमरीकी सहायता के वितरण के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). डी० एल० एफ० ऋण का प्रयोग भारत के मोटर गाड़ी बनाने वालों के लिये उन पुर्ज़ों के आयात के लिये किया जा रहा है जो ट्रकों, जीपों और बसों के अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के लिये आवश्यक हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विधि मंत्रालय के कर्मचारी

†२६८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि मंत्रालय में कुल कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ; और

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क)

असिस्टेंट . . .	३९
कलर्क . . .	१०१

(ख) **अनुसूचित जातियां :**

असिस्टेंट . .	५
क्लर्क . . .	११

अनुसूचित आदिम जातियां :

असिस्टेंट . .	कोई नहीं
क्लर्क . . .	कोई नहीं

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

†२६८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में कितने असिस्टेंट और क्लर्क हैं ; और

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** :

(क) (१) असिस्टेट . १११

(२) अपर डिवीज़न क्लर्क . ५१

(३) लोअर डिवीज़न कलर्क १४३

(ख) (१) **असिस्टेंट :**

अनुसूचित जातियां . ५

अनुसूचित आदिम जातियां कोई नहीं

(२) **अपर डिवीजन क्लर्क**

अनुसूचित जातियां . १

अनुसूचित आदिम जातियां कोई नहीं

(३) **लोअर डिवीजन क्लर्क**

अनुसूचित जातियां . १५

अनुसूचित आदिम जातियां कोई नहीं

†मूल अंग्रेज़ी में

राजनैतिक पैंशन

†२६८३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पैंशन देने के लिये सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है;

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में ऐसी पैंशनों के लिये राज्यों से कितनी याचिकायें प्राप्त हुईं;

(ग) १९५८-५९ के लिये आय-व्ययक में कितनी राशि की व्यवस्था की गई; और

(घ) इस राशि में से कितना खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) राजनैतिक पीड़ितों को पैंशन देने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है । अतः पैंशनें देने के लिये कसौटी निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सूर्यवंशी जातियां

२६८४. **श्री जांगड़े** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि १९५६ से अनुसूचित जातियों की सूची में मध्य प्रदेश की सूर्यवंशी उप-जाति को सम्मिलित कर लिया गया है किन्तु सरकार द्वारा प्रकाशित अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में उक्त जाति की जनसंख्या की गणना नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में रमेश नगर के स्कूल

†२६८५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रमेश नगर के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ज्वालामुखी से दिल्ली तक गैस की पाइप लाइन

†२६८६. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ज्वालामुखी से दिल्ली तक गैस की पाइप लाइन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) ज्वालामुखी से दिल्ली तक अभी कोई पाइप लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिछड़े वर्ग

†२६८७. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मंत्री पिछड़े वर्ग आयोग के १९५५ के प्रतिवेदन के खंड २ (सूचियां) के पृष्ठ ८७, ८८ और १७३ को देखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग की सिफारिश के अनुसार कुम्भार जाति को अनुसूचित जातियों में से निकाल कर अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, इसे निकालने और शामिल करने की तिथियां क्या हैं;

(ग) क्या पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधायें इन्हें दी गई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इस जाति के मैट्रिक पास छात्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां छात्रों से वसूल कर ली गईं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस जाति के छात्रों से मैट्रिक पास करने के बाद की छात्रवृत्तियों के लिये आवेदनपत्र प्राप्त हो गये हैं; और

(छ) इन आवेदनपत्रों पर विचार करने के क्या परिणाम निकले ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) इस जाति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (रूपभेद) आदेश, १९५६ द्वारा जो २९ अक्तूबर, १९५६ को लागू हुआ था, उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में से निकाल दिया गया है ।

इस जाति को 'अन्य पिछड़े वर्गों' की सूची में शामिल कर लिया गया जो १९५७-५८ से भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिये मान्य समझी गई हैं ।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां देने की योजना के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को जो सुविधायें मिलती हैं वे इस जाति को भी दी जाती हैं ।

(घ) और (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) जी हां ।

(छ) आवेदनपत्र को देखा जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र अन्तिम निर्णय करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री की स्वविवेक निधि

†२६८८. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री की स्वविवेक निधि में से त्रिपुरा के उन लोगों की सहायता के लिये कोई निधि मंजूर की गई है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक दानशीलता एवं अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को यह राशि मिली; और

(ग) अब तक, यदि कुछ राशि दी गई तो वह कितनी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) ३ ।

(ग) ३,००० रुपये । इसके साथ ही सीमान्त घटनाओं के जो लोग शिकार हुए उनकी सहायता स्वरूप ५,००० रुपये की राशि शीघ्र ही मंजूर की गई है ।

त्रिपुरा में आदिम जाति के लिये रक्षित भूमि

†२६८९. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन त्रिपुरा में आदिम जाति के लिये रक्षित भूमि की देख-रेख नहीं कर रहा है और आदिम जाति के लोगों के लिये जो भूमि रक्षित है उसका उपयोग आदिम जाति के अलावा लोगों को बसाने में किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि आदिम जाति के लिये जो क्षेत्र हैं उनमें आदिम जाति के अलावा और किसी को बसाना निषिद्ध है;

(ग) क्या सरकार एक ऐसा विवरण पटल पर रखेगी जिसमें त्रिपुरा में आदिम जाति "रक्षित" की विशिष्ट सीमा और क्षेत्र आदि दिखाये गये हों; और

(घ) क्या ऐसी रक्षित भूमि को अलग करने के लिये सीमा-निर्धारण स्थान बनाने का कोई विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) लगभग दो वर्ष बीते सरकार ने त्रिपुरा प्रशासन को विस्थापितों के पुनर्वास के लिये आदिमजाति के लिये रक्षित भूमि के कुछ अंश पर आदिम जाति को बसाने का अधिकार इस शर्त पर देने का निश्चय किया है कि इससे उन योजनाओं की कार्यान्विति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस भूमि पर आदिम जाति के लोगों को बसाने के लिये आरम्भ की गई हैं । इस प्रकार १९३१ में त्रिपुरा के महाराजा द्वारा ११० वर्ग मील भूमि रक्षित की गई और उसके पश्चात् इस प्रकार १९४३ में १९५० वर्ग मील भूमि रक्षित की गई थी । १९४८ में फिर प्रतिराज महारानी ने इसमें से ३०० वर्ग मील पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लिये नियत कर दिया ।

(ख) जी नहीं । शासक के आदेशानुसार जिसके द्वारा स्थानीय आदिम जाति के कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिये भूमि रक्षित की गई थी, सरकार को यह शक्ति दे दी गई कि वह किसी विशेष परिस्थिति में उपर्युक्त वर्ग से बाहर के लोगों को भी भूमि हस्तांतरित कर सकती है, और स्थानीय प्रशासन को १९५६ में जो अधिकार दिया गया था वह शासक के आदेशानुसार ही था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९३१ और १९४३ में तथा तत्पश्चात् १९४८ में जो भूमि रक्षित की गई उसका विस्तृत ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७४].

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि रक्षित क्षेत्रों की सीमायें पहले से ही भली-भांति निर्धारित की जा चुकी हैं।

संघ राज्य-क्षेत्रों में विवाह-विच्छेद

†२६९०. **श्री सुबिमान घोष** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्यों में हिन्दू विवाह अधिनियम के पारित होने से लेकर अब तक विवाह-विच्छेद के कितने मुकदमे दायर किये गये हैं;

(ख) कितने मुकदमों में न्यायालयों द्वारा डिग्री देकर विच्छेद की अनुमति दी गई है; और

(ग) कितने मामलों में दोनों पक्षों में समझौता हो गया ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) से (ग). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। एकत्र करके वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुचिपुडी नाट्यम्

†२६९१. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुचिपुडी नाट्यम् को संगीत नाटक अकादमी की एक विशेषज्ञ समिति ने शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) किस नृत्य तथा नृत्यों में कलाकारों को पुरस्कार दिये जाने चाहियें इस नीति के बारे में अकादमी को परामर्श देने के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अभी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन बीमा निगम

†२६९२. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में बीमा व्यवसाय बढ़ाने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम सहकारी समितियों का अपने एजेंटों के रूप में इस्तेमाल करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने ऐसी योजना बना ली है; और

(ग) योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). योजना भारत के जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है ।

अण्दमान में जल संभरण

†२६९३. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्दमान के जल संभरण का प्रमुख सूत्र डाल्थमन टैंक की सफाई कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). डाल्थमन टैंक की सामान्य सफाई नियमित रूप से की जा रही है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने परामर्श दिया है कि टैंक की रेत की सफाई नहीं की जानी चाहिये । पानी छना हुआ होता है तथा नियमित रूप से उसमें क्लोरीन मिली रहती है तथा प्रतिमास लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी उसे चखते भी हैं ।

अण्दमान में चिकित्सा विशेषज्ञ

†२६९४. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्दमान द्वीप समूह में कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है;

(ख) क्या सरकार इन द्वीपों में आंख, नाक, कान और गला विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का विचार करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर कहां तक विचार किया जा चुका है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) द्वीप समूहों में कोई चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है ।

(ख) और (ग). आंख, कान, नाक और गले में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये एक चिकित्सा स्नातक को भेजने का विचार है । इन द्वीपों की जनसंख्या बहुत कम है, अतः पूर्णकालिक विशेषज्ञों की वहां आवश्यकता नहीं है ।

अण्दमान के लिये भैंसे

†२६९५. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्दमान में विस्थापितों द्वारा हल चलाने के लिये भैंसे मुख्य भूमि से बहुत ऊंचे मूल्य पर खरीदे जाते हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वही भैंसे सस्ते मूल्य पर मिल जाते हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) अण्दमान में बसे लोगों के लिये हल जोतने वाले पशु ३१२ रुपये ५० न० पै० पर उद्धरण मांग कर खरीदे गये थे । इस में भाड़े को निकाल कर ब्लेयर पत्तन तक पशु को पहुंचाने का खर्चा शामिल था ।

(ख) बसने वाले परिवारों के लिये जितनी संख्या में हल में जोते जाने वाले जानवरों की आवश्यकता थी उतने स्थानीय रूप से नहीं मिल सकते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिड़ला औद्योगिक संग्रहालय

†२६९६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक गवेषणा और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने बिड़ला औद्योगिक संग्रहालय भवन कलकत्ता की मरम्मत और उसके पुनर्नवीकरण के लिये छः लाख से अधिक रुपया खर्च करने का निश्चय किया है, जिसको बिड़ला ने दान में दे दिया है; और

(ख) इस भवन की मरम्मत और पुनर्नवीकरण हो जाने के पश्चात् वह कितने समय तक चलेगा इसके बारे में विशेषज्ञ इंजीनियरों की क्या राय है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं। इस भवन की मरम्मत और उसके पुनर्नवीकरण पर होने वाले व्यय का अनुमान ३.७ लाख रुपये लगाया गया है।

(ख) यह बताया गया है कि भवन की मरम्मत और उसके पुनर्नवीकरण हो जाने के पश्चात् यह भवन २५ से ३० वर्षों तक चलेगा बशर्ते कि समय-समय पर उसकी देख-रेख और मरम्मत होती रहे।

त्रिपुरा के विस्थापितों को ऋण

†२६९७. श्री दशरथ देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के विस्थापितों को पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) ऋण की कुल कितनी याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय होना अभी बाकी है और उनका निबटारा होने को है; और

(ग) ऋण लेने वालों से कुल कितनी राशि वसूल की गई है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) १५,२६,६५० रुपये।

(ख) ५०।

(ग) १,४२,६१० रुपये ४८ न० पै०।

त्रिपुरा में प्राइवेट स्कूल

†२६९८. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट स्कूलों तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्रों का प्रबन्ध त्रिपुरा की प्रादेशिक कौंसिल को न हस्तांतरित करने के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसा कब करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) और (ख). प्राइवेट स्कूलों का प्रबन्ध प्रशासन के हाथों में न होकर संबंधित प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के हाथ में रहता है। अत: प्राइवेट स्कूलों का प्रबन्ध प्रादेशिक परिषद् को हस्तांतरित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक सामाजिक शिक्षा का संबंध है, यह उन मामलों में नहीं शामिल किया गया है जो प्रादेशिक परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिषद् के नियंत्रण में आते हैं।

भारतीय सेना में गोरखे

†२६९९. श्री ले० अचौ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने भारतीय सेना में गोरखों की भर्ती के लिये कोटा निश्चित कर दिया है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : जी नहीं। भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती प्रतिष्ठानों में वृद्धि। कमी वास्तविक अभाव और सम्भावित अपव्यय के अनुसार की जाती है।

सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाया जाना

†२७००. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५८ में अब तक दाण्डिक अपराधों के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाने के लिये गैर-सरकारी लोगों के पास से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) कितने अभियोगों में अनुमति दे दी गई और कितने अभियोगों में सामान्य कारणों पर इसके लिये अनुमति नहीं दी गई ; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जिन पर अभी विचार किया जा रहा है और उनके निबटाने में कितना समय और लगेगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलाहाबाद जिले में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा ली गई जमीन

†२७०१. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद ज़िले के साल्हापुर क्षेत्र के खेतिहरों से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमश : कितनी भूमि प्राप्त कर ली है ;

(ख) यह भूमि किस प्रयोजन के लिये प्राप्त की गई थी ;

(ग) खेतिहरों को कुल कितना मुआवज़ा दिया गया था ;

(घ) क्या मंत्रालय की योजना निकट भविष्य में इस क्षेत्र में और भूमि प्राप्त करने की है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह भूमि कितनी है और किस प्रयोजन के लिये प्राप्त की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). साल्हापुर क्षेत्र के गांवों से कुल २५०.४३ एकड़ भूमि वहां स्थित एककों के स्थायी निवास स्थान के लिये प्राप्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें से ३० मई, १९५८ तक केवल २२७.१० एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया था।

(ग) अभी भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा ११ के अधीन कलेक्टर को अपना पंचाट घोषित करना बाकी है।

(घ) और (ङ): जी हां। शेष २३.३३ एकड़ भूमि इसी प्रयोजन के लिये ली गई है।

शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े

†२७०२. **श्री हेम राज**: क्या शिक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक राज्य-वार मैट्रीक्युलेशन तथा कला, चिकित्सा, कृषि इजीनियरिंग, पशु-चिकित्सा शास्त्र और वन-शास्त्र परीक्षाओं के स्नातक पाठ्य-क्रम में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताई गई हो?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: १९५६ के बारे में मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७५**]. १९५७ में इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है जो तैयार होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी; जबकि १९५८ की जानकारी अक्टूबर, १९५८ से हमारे पास आनी आरम्भ होगी।

केरल में स्थानपरिवर्ती खेती

†२७०३. **श्री जीनचन्द्रन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार ने १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय अनुदान में से आदिम जातियों द्वारा स्थान परिवर्ती खेती को रोकने के लिये कितनी राशि व्यय की है;

(ख) अब तक किस प्रकार का कार्य किया गया है और कितने लोगों को स्थायी रूप से बसाया जा चुका है; और

(ग) इस कार्य के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि आवंटित की गई है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) अनसूचित आदिम जातियों द्वारा स्थान-परिवर्ती खेती को रोकने के लिये केरल सरकार को १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्न राशि स्वीकृत की गई थी:—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य परियोजना की योजनायें	केन्द्र द्वारा चलाया गया कार्यक्रम	योग
१९५६-५७ .	०.७२२	२.००	२.७२२
१९५७-५८ . .	१.०५४	२.००	३.०५४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मांगी गई सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ३,०२,००० रुपये (जिसमें राज्य का अंश शामिल है) राज्य क्षेत्र में और २,६६,००० रुपये केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के अधीन ।

तेल के लिये छिद्र करने का कार्यक्रम

†२७०४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में तेल के लिये छिद्र करने और उसका पता लगाने के कार्यक्रम में शीघ्रता करने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या उस पक्ष को अस्थायी रूप से एक शील्ड देने का निश्चय किया गया है जो खुदाई का सर्वोत्तम स्थल चुनेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर बारी-बारी से प्रत्येक चार मास में एक बार एक शील्ड सबसे सुन्दर ढंग से संगठित करने वाले खुदाई के स्थल को दी जायेगी ।

आय-कर के मुकदमे

†२७०५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय और न्यायधिकरण में १९५७ से लेकर अब तक आय-कर के कितने मुकदमे दायर किये गये ; और

(ख) उनमें से अब तक कितने मुकदमे निबटाये जा चुके हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क)

	(१) पंजाब उच्च न्यायालय में	५१
	(२) आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण में	१४७०
(ख)	(१) उच्च न्यायालय द्वारा	८
	(२) न्यायाधिकरण द्वारा	मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है जो यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजे जाने के संबंध में नियम

†२७०६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के आवेदन पत्र सरकार के अधीन अन्य पदों के लिये भेजने के बारे में कोई नियम आदि बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के पदों के लिये आवेदन पत्र (केन्द्रीय सेवायें) नियम, १९४३, तथा गृह-कार्य मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या १७०/५१ प्रतिष्ठान, दिनांक २१ अक्तूबर, १९५८ की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७६]**

बीजापुर में "आसर महल"

†२७०७. **श्री सुगन्धि** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व बीजापुर के ऐतिहासिक भवन 'आसर महल" के कुछ लकड़ी के खम्बे तथा छत का कुछ भाग गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो मरम्मत करने के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) इसके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) ९३,०७४ रुपये ।

(ग) इस कार्य को करने में विलम्ब का कारण उसकी जटिलता है जिसके बारे में अन्य विशेषज्ञों से परामर्श लेने की आवश्यकता है ।

बीजापुर का "इब्राहीम रोज़ा"

†२७०८. **श्री सुगन्धि** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीजापुर की ऐतिहासिक इमारत "इब्राहीम रोज़ा" में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस इमारत की रक्षा के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अवाडी का डिफेंस डिपो

†२७०९. **श्री नंजप्प** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में अवाड़ी, के डिफेंस डिपो को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) जी नहीं। फिलहाल अवाड़ी के किसी भी डिपो को स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली पुलिस कर्मचारी का फरार होना

†२७१०. **श्री वाजपेयी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का एक पुलिस कर्मचारी उसके खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज होने के कारण फरार हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख), २७ अगस्त, १९५८ को एक स्थानापत्र असिस्टेण्ट सब इन्सपैक्टर की पद अवनति कर उसे हेड कान्सटेबल बना दिया गया था और ४,००० रुपये के गबन के लिये उत्तरदायी जान पड़ने के कारण उसे मुअत्तल कर दिया गया था। ३ सितम्बर, १९५८ को वह पुलिस लाइन से फरार हो गया। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

शाहजहां की मृत्यु पर रोशनी डालने वाले दस्तावेज़

†२७११. **श्री वाजपेयी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार के अभिलेखागार विभाग को हाल ही में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ मिले हैं जिनमें सम्राट शाहजहां की मृत्यु पर कुछ रोशनी डाली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दस्तावेज़ों की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अवाडी में प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग

†२७१३. **श्री क० स० रामस्वामी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अवाडी में प्रतिरक्षा संबंधी भारी उद्योग स्थापित करने के बारे में मद्रास की सरकार के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अमृतसर छावनी

†२७१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अमृतसर छावनी के विस्तार के लिये अनुदान के रूप में उसके विस्तार और विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये १९५८–५९ में अब तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) योजना का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) और (ख). अमृतसर छावनी के विस्तार के लिये भारत सरकार ने कुछ भी राशि मंजूर नहीं की है किन्तु उसको १ अप्रैल से ३१ अगस्त, १९५८ तक के काल में छावनी की विकास परियोजनाओं के लिये ९५,१००.०० रुपये की राशि मंजूर की है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

परियोजनाएं	स्वीकृत राशि
शौचालय	८,२००.०० रुपये
पेशाबघर	१,५००.०० रुपये
यातायात	२४,१००.०० रुपये
औषधि तथा लोक स्वास्थ्य	२,०००.०० रुपये
निर्माण कार्य	४९,३००.०० पये
हरिजनों के क्वार्टर	१०,०००.०० रुपये
योग	९५,१००.०० रुपये

भूमि

†२७१६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिनसुकिया (आसाम) में सुकनपुखरी ग्रांट की भूमि का वह प्लोट जो द्वितीय महायुद्ध में अर्जित कर लिया गया था, अभी तक वापस नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) और (ख). तिनसुखिया (आसाम) में सुकनपुखरी ग्रांट की कोई भूमि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अर्जन द्वारा कब्जे में नहीं की है। परन्तु हुकनपुखुरी डाकखाना सुकनपुखरी (आसाम) की लगभग ७० बीघा भूमि १९४३ में अर्जित की गई थी। जरूरत से ज्यादा हो जाने पर वह अतिरिक्त भूमि उसके मूल स्वामियों को लौटाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी थी। कुछ भूस्वामियों ने अर्जन की रकम लौटा कर जमीन वापस पाने के विलेख लिख दिये हैं। उनको जमीन का कब्जा देने के लिये हिदायतें दे दी गई हैं। जिन व्यक्तियों ने प्रतिकर की रकम नहीं लौटाई उन्हें जमीन वापस देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

†मूल अंग्रेज़ी में

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा गैसरकारी नौकरी

†२७१७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से अब तक १९५८ में (प्रत्येक राज्य में) अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के कितने सेवा निवृत अधिकारियों ने गैर सरकारी फर्मों में नौकरी कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्रित कर के यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

†२७१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा उद्योगिक गवेषणा परिषद् में तथा उस के नियंत्रण के अन्तर्गत चलने वाली विभिन्न प्रयोगशालाओं में कितने लोअर डिवीजन क्लर्क हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उस के अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को चार अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऊपर उल्लिखित भाग (क) के कर्मचारियों को भी यह फायदा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेशणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ४५३ (चार सौ त्रेपन) ।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय की लिपिक सेवा के उन लोअर डिवीजन क्लर्कों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी हैं जो स्थायी हैं और जो यद्यपि अभी तक स्थायी नहीं हुए तथापि कम से कम अपने पदों पर कम से कम तीन वर्ष से काम कर रहे हैं और स्थायी किये जाने के लिये उपयुक्त है। इस के अलावा इस वर्ग के उन क्लर्कों को भी दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी गई हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की टाइपिंग परीक्षा में ४० शब्द प्रति मिनिट की गति से पास हो गये हैं ।

अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को ये रियायतें नहीं दी गई ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

†२७१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा उस के नियंत्रण के अन्तर्गत प्रयोग-शालाओं में सभी राजपत्रित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह परिषद् एक स्वशासी संगठन है और उस में तथा उस के अन्तर्गत संस्थाओं में अधिकारियों की भर्ती का मामला संघ लोक सेवा आयोग के पर्यालोकन के अन्तर्गत नहीं है।

जलियांवाला बाग, अमृतसर, में राष्ट्रीय स्मारक

†२७२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग, अमृतसर में राष्ट्रीय स्मारक बनाने का अब तक कितना काम हो चुका है;

(ख) अब तक इस काम में केन्द्रीय अनुदान का कितना पया खर्च किया गया है; और

(ग) आजकल जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास का कौन कौन व्यक्ति न्यासी हैं?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) अब तक इस कार्य का $^1/_3$ भाग पूरा हो चुका है।

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक लगभग २.२४ लाख रुपयों की रकम खर्च हो चुकी है परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि इस में केन्द्रीय अनुदान की कितनी रकम है।

(ग) न्यासियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री जवाहर लाल नेहरू,

(२) डा० सफीउदीन किचलू,

(३) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (अब यह स्थान खाली है)

(४) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष

(५) पंजाब राज्य के गवर्नर

(६) पंजाब राज्य के मुख्य मंत्री,

(७) राजकुमारी अमृत कौर,

(८) बख्शी ेक चन्द; और

(९) ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर।

पंजाब में आदिमजाति विद्यार्थियों के लिये संस्थायें

†२७२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता से पंजाब में आदिमजाति विद्यार्थियों के लिये प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थायें खोली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर तथा कितने स्थानों पर खोली गयी ैं?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). ंजाब में आदिमजाति के विद्यार्थियों के लिये कोई प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थायें नहीं खोली गई। परन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना में

†मूल अंग्रेजी में

आदिमजाति के लोगों को सुधरे हुए कताई के औजारों तथा उन की कताई और बुनाई के विकास के हेतु प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उपबन्ध किया गया था। ऐसे दो केन्द्र कांगड़ा जिले की कुल्लू तहसील के लाहौल क्षेत्र के कोलौंग तथा फूरा गांवों में एक कताई तथा दूसरा बुनाई के लिये १९५६–५७ में खोले गये हैं। चालू वर्ष में केन्द्र द्वारा संचालित कार्य-क्रम के अन्तर्गत (पश्मीना) ऊन की कताई के दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आशा है।

पंजाब में बच्चों तथा महिलाओं के लिये पुस्तकालय

†२७२२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पंजाब में बच्चों तथा स्त्रियों के लिये पुस्तकालय खोलने के हेतु स्वेच्छिक समाज कल्याण संगठनों को कितना अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन स्थानों पर खोला जा रहा है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अब तक २,६९० रुपये।

(ख) निम्नलिखित स्थानों की स्वेच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान दिया गया है :—

(१) करनाल

(२) सोनीपत

(३) फीरोजपुर

(४) अमृतसर

(५) करनाल जिले में तरोड़ी

(६) रोहतक ।

हिमाचल प्रदेश के समाज शिक्षा केन्द्र

†२७२३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अन्तर्गत कितने समाज शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) उन में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का ला० श्रीमाली) :** (क) ६३६।

(ख) ९५४०।

खाद्यान्नों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली पेशगी की रक़मों पर प्रतिबन्ध

†२७२४. **श्री राम कृष्ण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने देश के सभी अनुसूचित बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों पर उन के द्वारा दी जाने वाली रकमों को और भी कम कर दें;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के निर्बन्धन सुझाये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बैंकों ने इस का क्या उत्तर दिया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) १० सितम्बर, १९५८ को भारत के रिजर्व बैंक ने सारे देश के अनुसूचित बैंकों के पास इस आशय का एक निदेश पत्र भेजा था कि वे (धान तथा चावल को छोड़ कर) गेहूं तथा अन्य खाद्यानों पर दी जाने वाली पेशगी की रकमों में और भी कमी कर ें ।

(ख) निर्बन्धनों का प्रकार नीचे दर्शाया गया है :—

(क) गेहूं

(१) सारे राज्यों (जिन में पंजाब राज्य भी शामिल है) में चलने वाले बैंक के कार्यालयों में	अक्तूबर, १९५८ को शुरू होने वाले प्रत्येक महीने में १९५७ के उन्हीं महीनों में पेशगी दी जाने वाली रकमों की औसत सीमा को ६६⅔% के भीतर बनाये रखना ।
(२) पंजाब राज्य में	ऊपर के अनुसार ही ।

(ख) अन्य खाद्यान्न (जिनमें गेहूं, धान और चावल शामिल नहीं है) :

(१) सभी राज्यों में काम करने वाले बैंक के कार्यालयों में	अक्तूबर १९५८ को शुरू होने वाले महीने में १९५७ के उन्हीं महीनों में दी जाने वाली पेशगी रकमों की कुल औसत सीमा को ८० प्रतिशत के भीतर बनाये रखना ।

पिछले तीन वर्षों में इन महीनों में (क) और (ख) वर्ग के खाद्यान्नों पर ८० प्रतिशत औसत अग्रिम दिये जाने की सीमा ११ दिसम्बर, १९५७ के पिछले निदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई थी ।

अन्य खाद्यान्नों तथा धान और चावल पर बैंक द्वारा पेशगी की रकमें दिये जाने की औसत सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

(ग) हाल ही के इन निदेशों का बैंकों ने कहां तक पालन किया है, इस के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार से ग्रामीण क्षेत्रों को अलग करना

†**२७२५. श्री राम कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार तथा नियंत्रण से ग्रामीण क्षेत्रों को अलग रखने के बारे में सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अलग रखे जाने के लिये क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले की सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन स्कूल आफ माइन्स एंड अप्लाइड जियोलोजी

२७२६. **श्री ब० प्र० सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेशणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्कूल आफ माइन्स के निदेशक का पद स्थायी है अथवा अस्थायी; और

(ख) क्या इस पद पर काम करने वाले वर्तमान सज्जन की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की गई थी ?

वैज्ञानिक गवेशणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) यह नौकरी अस्थायी है और अभी सिर्फ ३० अप्रैल, १९६० तक इस की मंजूरी है।

(ख) मौजदा अफसर की नियुक्ति यू० पी० एस० सी० की सिफ़ारिशों से नहीं की गई है। उन्हें यू० पी० एस० सी० कंसलटेशन रेगुलेशन ४-बी के अनुसार अस्थायी तौर पर एक साल से कम अर्से के लिये नियुक्त किया गया है।

मिट्टी हटाने वाली मशीनों का निर्माण

†२७२७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापानी फर्म के सहयोग से मिट्टी हटाने वाले उपकरणों, ट्रेक्टरों, बुलडोजरों आदि के बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: (क) जी, हां।

(ख) जी हां। इस की शर्तें इस प्रकार हैं :–

(१) रेखा चित्रों, विस्तृत विवरणों तथा अन्य प्रविधिक सेटों के लिये प्रत्येक सैट के हिसाब से ९८० डालर का भुगतान।

(२) ३०० ट्रेक्टरों तक प्रत्येक ट्रेक्टर पर बनाये जाने के लिये २ प्रतिशत प्रविधिक सहायता शुल्क।

(३) स्वामिस्व शुल्क २ प्रतिशत ।

जापान में कारखानों से निकले हुए माल की कीमतों के आधार पर भारत में बनाये गये पुर्जों का जो मूल्य होगा उस पर प्रविधिक सहायता शुल्क तथा स्वामिस्व शुल्क लगाया जायेगा।

भारत में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये बनाये गये खुले पुर्जों पर कोई स्वामिस्व शुल्क नहीं चुकाया जायेगा। प्रतिरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी पक्ष के लिये बनाये गये खुले पुर्जों पर २ प्रतिशत स्वामिस्व शुल्क चुकाना होगा ।

स्वामिस्व शुल्क १० वर्षों की अवधि तक दिया जायेगा।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाली समितियां

२७२८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और अब तक १९५८–५९ में इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय के अन्तर्गत कितनी समितियां काम कर रही थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (१) कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ।

(२) कोयला खानों में रेत डालने के हेतु दामोदर घाटी निगम की नदियों के डेल्टों से रेत का परिवहन करने और उसे वितरित करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये ब्यौरेवार सवक्षण तथा पड़ताल करने वाले विशेषज्ञों का दल ।

(३) पश्चिमी बंगाल के आसनसोल सब-डिवीजन में ग्रेंड ट्रंक सड़क तथा बारकर शहर के अन्तर्गत कोयला खदान स्थापित करने के लिये संसाधनों की तदर्थ समिति ।

(४) कोयला क्षेत्रों के स्वेच्छिक समामेलन का संवर्धन करने वाली समिति ।

(५) संसाधनों का निर्धारण करने वाली समिति ।

(६) आवश्यकता तथा उपयोग समिति ।

(७) उत्पादन तथा तैयारी समिति ।

(८) परिवहन समिति

(अन्तिम चार समितियां भारतीय कोयला परिषद् की हैं)

(९) ईंधन दक्षता समिति ।

(१०) कोयल मंत्रणा समिति ।

(११) कोयला परिवहन मंत्रणा समिति ।

(१२) हार्ड कोक मांग निर्धारण समिति ।

(१३) तेल अनुसन्धान और उत्पादन, तेल को साफ करने तथा प्राकृतिक और तेल साफ करने के कारखानों की गैस से संबंधित मामले में सलाह देने वाली समिति ।

(१४) उपयोग किये गये चिकनाई के तेलों[1] को फिर से उपयोगी बनाने के लिये अंतर्विभागीय समिति ।

(१५) निवेली लिगनाइट परियोजना (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों की स्थायी सूची ।

(१६) पलाना लिगनाइट निक्षेपों के लिये विशेषज्ञ समिति ।

(१७) निम्न श्रेणी के अयस्कों को लाभकारी बनाने की रिपोर्ट बनाने वाली समिति ।

(१८) खनिज सम्पत्ति मंत्रणा समिति ।

(१९) खनिज सम्पत्ति की चार क्षेत्रीय परिषदें ।

(२०) राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं का समन्वय कर के सांख्यकीय जानकारी प्राप्त करने का एक अधिक संतोषप्रद तरीका निकालने के लिये एक कार्यकारी दल ।

(२१) खनिज पदार्थ मंत्रणा बोर्ड की अभ्रक उप-समिति ।

(२२) अभ्रक मंत्रणा समिति ।

(२३) अभ्रक उप-समिति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lubricating Oil.

(२४) लाभदायक खनिज पदार्थों के खनि स्वामियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या प्रलोभन तथा सुविधायें दी जायें, इस संबंध में पड़ताल करने तथा सिफारिशें करने की उपसमिति ।

(२५) पेट्रोलियम उपभोक्ता मंत्रणा समिति ।

सैनिक मिशन

†२७२९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक विदेशों को कितने सैनिक मिशन भेजे गये हैं ;

(ख) वे किन देशों को तथा किस प्रयोजन के लिये भेजे गये हैं; और

(ग) हर मिशन पर (अलग-अलग) कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख) . १९५७ में रूस को दो मिशन भेजे गये थे जिन में से एक स्थल सेना तथा वायु सेना का मिला जुला मिशन था जो स्थल सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में और दूसरा नौसेना मिशन था जो उपनौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में गया था। १९५८ में एक स्थल सेना मिशन स्थल सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में कनाडा और अमेरीका भेजा गया है और वह आजकल अमरीका में हैं । ये सब मिशन "सद्भावना प्रतिनिधि मंडल" के तौर पर ही गये हैं ।

(ग) १९५७ में स्थल सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में जाने वाले मिशन का खर्च लगभग ३८५०० रुपये था और उपनौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में जाने वाले मिशन का खर्च ७५०० रुपये है । इन आंकड़ों में भारतीय वायु सेना के उन विभागों के आने जाने का खर्च शामिल नहीं है जिन में प्रतिनिधि मंडल गये थे । १९५८ में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल पर होने वाला अनुमानित खर्च ३८,००० रुपये हैं ।

पंजाब में आयकर दाता

†२७३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के हर जिले में आजकल कितने लोग आयकर चुकाते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : पंजाब में १ सितम्बर, १९५८ को आयकर दाताओं की पूंजी में जिन लोगों के नाम हैं उन की जिलेवार सूची नीचे दी जाती है :–

१. जालंधर	२५०३
२. करनाल	१९४८
३. हिसार	१७६७
४. अम्बाला	३३५५
५. शिमला	९९८
६. गुरुदासपुर	१२३२
७. कांगड़ा	१७१
८. होशियारपुर	७५८

†मूल अंग्रेजी में

९. अमृतसर	६,६६८
१०. रोहतक	१,७९८
११. गुड़गांव	९३४
१२. मोहिन्द्रगढ़	२३७
१३. लुधियाना	३,५३३
१४. फीरोजपुर	२,२२७
१५. पटियाला	६,३८१
१६. कपूरथला	३९०
१७. भटिंडा . . .	२,६४०
१८. संगरूर .	१,४०३

भारत में अमेरिका के गैर-सरकारी विनियोजन

†२७३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमेरिका के गैर-सरकारी विनियोजन बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक १९५८ में कितना विनियोजन हुआ है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५८ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सूची

†२७३२. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ को उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त सारे देश के व्यक्तियों की सूची के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि-जीवी संघों के सदस्यों से इस के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र आये थे ;

(ग) विधि-जीवी संघों के सदस्यों में से किस आधार पर न्यायाधीशों का चुनाव किया गया है ;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई नाम सूची से वहां के मुख्य न्यायाधीश सहमत हैं ; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं उन में से कितने सरकारी नौकरी वाले हैं और कितने विधि जीवी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अभी तक कोई चुनाव नहीं किया गया ।

(घ) सूचियां मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से बनाई गई हैं ।

(ङ) यह जानकारी बताना उचित नहीं है ।

मिलिटरी डेरी फार्म, जबलपुर

२७३३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटरी डेरी फार्म के पास तहसील और जिला जबलपुर के सुखावलपुर गांव में ५०० एकड़ भूमि है जिस से उसे घास प्राप्त होती है ;

(ख) क्या इस भूमि में खेती की जा सकती है ;

(ग) क्या भारत सरकार इस भूमि को कृषि के लिये भूमिहीन कृषकों को देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का निर्णय कब तक किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सखलालपुर (न कि सुखावलपुर जैसे प्रश्न में कहा गया है) मिलिटरी फार्म के पास ४५० एकड़ भूमिक्षेत्र है । इस भूमि से हर साल ५ से ७ लाख पौंड घास काटा जाता है ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बैरकपुर छावनी

२७३४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैरकपुर छावनी में एक प्राइमरी स्कूल बनाने के लिये दिया गया अनुदान ३१ मार्च, १६५८ को स्कूल का भवन पूरा होने से पहले ही व्यपगत हो गया, क्योंकि भवन बनाने के लिने भूमि देर से दी गई ; और

(ख) क्या सरकार का छावनी को १६५८-५६ में भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिये नये सिरे से अनुदान देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) चूंकि ठेकेदार ने १५-३-५८ तक काम समाप्त नहीं किया था, छावनी बोर्ड ने २८,५३१.८६ रुपये की बकाया रकम सरकार को वापस कर दी है ।

(ख) वापस की गई राशि १६५८-५६ में फिर अनुदान कर दी गई है ।

जबलपुर में भूमि का अर्जन

२७३५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तहसील और जिला जबलपुर के सरकल २३ में सीता पहाड़ गांव में कुछ भूमि, जिस में कृषि की जा रही थी प्रतिरक्षा विभाग ने अर्जित कर ली है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा विभाग ने इस भूमि का अर्जन करने के पश्चात् उस का क्या उपयोग किया है ;

(ग) यदि इस भूमि को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो क्या भारत सरकार इस भूमि को भूमिहीन कृषकों को कृषि के लिये देने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का निर्णय कब तक किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, ५० वर्ष से ऊपर हुए ।

(ख) अधिकतर भूमि यूनिट लाइन, कुटुम्बों के निवास स्थान, प्रेड ग्राउंड आदि के लिये इस्तेमाल होती है ।

(ग) तथा (घ): खाली पड़ी भूमि प्रायः पथरीली है । इस में केवल २० एकड़ कृषि योग्य है । इस पर कृषि करने के लिये उचित प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८ को होने वाली बैठक के लिये साहित्य अकादमी

२७३७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष साहित्य अकादमी ने जिन लेखकों को पुरस्कार दिये उन में कितने सरकारी कर्मचारी हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी के सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर भी आकादमी के पुरस्कार दिये गये हैं ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). अकादमी ने पिछले साल जिन लेखकों को इनाम दिये उन में से न तो कोई सरकारी कर्मचारी था, और ना ही साहित्य अकादमी की जनरल काऊंसिल या एक्जीक्यूटिव बोर्ड का मेम्बर ।

दिल्ली में प्रतिलिपि अभिकरण (कापींग एजेंसी)

†२७३८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रतिलिपि अभिकरण (कापींग एजेंसी) का पुनर्गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) प्रतिलिपि विभाग की पुनरीक्षित नियमावली बना ली गई है तथा जिला तथा सत्र न्यायाधीशों की मंजूरी के लिये भेजी गई है ।

(ख) कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के लिये प्रतिलिपि विभाग के काम की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रतिलिपि विभाग का पुनर्गठन जब तक विचाराधीन है तब तक वर्तमान बकाया काम को निपटाने के लिये अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दियासलाई पर उत्पादन शुल्क

†२७३९. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब १५ फरवरी १९५८ को मदुरै डिवीजन के निरोधक उपअधीक्षक, उत्पादन शुल्क ने शिवकासी के दियासलाई के कारखानों की जांच की थी तब क्या दियासलाई के बंडलों की कोई कमी पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कुछ कर्मचारी भी मुअत्तल कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मामला कब निपटाया जायेगा ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) जी, हां। १५ फरवरी, १९५८ को शिवकासी के तीन दियासलाई के कारखानों में उपअधीक्षक, मदुरै डिवीजन ने दियासलाई के बंडलों में काफी कमी पाई थी ।

(ख) संचालकों को स्पष्टीकरण करने के लिये नोटिस दिया गया था और उन के उत्तर प्राप्त हो गये हैं । इन की जांच की जा रही है तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, समाहर्ता, मद्रास के द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उन को आरोप पत्र दे दिये गये हैं । उनके जवाब आ जाने पर तथा मौखिक जांच हो जाने पर उन के खिलाफ प्रशासनीय कार्यवाही करने का अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

इस्पात कारखानों के लिये इजीनियरों की आवश्यकता

†२७४०. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई तथा रूरकेला के प्रत्येक इस्पात, कारखाने के लिये लगभग कितने इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) अब तक इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :: (क) यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक इस्पात कारखाने के लिये औसतन ६७० इंजीनियर तथा उच्च अधीक्षण कर्मचारी और ६३०० कुशल श्रमिकों और मशीनें चलाने वाले व्यक्तियों की जरूरत होगी ।

(ख) अब तक १२०० इंजीनियर तथा २७०० कुशल श्रमिक भर्ती कर लिये गये हैं । प्रशिक्षण का प्रबन्ध इस ढंग से किया गया है कि ज्योंही कोई भाग तैयार हो जाता है त्योंही उस का कार्य भार संभालने के लिये आवश्यक इंजीनियर तथा मशीन चालक भी मिल सकेंगे । २४१ इंजीनियर प्रशिक्षण के लिये रूस भेजे गये थे । इनमें से इस वर्ष १२४ इंजीनियर प्रशिक्षण समाप्त कर के लौट आये हैं और निश्चित तिथि के भीतर ६८६ मनुष्यों को प्रशिक्षित करने में किसी कठिनाई की आशा नहीं की जाती ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों के अधिकांश इंजीनियरों को फोर्ड प्रतिष्ठान की सद्भावना से ब्रिटेन में प्रशिक्षण दिया जायेगा। १९८ इंजीनियर दो दलों में अमेरिका को प्रशिक्षण के लिये भेजे ग े हैं। उन में से ११३ इंजीनियरों का पहिला दल थोड़े दिनों में वापस आने वाला है। तीसरा दल, जिस में १०० इंजीनियर हैं, इस माह की १ और २ तारीख को अमेरिका गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन में ३०० इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये कोलम्बो योजना के अधीन व्यवस्था की गई है। अभी ६७ ंजीनियर वहीं हैं। उन में से १ प्रशिक्षण के बाद लौट आया है, पांच इंजीनियर आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट आये हैं और १ कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस आ गया है। कनाडा तथा आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण की और अधिक सुविधायें देने के लिये तैयार हो गये हैं। रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पश्चिमी जर्मनी में ६३ इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया है। इस के अलावा उसी देश में अभी भी ४६ लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। जमशेदपुर में एक बड़ी प्रशिक्षण स्थापना चल रही है जिसमें विदेश भेजने के पूर्व हर एक नौजवान इंजीनियर को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

जिन उच्चतर प्रवीण मशीन चालकों को इस्पात संयंत्रों के विशेष अनुभव की जरूरत है उन्हें भी प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जायेगा। अभी तक ऐसे २९९ व्यक्ति रूस और ३२ व्यक्ति जर्मनी भेजे गये हैं। भारत के वर्तमान इस्पात कारखानों में यह व्यवस्था की गई है कि १८०० मशीन चालकों को चार वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण दिया जाय। ७४ इंजीनियरिंग साथ एक ही बार में १६०० कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिये तैयार हो गई हैं। ऐसी आशा की जाती है कि तीनों स्पात कारखानों में जब पूरा उत्पादन होने लगेगा तब तक इन केन्द्रों में लगभग १३०० कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षत कर दिया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक अभिकरण

†२७४१. **श्री वें० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि वे हर जिले में भ्रष्टाचार निरोधी कार्यवाही करने के लिये गैर-सरकारी अभिकरण बनायें ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की कोई रिपो ि मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†२७४१-क. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने की निर्माण लागतों में कोई परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है और उस की सरकार पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) शायद माननीय सदस्य इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का उल्लेख कर रहे हैं जिसे दुर्गापुर इस्पात कारखाना बनाने का ठेका दिया गया है । ठेके के कीमत परिवर्तन खंड के अन्तर्गत वह समय समय पर अपने दावे भेजती रहती है ।

(ख) करार में समायोजन का आधार निश्चित कर दिया गया है और वह रोजमर्रे के लेखे का मामला है ।

विश्व बैंक सम्मलन

२७४१-ख. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अगले म ीने जो विश्व बैंक सम्मेलन हो रहा है उस के लिये परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उस के लिये गैर-सरकारी टैक्सियां किराये पर रख ली हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी टैक्सियां किराये पर रखी गई हैं ;

(घ) किस आधार पर टैक्सियों के लिये ठेका दिया गया है ; और

(ङ) क्या पड़ौसी राज्य सरकारों से परिवहन के लिये बसें मंगाने के प्रयत्न किये गये हैं ?

†**राजस्व तथा सैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्राधिकारियों ने सम्मेलन के लिये उपयुक्त आकार तथा नमूने की १५० कारों की व्यवस्था कर े को कहा है, जिन में से १०० कारों का खर्च भारत सरकार भुगतेगी तथा ५० कारों का खर्च अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दिया जायेगा ; इस के अतिरिक्त सम्मेलन के कार्य के लिये भारतीय सम्पर्क कार्यालय के हेतु २० कारों की व्यवस्था की गई है और वे "आवश्यकतानुसार" उपयोग में लाई जायेंगी । सम्मेलन प्राधिकारियों को उन व्यक्तियों के लिये बसों की शटल सेवाओं की जरूरत है जिन्हें कारें नहीं मिल पायेंगी ; इन बसों की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम से बातचीत कर ली गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उपयोग के लिये डी एल ज़ेड प्रकार की १२५ बड़ी टैक्सियों तथा उत्तरप्रदेश रोडवेज़ (उत्तर प्रदेश द्वारा चालित) से २५ बड़ी टैक्सियों की व्यवस्था कर दी गई है तथा भारतीय सम्पर्क कार्यालय के लिये २० छोटी टैक्सियों की व्यवस्था की गई है ।

(घ) डी एल ज़ेड कार चलाने वालों से मंगाये गये सब से कम मूल्य-कथन के आधार पर ही प्रारंभतः टैक्सियों की व्यवस्था की गई थी । उस के आधार पर चुने गये ठेकेदारों की सहमति से इन्हीं दरों पर अन्य डी एल ज़ेड टैक्सियों के मालिकों की टैक्सियों का भी प्रबन्ध किया गया है ।

(ङ) चूंकि जितनी बसों की जरूरत थी वे सभी दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा दे दी जायेंगी अतएव पड़ौसी सरकारों से बसें मांगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर में शुद्धि

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में, जहां तक कि उस का सम्बन्ध २१ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के भाग (घ) के उत्तर में दी गई जानकारी से है, शुद्धि का भाग (घ) करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा।

विवरण

पहिले जो जानकारी दी गई थी वह गलत है अतएव लोक-सभा के पटल पर निम्नलिखित सही जानकारी रखी जाती है :—

(घ)	१. बलवाड़ी	१,८७६.४२
	२. समाज शिक्षा	९३३.६९
	३. दस्तकारी प्रशिक्षण	२,३२२.४०
	४. सांस्कृतिक तथा मनोरंजक गतिविधियां . .	१,२००.५४
	५. प्रसूति कार्य के लिये .	१,४२०.५२

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये कुछ वक्तव्यों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आप ने तथा प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें यानी सभी दलों को खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर, मिल जुल कर हल करना चाहिये। उत्तर प्रदेश में सभी दल समझौते के लिये प्रयत्नशील हैं। परन्तु डा० सम्पूर्णानन्द आज भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं कि वह विरोधी दलों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन का यह रवैया प्रधान मंत्री द्वारा बताई गई नीति के विरुद्ध है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। उसमें दिया है कि :

> "राज्य की राजनैतिक स्थिति की ओर निर्देश करते हुए, यह कहा जाता है कि मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वह विरोधी दलों से बातचीत करें क्योंकि इसका यह अर्थ होगा कि बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यक दल से दब गया।"

मैं समझता हूं कि इस कथन को देखते हुए विरोधी दलों का कुछ भी करना कठिन हो जायेगा। मेरा गृह-मंत्री से यह अनुरोध है कि वह इस पर प्रकाश डालें कि अल्पसंख्यक दल किस प्रकार काम करें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं। मुख्य मंत्री पर उत्तर प्रदेश के शासक प्रबन्ध का भार है। उन्होंने कहा है कि जब तक आन्दोलन चलता रहेगा वह विरोधी दलों से कोई भी बात करने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि मुख्य मंत्री पर राज्य के कामों की जिम्मेदारी है और राज्य में राज्य विधान सभा भी है, इसलिये यह मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है।

हाल में ही सभी सम्बन्धित माननीय सदस्य मुझ से मिले थे और मैंने उन्हें बताया कि स्थगन प्रस्ताव मिलने पर मैं उस पर विचार करूंगा कि उसको सभा में पढ़ा जाना चाहिए अथवा नहीं और मैं यह देखूंगा कि उसकी अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस व्यवस्था से लगभग सभी सहमत हो गये थे। जब मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है तो उसको यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये ?

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में

†**डा० क० ब० मेनन** (बाडागरा) : श्री मसानी, जिन्होंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, एक आवश्यक कार्य के कारण बम्बई चले गये हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि विशेषाधिकार के मामले पर आप अपना निर्णय अभी स्थगित कर दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। विशेषाधिकार के प्रश्न पर प्रारम्भिक चर्चा होने के पश्चात् श्री मसानी दिल्ली से बाहर चले गये। नियम २२५ के अधीन यदि मैं प्रस्ताव के लिए अनुमति देता हूं तो उसे प्रस्तुत करने के लिये माननीय सदस्य जिन्होंने उस प्रश्न को उठाया था, को ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहां पर उपस्थित होना चाहिए। वह बम्बई चले गये परन्तु जाने से पूर्व उन्होंने एक पत्र मुझे भेजा है कि उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने का काम डा० क० ब० मेनन को सौंप दिया है।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : किस नियम के अधीन ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सम्भवतया माननीय सदस्य ने शायद यह समझा कि प्रश्नों के मामले में जिस प्रकार, एक सदस्य दूसरे को प्रश्न प्रस्तुत करने का अधिकार दे देते हैं, उसी प्रकार इस मामले में भी ऐसा ही किया जा सकता है। परन्तु नियमों के अधीन इस मामले का अधिकार अन्य किसी सदस्य को नहीं दिया जा सकता है।

डा० क० ब० मेनन ने मुझे पत्र लिखा कि श्री मसानी बम्बई चले गये हैं इसलिए इस विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में मैं अपने निर्णय को स्थगित कर दूं। वैसे मैं यह सोच रहा था कि मेरी ओर से इस विषय पर निर्णय देने में देर नहीं होनी चाहिये! अब चूंकि डा० मेनन ने मुझे श्री मसानी की ओर से लिखा है इसलिये शनिवार तक मैं अपने निर्णय को स्थगित करता हूं।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं अथवा यहां पर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियमों को देखें। प्रक्रिया के अनुसार यदि नियम २२५ के अधीन मैं अनुमति देता हूं तो प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् मैं माननीय सदस्य को पुकारूंगा, जो प्रस्तुत करने की अनुमति मांगते हुए एक छोटा सा वक्तव्य देंगे। यदि अनुमति देने पर आपत्ति उठाई जाती है तो मैं यह जानने के लिये कि प्रस्ताव को २५ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने को कहूंगा सन्तुष्ट हो जाने पर मैं अनुमति दे दूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सदस्य द्वारा सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, मामले पर विवाद होगा और इसका निर्णय किया जायेगा कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं। अभी तो प्रारम्भिक बातों पर ही मेरी अनुमति मांगी गई है। इस बीच में ही डा० मेनन का यह पत्र मुझे मिला, इसीलिए मैं शनिवार तक अपने निर्णय को व्यक्त नहीं करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संसद के पदाधिकारियों (यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते) नियमों में संशोधन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा दैनिक भत्ते, अधिनियम १९५३ में की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत संसद् के पदाधिकारी (यात्रा तथा दैनिक भत्ते) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९४७/५८]

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा सुविधायें तथा अन्य विशेषाधिकार) नियमों में संशोधन

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा सुविधायें तथा अन्य विशेषाधिकार) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९४८/५८]

रूस जाने वाले वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल के नेता का प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं मई, १९५८ में सोवियत रूस जाने वाले वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मण्डल के नेता के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९४९/५८]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(१) दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ७७४।

(२) दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ७९३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९५०/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं,श्री ब० रा० भगत की ओर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ के अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९५ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९५१/५८]

भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड)** : श्री रघुरामैय्या की ओर से, मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन की लेखा-परीक्षित लेखे सहित, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ९५२/५८]

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । अभी अभी माननीय सभा सचिव ने वर्ष १९५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखा परन्तु १९५५-५६ के लेखा-परीक्षित लेखे और वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गये । उन्हें केवल ४ सितम्बर, १९५८ को प्रतिरक्षा मन्त्रालय के विनियोग लेखों के परिशिष्ट के एक भाग के रूप में सभा पटल पर रखा गया था ।

समवाय अधिनियम की धारा ६३९ के अधीन यह प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरण प्रतिवर्ष सभा पटल पर रखे जाने चाहियें । मुझे पता लगा है कि इन लेखों पर लेखा-परीक्षकों के हस्ताक्षर तथा निदेशकों की स्वीकृति २० नवम्बर १९५६ को प्राप्त हो गई थी । परन्तु आज तक वह सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं । इस वर्ष का प्रतिवेदन भी १८ महीनों के पश्चात् आज सभा पटल पर रखा जा रहा है । इसको सभा पटल पर रखने में इतनी देर क्यों होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में देर क्यों की गई है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं इसकी जांच करूंगा और कल एक वक्तव्य दूंगा ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे कानपुर नगर के जिलाधीश का दिनांक २३ सितम्बर, १९५८ का यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, प्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ७ के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में कानपुर जिले के बिल्हौर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि लोक-सभा के सदस्य श्री जगदीश अवस्थी को इन धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के लिये गिरफ्तार कर लिया जाये । तदानुसार लोक सभा के सदस्य श्री जगदीश अवस्थी को २३ सितम्बर, १९५८ को ३ म० प० बजे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस समय जिला जेल, कानपुर में रखा गया है ।"

---

†मल अंग्रेजी में

याचिका समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति की पांचवें सत्र में हुई उन्नीसवीं और बीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य सभा ने २२ सितम्बर, १९५८ को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के कुछ भागों में किराये और निष्कासन के नियंत्रण और सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

(१) श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय
(२) श्रीमती अम्मूस्वामीनाथन्
(३) श्री देवकीनन्दन नारायण
(४) डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे
(५) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह
(६) बाबू गोपीनाथ सिंह
(७) श्री ओंकार नाथ
(८) श्री ए० धर्मदास
(९) श्री आर० एस० डूगर
(१०) डा० राजबहादुर गौड़
(११) श्री फरीदुलहक अंसारी
(१२) श्री आनन्द चन्द
(१३) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी
(१४) मिर्ज़ा अहमद अली
(१५) श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में मोती बाग में कुछ दुकानों और मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई"

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मोतीबाग कालोनी सबसे पहले १६५५–५६ में सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए एक कालोनी के रूप में स्थापित की गई थी। इसके बसने के तुरन्त बाद, यहां पर कित े ही अनधिकृत मकान, स्टाल आदि बना दिये गये जिनका उपयोग दुकानों तथा दुग्धशालाओं आदि के रूप में किया जाने लगा। इस प्रकार की दुकानों आदि से केवल सरकारी जमीन पर ही कब्जा नहीं किया गया अपितु वहां गन्दगी भी फैल रही थी। हाल में ही बने मकानों और दुकानों आदि को समय समय पर इसलिए गिराया जा रहा है जिससे यह अनधिकृत मकान और न बन सकें। २७ अगस्त, १६५८ को मोतीबाग में सरकारी ज़मीन पर हाल में ही बनाये गये मकानों को गिरा दिया गया था। इन मकानों को गिराने में किसी के साथ भी जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

अनधिकृत मकान आदि बनाने को रोकने की समस्या बड़ी ी गम्भीर तथा अविलम्बनीय महत्व की ै क्योंकि इससे गन्दगी और अस्वच्छता फैलती है। दिल्ली के मुख्य आयुक्त, दिल्ली के सभी संसद् सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों की एक समिति अभी नियुक्त की गई है जो इस समस्या पर विचार करेगी और इसको हल करने के लिए सुझाव देगी।

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : श्रीमान्, तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, मैंने बताया था कि रूरकेला के उपोत्पाद संयंत्र में तारकोल, तरल अमोनिया तथा बेन्ज़ोल उपोत्पाद बनाये जायेंगे। ये उपोत्पाद कोक भट्टी के हैं। उपोत्पाद संयंत्र के द्वारा जो उत्पाद बनाये जायेंगे वह मध्यवर्ती हैं तथा बाज़ार में बिकने वाले उत्पाद हैं, जैसे भारी और हल्के तार तेल, निराल, फिनाइल, नैफथैलीन, एनथ्रासीन, बैन्ज़ौल, शुद्ध बैन्ज़ीन, शुद्ध टौलीन, जैलीन, सांद्रित (कन्सेन्ट्रेटेड) तरल एमोनिया, तरल सल्फ्यूरिक एसिड, तथा फिनाइल के उत्पाद होंगे।

मैंने यह भी कहा था कि भिलाई और दुर्गापुर के उपोत्पाद संयंत्र की लागत के कोई प्राक्कलन नहीं बनाये गये हैं। ठीक स्थिति यह है कि दुर्गापुर के उपोत्पाद संयंत्र कोक भट्टी संयंत्र, सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र, बैन्ज़ोल शुद्धिकरण संयंत्र तथा तारकोल बनाने के संयंत्र पर लगभग ६.४करोड़ रुपये खर्च आयेगा। यद्यपि भिलाई के अन्य व्ययों से उपोत्पाद संयंत्र का व्यय अलग करना बड़ा कठिन है परन्तु अनुमान है कि इस पर लगभग ३ से ४ करोड़ पये खर्च होगा।

सभा का कार्य

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : आज सवेरे हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि श्री फीरोज गांधी काफ़ी बीमार हैं, जिसका हमें बड़ा दुख है। उनकी बीमारी के कारण, आज वह उस चर्चा को, यहां नहीं उठा सकते, जो उनको उठानी थी। इसलिए क्या यह सम्भव है कि उस चर्चा के स्थान पर कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा सके?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे उनकी बीमारी का बड़ा दुख है परन्तु साथ ही इसकी प्रसन्नता भी है कि अब उनकी हालत सुधर रही है। कल रात १० अथवा १०–३० बजे मैं अस्पताल गया था। उस समय वह सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया नहीं। उनकी देखभाल करने वालों ने बताया कि हालत सुधर रही है। मैं उनके निजी सचिव को बता आया हूं कि वह उनसे बता दें कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिये फिर कभी अवसर देने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के सुझाव पर मैं विचार करूंगा। कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों का मत है कि वे इस समय विचार करने को तैयार नहीं हैं जबकि सत्र समाप्त होने वाला है। मैं सबका परामर्श लेकर विचार करूंगा कि किस विषय पर चर्चा की जायेगी।

वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा में वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी। कल प्रस्तुत सभी मांगें और कटौती प्रस्ताव संख्या १४,२५,२६ ४०, ५१ और ५२ सभा के समक्ष हैं। माननीय मंत्री वाद विवाद का उत्तर दें, फिर कटौती प्रस्ताव व मांगों को मतदान के लिये रखा जायेगा।

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** श्रीमान् जो आठ मांगें कल प्रस्तुत की गई थीं, उनके बारे में कुछ विषयों पर मेरे उन साथियों ने जिनका उनसे सम्बन्ध था उत्तर दे दिया है। कुछ मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी अनुमति ही नहीं दी अपितु यह कहा कि उनके लिये कुछ और रुपया दिया जाये, जैसे नागा पहाड़ियों आदि में सड़कें बनाने के लिए।/

आठ मांगों में से चार मांगें न्यायालयों के चाट के कारण प्रस्तुत की गई हैं। जब भी किसी पदाधिकारी ने यह समझा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसने न्यायालय से डिग्री ले ली और वह पया अनुपूरक मांगों के अधीन धन दिया जा रहा है। अन्य चार मांगें नमक, इस्पात, नागा पहाड़ियों की सड़कों तथा राज्य सरकारों को दिए गए दो ऋणों से सम्बन्धित हैं। वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध राज्यों को दी गई ऋण सहायता से है। श्री पाणिग्रही ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह प्रश्न उठाया कि यदि राज्य सरका इस ऋण को वापस नहीं दे पाईं तो क्या होगा। केन्द्रीय सरकार विदेशों से ऋण लेकर और आन्तरिक संसाधनों के आधार पर कार्य चला रही हैं, और राज्य सरकारों को विकास कार्यों के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत सरकार को अन्ततः ऐसी नीति अपनानी है जिससे कि राज्य सरकार ऋणों को वापस दे सकें। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऋण के रूप में जो भी सहायता दी जा रही है वह ूजीगत विकास कार्यों के लिए दी जाती है। योजना आयोग सभी राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार करता है तथा पर्याप्त बातचीत के पश्चात् इसका निर्णय करता है कि किस वर्ष में कितनी सहायता दी जानी चाहिए। योजना आयोग के इस निर्णय को वित्त मंत्रालय सामान्यतः स्वीकार कर लेता है।

जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है ऐसी कोई बात नहीं है कि उड़ीसा को भारत सरकार को अथवा बाज़ार में १५० करोड़ रुपया देना है। यह राशि लगभग ८० अथवा ९० करोड़ पया है। यह भी अधिकांशतः हीराकुड परियोजना के लिए हैं और बाक़ी मछकुण्ड परियोजना के लिए हैं। दोनों परियोजनाओं से उचित समय के बाद आय होने लगेगी और वह केन्द्रीय सरकार को अथवा बाज़ार में

---

†मूल अंग्रेजी में

जिससे ऋण लिया होगा उसको रुपया वापस दे सकेगी । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई कठिनाई हमारे सामने नहीं आयेगी कि राज्य सरकारें ऋण वापस न दे सकें। हम राज्य सरकारों पर जोर डाल रहे हैं कि वह अपने साधन बढ़ायें । वित मंत्रालय तथा योजना आयोग उनसे बराबर कह रहे हैं कि वह अपने साधन बढ़ायें जिससे वह राजस्व व्यय पूरा कर सकें तथा सूद दे सकें ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग राज्यों को दिये जाने वाले इन ऋणों को एकीकृत करने की सोच रहा है और क्या सरकार दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नंगल तथा हीराकुड को दिये गये ऋण पर भी सूद लेगी ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : जी हां, सभी ऋणों पर सूद लिया जायेगा । इस मामले पर वित्त आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह विचार किया है । हम वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सके कि राज्य सरकारों को दिये गये ऋण को, हम दो प्रकार के ऋणों के रूप में स्वीकृत कर दें एक को १५ वर्ष की अवधि में देय बनायें तथा दूसरे को ३० वर्ष की अवधि में देय बनायें । इससे केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहायता देने में असमर्थ हो जायेगी । परन्तु प्रत्येक राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस राज्य सरकार को दिये गये सभी ऋणों को एकीकृत किया जा सके । १-४-१९५७ को सभी राज्य सरकारों को ९८० करोड़ रुपये के ऋण की सहायता दी गई थी । गत वर्ष २९० करोड़ रुपये की और सहायता दी गई और इस प्रकार कुल राशि १२७० करोड़ रुपये होती है । गत वर्ष किश्तों के अनुसार हम ने ६० करोड़ रुपये उगाहे । इस प्रकार १-४-१९५८ को सभी राज्य सरकारों से हमें लगभग १२०० करोड़ रुपये लेने हैं । छोटे बड़े सभी प्रकार के ऋण हैं; किसी की अवधि एक वर्ष की है, किसी की दो, पांच अथवा दस वर्ष है । इन सभी का एकीकरण होना है । हमें राज्य सरकारों का परामर्श लेना है और ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को ऋण देने में असमर्थ न हो जाये ।

खैर, इस मांग में २ करोड़ रुपये मांगे गये हैं । करनाल के माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब सरकार को अधिक ऋण दिया जाना चाहिये । मैंने आंकड़े देखे हैं और मुझे पता लगा कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को अधिकतम सहायता दी है । इस में वह भी सहायता शामिल है जो भाखड़ा नंगल परियोजना को दी गई है । १-४-१९५७ को पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को १९२ करोड़ रुपये दिये जाने थे । इससे अधिक राशि किसी राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को नहीं देनी है । दूसरा नम्बर शायद पश्चिमी बंगाल सरकार का है जिसको १५३ करोड़ रुपये देने हैं । हम पंजाब सरकार अथवा अन्य किसी सरकार को कम सहायता देना नहीं चाहते हैं । हमारी शक्तियों तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में योजना आयोग प्रति वर्ष पूरी तरह विचार करता है । आवश्यकता अधिक होने पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण की सहायता भी देती है ।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मैंने यह कहा था कि बाढ़ रोकने के कार्यों के लिये पंजाब सरकार को अधिक ऋण नहीं दिया जा रहा है ।

†**डा० गोपाल रेड्डी**: अधिकांश ऋण भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये होता है । जो भी हो, उन्हें हमें १९२ करोड़ रुपये देने हैं और हम निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये सहायता दी जाये । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा योजना आयोग के पास यह मामला विचाराधीन है और हम निश्चित रूप से उनको पर्याप्त सहायता देने की व्यवस्था करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि वह केन्द्र का ऋण नहीं दे पायेगी। श्री पाणिग्रही ने मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बात का जो उल्लेख किया मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है।

†**श्री पाणिग्रही** : मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कहा था कि मान लीजिये राज्य सरकार ऋण वापस नहीं दे पाती तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को नीलाम पर चढ़ा देगी ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : हम किसी को नीलाम पर नहीं चढ़ायेंगे। हम अवश्य इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकारें केन्द्र से अथवा बाजार में अन्य किसी से लिये गये ऋण को वापस कर सकें। अन्यथा सरकारी व्यवस्था किस प्रकार चल सकेगी। और यह बात राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की प्रतिष्ठा के अनुकूल भी नहीं होगी।

मांगों को स्वीकृति देते हुए माननीय सदस्यों ने नमक, तेल आदि के सम्बन्ध में सामान्य नीति की ओर ध्यान दिलाया जिस का मेरे साथी उत्तर दे चुके हैं। इससे मेरा काम आसान हो गया है क्योंकि वित्त मंत्रालय की केवल मांग है जिसको सभा ने सामान्यत: स्वीकृति दे दी है और पंजाब, उड़ीसा आदि की राज्य सरकारों के लिये और ऋण की याचना की है। हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और जहां तक संभव होगा हम राज्यों की सहायता करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं :

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३	नमक	४,००० रुपये
१२८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,९०,००,००० रुपये
१३०	सड़कों पर पूंजी व्यय . . .	५२,०८,००० रुपये

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना तथा उसके कार्य-संचालन के लिये, जहां तक उस निगम के पद, उस की उन्मुक्तियों तथा उसके विशषाधिकारों का सम्बन्ध है, और तत्सम्बन्धी मामलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गोपाल रेड्डी]

सभा को मालूम है कि जुलाई १९४४ में ब्रटेन बुड्स सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं के फलस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र संगठन के दो विशेषित अभिकरणों—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और पुर्ननिर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—की स्थापना की गई थी। दिसम्बर १९४५ में २८ सरकारों ने इन दो संगठनों के करार के अन्तर्नियमों पर हस्ताक्षर किये थे, और तभी इनका कार्य आरम्भ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संगठन और अन्य अभिकरणों की भांति ही, इन संगठनों के करार के अन्तर्नियमों में भी इन दोनों संगठनों, उनके पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कुछ उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। २४ दिसम्बर, १९४५ को प्रख्यापित किये गये तत्सम्बन्धी अध्यादेश के अन्तर्गत इन व्यवस्थाओं को वैधानिक रूप से प्रभावी बनाया गया था।

इसके कुछ समय बाद एक और ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की जरूरत भी महसूस की गई जो विशेषकर कम विकसित देशों के निजी क्षेत्रों में विनियोजन को प्रोत्साहित कर सके। इसीलिये जुलाई १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई। भारत शुरू में ही उसका सदस्य बन गया। अगस्त, १९५६ में, संसद् के अनुमोदन से, उसके लिये ४४·३१ लाख डालर का चन्दा दे दिया गया। इस निगम के और उसके पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में निगम के करार के अन्तर्नियम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की तरह के ही रखे गये हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के उद्देश्य से सभी सदस्य देश सहमत हो गये थे और साथ ही उन में यह भी तय हुआ था कि सदस्य देशों को उनमें आपस में हुए समझौते के आधार पर उन्मुक्तियां और विशषाधिकार देकर निगम के कार्य-संचालन के लिये सुविधायें पैदा करनी चाहियें, कर लगा कर या किसी अन्य तरीके से उसके कार्य-संचालन में अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहियें। करार के अन्तर्नियम ६ में व्यवस्था की गई है कि निगम को सदस्य देशों में केवल वही सुविधायें जुटाई जायें जो सफलतापूर्वक कार्य-संचालन के लिये अत्यावश्यक हों। यह अन्तर्नियम सभा में प्रस्तुत विधेयक में दिया गया है। उसमें इन उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय बात यह है कि निगम को विधिवेता की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। उसे संविदा करने, सम्पत्ति का अर्जन करने और वैधानिक कार्यवाही करने की क्षमता प्रदान की गई है। निगम की आस्तियों को न्यायिक कार्यवाही से कोई भी उन्मुक्ति नहीं दी गई है। निगम के अभिलेखागार की अनुल्लंघनीयता को मान्यता दी गई है। उसके अधिकृत संचार के सम्बन्ध में भी उसे कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं। निगम की सम्पत्तियां और उसकी आस्तियां हर प्रकार के प्रतिबंधों, विनियमों, नियंत्रणों और अदायगी में विलम्ब करने के प्राधिकार से मुक्त रहेंगी, लेकिन यदि निगम के विरुद्ध कोई निर्णय हुआ हो तो उसके अनुसार उनको कुर्क किया जा सकता है।

निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को केवल उनके अधिकृत कार्यों के सम्बन्ध में ही वैधानिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति दी गई है। उनको उत्प्रवास, प्रतिबन्धों, विदेशियों के सम्बन्ध में लगने वाले प्रतिबन्धों की अपेक्षाओं, सेवा के दायित्वों, इत्यादि से उतनी ही उन्मुक्ति दी गई है जितनी कि अन्य सदस्य देशों में उसी श्रेणी के पदाधिकारियों, इत्यादि को दी जाती है। यात्रा की सुविधाओं के बारे में भी उनको उतना ही विशेषाधिकार दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के चार्टर के अन्तर्गत प्राधिकृत निगम, उसकी आस्तियों, आय और उसके कार्य-संचालनों तथा सौदों को सभी प्रकार के करों और सीमा शुल्कों से उन्मुक्त रखा गया है। निगम को किसी भी कर या शुल्क की संग्रह या उसकी अदायगी के दायित्व से भी उन्मुक्त रखा गया है। निगम के उन निदेशकों पदाधिकारियों या कर्मचारियों, इत्यादि को जो स्थानीय नागरिक नहीं हैं, निगम द्वारा दिये जाने वाले वेतनों और उपलब्धियों को करों से विमुक्ति दी गई है।

निगम के करार की धारा १० के कथित अन्तर्नियम ६ की अपेक्षा यह है कि हर सदस्य देश को, अपने क्षेत्र में अपने यहां की विधि के अनुसार, अन्तर्नियम में दिये गये सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी । इस विधेयक का प्रयोजन यही है । निगम के एक सदस्य होने की हैसियत से हमें जो दायित्व निभाने हैं, उनके लिये ही यह विधेयक रखा जा रहा है ।

सभा इस निगम की सामान्य कार्यवाहियों के बारे में भी कुछ जानना चाहेगी । इस निगम ने अभी तक विभिन्न देशों के दस प्रस्तावों को मंजूरी दी है । अभी तक किसी भी निजी भारतीय फर्म के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की ओर से कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन भारत से भेजे गये कुछ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम निजी उद्यमों द्वारा भेजे जाने वाले प्रार्थनापत्रों पर स्वयं विचार करता और उनके सम्बन्ध में फैसले करता है, इसलिये मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता । सरकार से उसका सम्बन्ध तो तभी होता है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसी निजी उद्यम के लिये ऋण मंजूर कर देता है और प्रार्थियों में आपस में सिद्धान्तः कुछ समझौता हो जाता है । खैर, उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आशा है कि सभा इस विधेयक को स्वीकृति देगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ औचित्य प्रश्न उठाने हैं ।

खण्ड ३ (२) में सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक अधिसूचना जारी करके अनुसूची को संशोधित कर सकती है । यह संविधान की शक्ति से परे है ।

पूरी अनुसूची संविधान की शक्ति से परे है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद १४ का उल्लंघन किया गया है । अन्य निगमों को ऐसी उन्मुक्तियां नहीं दी गई हैं । उसमें व्यवस्था है कि सरकार अधिसूचना जारी करके, निगम को कुछ करों से विमुक्त कर सकती है, इसका अर्थ है कि वह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, जिसके लिये, संविधान के अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत, राष्ट्रपति की सिफारिश होना जरूरी है । यह व्यवस्थायें इसीलिये संविधान की शक्ति से परे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पूर्व दृष्टांत यह है कि संविधान की शक्ति से परे होने या न होने के प्रश्न पर अध्यक्ष कोई विनिर्णय नहीं देता, उसे सभा के मतदान के लिये छोड़ देता है । माननीय सदस्य ने स्वयं ही २१ दिसम्बर, १९५७ को खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक के खण्ड ६ के बारे में ऐसा ही प्रश्न उठाया था, और उस पर भी यही विनिर्णय दिया गया था । पूरे विधेयक के संविधान की शक्ति से परे होने के सम्बन्ध में कई बार ऐसे प्रश्न उठाये जा चुके हैं, और उन अवसरों पर भी उसे सभा के निर्णय के लिये ही छोड़ दिया गया था । श्री भरूचा केवल विधेयक के सम्बन्ध में ही बोलें ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं केवल प्रक्रिया सम्बन्धी मामले में एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[श्री महन्ती]

प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस संसद् से पूछे बिना ही धन विधेयक के क्षेत्र में आने वाले मामलों के सम्बन्ध में इस प्रकार से एक करार करके या कार्यपालक आदेश जारी करके कोई निर्णय कर सकती है ? प्रश्न यह है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ इस करार पर ३१ दिसम्बर, १९५६ को हस्ताक्षर कर दिये थे, लेकिन उसका अभिसमर्थन अब १९५८ में कराया जा रहा है । अब क्या इनका प्रभाव भूतलक्षी होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका निर्णय सभा करेगी । मुझे तो सिर्फ यह देखना है कि यह धन विधेयक है और इसलिये इसके लिये राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई है या नहीं । वह ली जा चुकी है । मैं यह निर्णय करने के लिये सक्षम नहीं हूं कि इस विधेयक का प्रभाव क्या होगा । इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं बनता ।

†**श्री नौशेर भरूचा :** इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सब से पहला उद्देश्य यही है कि निजी उद्यम की सहायता की जाये । यह निगम केवल उत्पादक ढंग के, लाभदायक, निजी उद्यमों में ही विनियोजन करेगा ।

यह निगम देश के विकास के लिये उपयोगी उद्यमों में ही विनियोजन करेगा । यह तो बड़ी अच्छी बात मालूम पड़ती है । लेकिन निगम सरकारी परियोजनाओं या सरकार द्वारा प्रबन्धित निकायों की परियोजनाओं में विनियोजन नहीं करेगा । वह निजी उद्यमों को प्रत्याभूतियों के बिना भी ऋण दे सकता है । और सहायता लेने वाले निजी उद्यमों के बोर्डों में निगम के प्रतिनिधियों को रखना आवश्यक होगा ।

इस विधेयक में निगम को जो बड़ी-बड़ी विमुक्तियां और विशेषाधिकार दिये गये हैं, वे केवल सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्यों या उनके राजनयिक प्रतिनिधियों को ही दिये जाते हैं । निगम केवल एक व्यापारिक और ऋण देने वाला निकाय ही है । उसे इतनी असाधारण रियायतें देना उचित नहीं हैं ।

हम उसे हर प्रकार के करों से विमुक्त कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है, लेकिन इतनी नहीं कि हम उसके लिये इस निकाय के आगे अपने आपको इतना झुका दें और उसे बेहिसाब विमुक्तियां देते जायें । मैं इसका विरोध करता हूं ।

हम ने इस निकाय को यह विशेषाधिकार दिया है, कि निगम पर वहीं कोई मुकदमा दायर किया जा सकेगा जहां कि उसका कार्यालय हो ।

इस निगम के सदस्य देशों की सरकारें इसके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकेंगी सरकार को करदाताओं के साथ न्याय करने के लिये यह अधिकार होना चाहिये । फिर कोई भी निर्णय से पहले इस निकाय की सम्पत्ति को कुर्क कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दे सकता । यह विमुक्ति तो हमारे देश की जनता को भी नहीं दी गई है । विदेशी पूंजीपतियों के इस निकाय को राज्य से भी अधिक शक्तियां देकर हम उसके सामने गिड़गड़ाने की स्थिति में क्यों आ रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस निगम की कार्यवाहियों को उन्मुक्ति प्रदान की गई है । एक जर्मन समवाय ने भी हमारे देश में अपना कार्यालय खोला था । वह भारत में जासूसी किया करता था । मैं यह नहीं कहता कि यह निगम भी ऐसा ही करेगा, लेकिन उसके बोर्ड में कुछ ऐसे देश जरूर हैं जो भारत के मित्र देश नहीं कहे जा सकते । इस प्रकार की विदेशी सहायता हमें बड़ी महंगी पड़ सकती है । इसलिये, इस साधारण से महाजन निकाय को प्रभुता सम्पन्न राज्यों के बराबर अधिकार देना ठीक नहीं है ।

इस निगम के पदाधिकारियों के वेतनों को सभी करों से मुक्त रखा गया है । सरकार को इतनी विमुक्तियां देने के बाद भी कौन सा असाधारण लाभ होने की आशा है ? भारत इस निगम के लिये अपना अंश ४४ लाख डॉलर दे चुका है, बदले में उसे क्या मिलने वाला है ।

एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हम इस प्रकार अपने को एक दयनीय स्थिति में रखते चले जा रहे हैं । सरकार संसद् के ४०४ सदस्यों के लिये बसें नहीं जुटा सकती, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कर्मचारियों के लिये यात्रा की सुविधायें जुटाई जा रही हैं । इतना सब करने के बाद भी, हमारे देश के कितने निजी उद्यमों को इस निगम से लाभ होगा ?

हम हर क्षेत्र में मितव्ययता करने की होड़ सी लगा रहे हैं, लेकिन इस निकाय को इतनी रियायतें देने पर करोड़ों रुपये क्यों बहा रहे हैं ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : सरकार इस वि`यक को पारित कराने में बड़ी जल्दबाजी कर रही है । शायद इसलिये कि अगले महीने दिल्ली में 'विश्व बैंक' और 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि' के सम्मेलन होने जा रहे हैं और यह निगम उसकी एक सहायक संस्था ही है ।

यह विधेयक एक ऐसे समय रखा जा रहा है जबकि हमें अभी इस संगठन के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं हो पाई है । सरकार को अभी तक यह मालूम नहीं है कि कितनी निजी भारतीय फर्मों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ।

हम इस निगम के लिये दो करोड़ से अधिक रुपयों का अपना अंशदान दे चुके हैं । पर इस निगम के करार के अन्तर्नियमों और वाशिंगटन में होने वाली उसके सम्मेलन की कार्यवाही से तो यह लगता है कि हमारे देश को इस निगम से कोई भी लाभ नहीं होगा ।

इस निगम के आयोजकों ने स्पष्ट कहा है कि उनका उद्देश्य निजी क्षेत्र को समृद्ध बनाना ही है । वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे जैसे कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र ही अधिक कार्यक्षम हो सकता है । निगम ने अभी तक कोई खास काम भी नहीं किया है ।

हमारे दल ने स्पष्ट कहा है कि यह निगम औद्योगिक देशों और पिछड़े देशों के धनपतियों का संयुक्त मोर्चा बनाना चाहता है और उससे हमारे देश को कोई लाभ तो हो ही नहीं सकता । १९४८ से १९५५ की समाप्ति तक के काल में, हमारे देश में विदेशी निजी विनियोजन बढ़ता ही रहा है । प्रधान मंत्री ने बताया था कि अभी भी विदेशी निजी पूंजीपति हमारे देश से हर वर्ष अपने मुनाफे का कम से कम ३० करोड़ रुपया बाहर भेजते हैं । हमारे देश के लगभग सभी तेल क्षेत्रों पर विदेशी निजी पूंजीपति छाये हुए हैं और वे हिसाब में बड़ी गड़बड़ भी करते हैं । सरकार उनसे संतुष्ट नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नये वित्त मंत्री एक नई नीति पर चल रहे हैं, पर मेरी समझ में यही नहीं आता कि असल में हमारी नीति क्या है।

हमारे प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं हमारी अर्थ-व्यवस्था के सब से महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र का ही अधिकार होगा। लेकिन, रक्षित बैंक के गवर्नर श्री अय्यंगार ने अमरीका जाकर कहा था कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र की ही प्रधानता है। हम यही नहीं जानते कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है।

मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश में निजी क्षेत्र को स्थान नहीं मिलना चाहिये, पर यह अवश्य है कि अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र ही रहना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य इसके ठीक विपरीत है। तब हम अपनी नीति को कायम रखते हुए, निगम को इतनी अधिक उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार कैसे दे सकते हैं। हम यह नहीं चाहते कि बड़े-बड़े औद्योगिक देशों और कम विकसित देशों के थैलीशाहों का तना मेल हो और वे अपने को सुदृढ़ बनायें।

निगम को जो प्रतिष्ठा दी गई है और उस के पदाधिकारियों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, वे हमारे संविधान की व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाते। निगम की सम्पत्तियों और आस्तियों को इतनी विमुक्तियां देने का कोई भी उचित कारण नहीं है। इसका अर्थ तो यह होगा कि भारत की जिस भी व्यापारिक संस्था के पास निगम की कोई सम्पत्ति या आस्तियां होंगी, उन को निगम के विरुद्ध अन्तिम निर्णय होने से पहले कुर्क नहीं कराया जा सकेगा। यह एक असाधारण व्यवस्था है।

हमारे देश में एक योजित अर्थ-व्यवस्था है और हम जानते हैं कि कुछ हित उस के विरुद्ध हैं और वे काश्मीर जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्टों के जरिये हमारी राजनीतिक स्थिति को डांवांडोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नागा पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ विदेशी गुप्तचर सक्रिय हैं। कुछ अन्य देशों को खतरा है कि हम समाजवाद की ओर न बढ़ जायें, इसलिये वे हमारी परियोजनाओं में तोड़फोड़ करते हैं। हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के पदाधिकारियों के रूप में भी कुछ विदेशी यहां आ कर गड़बड़ी फैलाना चाहें। हमें उन्हें विशेष उन्मुक्तियां दे कर, ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये। इसीलिये न तो निगम के अभिलेखागार को अनुल्लंघनीय बनाना चाहिये और न निगम के कार्यकर्ताओं को कोई विशेष पद देने चाहियें। उन्हें करों से विमुक्त भी नहीं रखना चाहिये।

इतनी बड़ी-बड़ी उन्मुक्तियां देना बड़ा खतरनाक है।

इसलिये इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिये। यह विधेयक हमारी नीति के विरुद्ध पड़ता है।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को असाधारण किस्म के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है।

हमारी सरकार ने निगम के करार पर संसद् से बिना पूछे ही १९५५ में हस्ताक्षर कर दिये थे। सरकार इस से तभी वचनबद्ध हो गई थी। क्या इतनी भारी सुविधायें इस निगम को देने से पहले, या उन का वचन देने से पहले, संसद् से अनुमति लेना जरूरी नहीं था?

---

†मूल अंग्रेजी में

हम जानना चाहते हैं कि निगम को यह असाधारण विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्यों दी जा रही हैं ? इस के लिये यह दलील कोई मानी नहीं रखती कि अन्य ५४-५५ देशों ने भी ऐसा ही किया है। इस निगम की पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह मान लेना भी सही नहीं लगता कि हमारे देश के विकास को वह कोई सहायता दे सकेगा।

निजी क्षेत्र के उद्यमों को सहायता देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का सुझाव सबसे पहले १९५१ में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास मंत्रणा बोर्ड की ओर से दिया गया था। यह सुझाव उन निजी पूंजीपतियों के लाभ के लिये दिया गया था जो कम विकसित देशों में अपना धन लगाने से डरते हैं। यह संस्था उनके विनियोजनों और मुनाफ़ों की गारंटी देने के लिये बनाई गई है।

एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस निगम की स्थापना के बाद के इन दो वर्षों में भारत को उससे क्या सहायता मिली है ? इस का एक कारण यह है कि भारत का वातावरण उस विनियोजन के लिये अनुकूल नहीं समझा गया।

निगम के सभापति—राबर्ट कार्नर—के १९५७ के अभिभाषण से स्पष्ट है कि इस निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र का विस्तार करना ही है। उसका उद्देश्य है कि कम विकसित देश निजी क्षेत्र की ओर ही जायें, समाजवाद या सरकारी क्षेत्र की ओर नहीं।

लेकिन हमारी सरकार ने तो देश को समाजवादी राज्य बनाने का वचन दिया है। हमें तो सरकारी क्षेत्र को और विस्तृत करने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिये हमारे देश को इस निगम से कोई लाभ मिलने की या सहायता की आशा नहीं करनी चाहिये।

दूसरा कारण यह है कि इस निगम के ऋणों के व्याज की दरें बहुत ज्यादा हैं—लगभग ७ या ७।। प्रतिशत। इतना ही नहीं, निगम जिस उद्यम को ऋण देता है, उसके शेयर भी ले सकता है और उन शेयरों को बेच भी सकता है।

इस कीमत पर देश का औद्योगीकरण करना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे देश के उद्योग आरम्भ के वर्षों में इतना ऊंचा व्याज अदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन निगम इस शर्त पर जोर देता है। यदि सरकार चाहती है कि हम इस निगम के सदस्य बने रहें, तो उसे आश्वासन प्राप्त करना चाहिये कि कम विकसित देशों के लिये निगम की नीति बदली जायेगी। निगम को अपने विनियोजनों के लिये यह नहीं देखना चाहिये कि कोई देश समाजवाद की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। अभी निगम समाजवाद की ओर बढ़ने वाले कम विकसित देशों में कोई विनियोजन करना ठीक नहीं समझता।

दूसरी चीज़ यह है कि निगम के ऋण की शर्तें अधिक अनुकूल कराने की चेष्टा करनी चाहिये। हम ऋण पर १५-२० प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये यदि निगम अपनी नीति नहीं बदलता, तो उस के सदस्य बने रहने से कोई लाभ नहीं।

[**अध्याक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में हमें ऐसा आश्वासन दें कि हमारी सदस्यता तभी रहेगी जबकि निगम अपनी नीति में परिवर्तन करने को तैयार होगा।

†**श्री महन्ती** : मैं यह मानने को तैयार हूं कि निजी पूंजी, और यहां तक कि विदेशी पूंजी भी हमारे देश के निर्माण के लिये सहायक हो सकती है। लेकिन मैं इस विधेयक का विरोधी इसलिये हूं कि इस के द्वारा निजी क्षेत्र के लिये हमारी राष्ट्रीय सम्पूर्ण प्रभुता पर आंच आने दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

सरकार धन विधेयक के क्षेत्र में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार संसद् से अनुमति लिये बिना कोई वचन नहीं दे सकती। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ११०(क) और (ख) के अन्तर्गत आता है। क्योंकि इस में कर से विमुक्ति देने की और विनियोजन के लिये गारंटी देने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस के अनुच्छेद की व्यवस्था का कोई ध्यान रखे बिना ही, १६५५ में ही इस के करार पर हस्ताक्षर कर दिये थे। यह संसद् के साथ विश्वासघात है। सरकार ने इस करार को संसद् के सामने क्यों नहीं रखा? यह उचित नहीं है कि सरकार संसद् की राय लिये बिना ही इतने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय करार से देश को वचनबद्ध कर दे। मैं निजी क्षेत्र के विस्तार के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन उस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्यों की भांति विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और रियायतें देना अनुचित है। यह तो भारत में फिर से 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' बनाने की अनुमति देना हुआ। इस प्रकार देश में एक नया वित्तीय साम्राज्य बनाने की अनुमति दी गई है।

यह सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं कि विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हमारी योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात यह है कि निजी क्षेत्र को कभी भी विदेशी मुद्रा की कोई कमी महसूस नहीं हो पाती। उसे विश्व बैंक और पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ३७२.६१ करोड़ रुपयों तक के ऋण मिल जाते हैं। और उन की गारंटी भारत सरकार देती है।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : भारत सरकार उन की गारंटी नहीं देती।

†**श्री महन्ती** : मैं पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की बात कह रहा हूं। भारत सरकार उससे वचन बद्ध है। दो-एक व्यावसायिक समवायों के हित के लिये पूरे देश को रहन रख दिया गया है।

लेकिन सरकारी क्षेत्र के लिये क्यों सरकार को कोई ऋण ही नहीं मिलता। यह समझ में नहीं आता।

इस निगम के करार की प्रस्तावना में बताया गया है कि उस का उद्देश्य ऋण दे कर कई देशों के उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। फिर, सरकार कैसे कह सकती है कि वह निगम से ऋण नहीं लेती। निगम के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि वह कोई विदेशी व्यापारिक संस्था या विदेशी बैंक नहीं है, क्योंकि हम खुद उस के सदस्य हैं। सदस्यता की बात तो यह है कि हम ने उस के चन्दे के रूप में कुल ४४ लाख डालर ही दिये हैं, जबकि कोमिंगतांग चीन—फारमोसा—जैसे छोटे से देश ने उस में ६६ लाख अमरीकी डालर लगाये हैं। अमरीका ने उस में ३५० लाख डालर लगाये हैं। हम तो इस निगम के नाम मात्र के सदस्य ही हैं।

निगम की स्थापना के बाद से अब तक हमारे देश को निजी क्षेत्र को उस से कोई भी सहायता नहीं मिली है।

इस सम्बन्ध में, मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं: यह असाधारण क़िस्म का करार संसद् से बिना पूछे ही क्यों किया गया था? क्या यह करार धन विधेयक के क्षेत्र में नहीं आता है, और यदि हां, तो क्या यह असंवैधानिक और गैरलोकतंत्रात्मक नहीं है? मैं जानना चाहता हूं यह निगम

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हमारे देश के निजी क्षेत्र की कितनी सहायता करेगा ? सरकार ने 'टाटाज़', 'टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी' और 'इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी' द्वारा लिये गये ऋणों पर अपनी गारंटी क्यों दी है ?

मैं इन चार प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं ।

हमें इस के लिये सरकार के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक के प्रयोजन से सभा को सहमत होना चाहिये ।

हम ने फैसला किया है कि हमारे देश में मिली जुली अर्थ-व्यवस्था ही रहेगी । इसीलिये हम केवल इसी कारण इस निगम की निन्दा नहीं कर सकते कि उस का उद्देश्य निजी क्षेत्र की ही सहायता करना है । हमें उस से विदेशी मुद्रा मिलेगी । हमें उस का स्वागत करना चाहिये ।

लेकिन, मैं कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

इस निगम के करार के अन्तर्नियमों में कहा गया है कि इस का उद्देश्य औद्योगिक उद्यमों की सहायता करने के साथ ही, कृषीय, वित्तीय और व्यावसायिक उद्यमों की भी सहायता करना है । कृषीय उद्यमों की सहायता का तो हमें स्वागत करना चाहिये, लेकिन निजी क्षेत्र के व्यावसायिक और वित्तीय उद्यमों की सहायता से बाद में कुछ ऐसी चीजें पैदा हो सकती हैं जिन का असर हमारे देश पर अच्छा नहीं पड़ेगा । सरकार को इस के प्रति सतर्क रहना चाहिये ।

इस विधेयक के खण्ड ३ में कहा गया है कि इस निगम के करार की व्यवस्थाओं को भारत में विधि की भांति ही प्रवृत्त किया जायेगा, किसी अन्य विधि में कोई और व्यवस्था होते हुए भी हम इस निगम को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दे सकते । हमें इस करार की व्यवस्थाओं से अधिक महत्व इस सभा द्वारा पारित होने वाले अधिनियमों को ही देना चाहिये । इस करार की व्यवस्थायें हमारे देश की आर्थिक नीति के अनुरूप होनी चाहिये ।

हम ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को कुछ शक्तियां दी हैं कि वह समूचे देश के हित में, उस के अधिक विकास के लिये उद्योगों को विनियमित कर सकती है । अब क्या इस निगम के करार की व्यवस्थाओं को उस अधिनियम की व्यवस्थाओं से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी ? इस निगम के करार की व्यवस्थाओं के अनुसार तो उस अधिनियम की कोई भी व्यवस्था उस उद्यम पर लागू नहीं हो सकेगी जिस को निगम की सहायता मिलती है । हम इस स्थिति से सहमत नहीं हो सकते ।

इस में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि निजी क्षेत्र के पास कोई ऐसा उद्यम है जिसे सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखा गया है, तो उसमें भी निगम विनियोजन कर सकता है । उस में भी निगम को सभी उन्मुक्तियां दी जायेंगी । यह बड़ी खतरनाक बात है ।

दूसरी यह व्यवस्था भी खतरनाक है कि निगम निजी क्षेत्र के उद्यमों से सीधी बात करेगा । वह सरकार के माध्यम से बात नहीं करेगा । सरकार को आरम्भ से ही उस की पूरी सूचना रहनी चाहिये । इस देश में सरकार की पीठ पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिये । और यह व्यवस्था भी ग़लत है कि निगम हमारी सरकार से पूछे बिना ही चल और अचल सम्पत्तियों का अर्जन और उन का नीलाम

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० चं० गुह]

कर सकता है । साथ ही, सरकार इस निगम की सम्पत्तियों और आस्तियों का न तो अर्जन, और न अधिग्रहण, इत्यादि कर सकेगी । इस प्रकार, ससंद् के प्राधिकार को सीमित किया जा रहा है । इन सभी व्यवस्थाओं में रूपभेद किया जाना चाहिये ।

क्या निगम जिन निजी उद्यमों में कुछ राशि विनियोजित करेगा, उन निजी उद्यमों की सम्पत्तियों और आस्तियों को भी, निगम की सम्पत्तियों और आस्तियों की भांति उन्मुक्ति रहेगी ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : जी नहीं ; केवल निगम की सम्पत्तियों और आस्तियों को उन्मुक्ति मिली हुई है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : तब मुझे कोई अधिक आपत्ति नहीं है । निगम के विनियोजन से पैदा होने वाली निजी उद्यमों की सम्पत्तियों को विमुक्ति नहीं देनी चाहिये ।

सरकार को इस निगम के संचार को पूर्णतया उन्मुक्त नहीं बना देना चाहिये ।

साथ ही, इस निगम को उतनी ही हद तक करों से विमुक्ति देनी चाहिये जितनी कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और यूनेस्को जैसे निकायों को दी जाती है । इस से अधिक नहीं ।

इस में एक व्यवस्था यह है कि यदि निगम चाहे तो अपने इन विशेषाधिकारों और अपनी उन्मक्तियों में से किसी को भी हटा सकता है । सरकार को इसी व्यवस्था का लाभ उठा कर, निगम को राजी करना चाहिये कि वह आपत्तिजनक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को स्वयं ही हटा दे ।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि निगम अपनी व्यवस्थाओं में कोई संशोधन करे, तो सरकार एक अधिसूचना जारी कर के इस क़रार में भी वैसा ही संशोधन कर सकती है । यहां यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकार उस प्रस्तावित संशोधन को चर्चा के लिये सभा के सामने रखेगी । इस सभा को उस पर विचार करने और अपनी राय देने का अवसर रहना चाहिये ।

माननीय मंत्री को निगम द्वारा ली जाने वाली व्याज की दर के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक के आलोचकों ने कहा है कि सरकार को इस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले संसद् में इस को विचार के लिये रखना चाहिये था । इस तरह तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का प्रशासन नहीं चल सकता ।

यह निगम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का ही एक अंग है । और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सारी कार्यवाही खुले रूप में, सभी की जानकारी में की जाती है । विचित्र सी बात है कि कुछ माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की इस योजना के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे उन्होंने पहली बार ही इस का नाम सुना हो । यह तो सभी को मालूम था कि एक अर्से से इस की वार्ता चल रही थी । इस निगम के करार में कोई असाधारण बात नहीं है, इस पर ५० से अधिक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि इस करार में उन के लिये कोई बहुत उपयोगी चीज़ है ।

इस के सम्बन्ध में एक आपत्ति यह भी की गई थी कि इस निगम को बड़े-बड़े विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और प्रतिष्ठा दी जा रही है । यह तो सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे खाद्य और कृषि

---

†मूल अंग्रज़ी में

संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा निधि, यूनेस्को जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दी गई है। इस का कारण भी सीधा है कि यदि इन संस्थाओं के पदाधिकारियों के वेतन करों से विमुक्त न रखे जायें, तो हर देश में उन को अपने वेतन का कुछ भाग अपने निवास के देश की सरकार को देना पड़ेगा। उसकी राशि उन देशों के करों के अनुसार कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी। इसीलिये, इस असमानता के निराकरण के लिये ही, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इन उन्मुक्तियों की व्यवस्था की है। यहां इस का मंशा यही है कि निगम के पदाधिकारियों की कुल उपलब्धियां सभी देशों में समान बनी रहें।

माननीय मंत्री ने इस का पूरा स्पष्टीकरण कर ही दिया है कि इस निगम को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी गई हैं, वे उन निजी उद्यमों को नहीं मिलेंगी जिन में निगम द्वारा विनियोजन किया गया। और न उन उद्यमों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को, निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भांति ही, ये रियायतें—उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार—मिलेंगे। निगम के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सभी देशों में समानता बनाये रखने के लिये ये व्यवस्थायें जरूरी हैं।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिये हम ये रियायतें जुटा ही चुके हैं। हम इस निगम के लिये कोई असाधारण रियायतें नहीं दे रहे हैं।

इस विधेयक के आलोचक माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि हम अपने देश में विकास का एक बड़ा भारी कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति में तंगी है। इसलिये हमें अपने उद्योग को मिलने वाली हर सहायता का स्वागत करना चाहिये। मैं इस विधेयक के आलोचकों की यह बात मानता हूं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से अभी तक भारत को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है। सरकार को इसी दिशा में अधिक प्रयास करने चाहियें।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस निगम से हमें सहायता मिलने की बड़ी-बड़ी संभावनायें हैं। हमें उस के मंशा के बारे में शक नहीं करना चाहिये। हमें इस का स्वागत करना चाहिये और सरकार को इस से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कई दोस्तों की तो दिमागी अवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि जहां कहीं विदेशी पूंजी की बात आती है या विदेशी सहायता की बात आती है तो उनको एक किस्म का बुखार सा हो जाता है। मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर कोई आदमी भी विदेशी सहायता या विदेशी पूंजी नहीं चाहता अगर उसके बगैर इस देश की तरक्की हो सकती हो। यह बात भी सही है कि यह देश काफी सालों दूसरे देशों का गुलाम रहा है और उस गुलामी के वक्त में इस देश के अवाम पर कुछ ईनफीरियारिटी कम्प्लेक्स (हीनभावना) छा गया। लेकिन आज तो हमारा देश ११ साल से आजाद है और यही नहीं बल्कि इन ११ सालों के इतिहास में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो अपनी विदेशी मामलों के अन्दर नीति रखी वह एक बड़ी आजाद नीति रखी और चाहे रैंड इंटरनेशनलिज्म हो चाहे यलो इंटरनेशनलिज्म हो या कोई और देश हो, उन्होंने सारे देशों से इस देश के लिये सहायता हासिल की है।

मुझे याद है जब १९५८ के बजट पर बहस हो रही थी तो कई दोस्तों का खयाल था कि जितना रुपया विदेशी सहायता का आने का अन्दाजा है वह रुपया नहीं आ सकेगा। लेकिन वह रुपया भी आया और विदेशी सहायता भी मिली। महंती जी ने तो हद कर दी। वह तो मुगल जमाने की जो बातें थीं उनको आज से मुकाबला करना चाहते हैं। वह डर आज दिखाना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुगल के वक्त में किसी एक मामूली से डाक्टर के खिलाफ मुगल शाहंशाह नहीं

[श्री चौ० रणवीर सिंह]

बोल सकते थे। आज तो हिन्दुस्तान के जो भी प्रतिनिधि बाहर जाते हैं, प्रधान मंत्री जी तो दूर ही रहे, अगर कोई मामूली प्रतिनिधि भी होता है तो वह हर एक जगह आजादी से बोल सकता है, और बोलता है, और आज सारा संसार मानता है कि हिन्दुस्तान की नीति एक आजाद नीति है। आज हिन्दुस्तान की नीति को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो इतनी डरावने ढंग की बातें कही गई हैं वे क्यों कही गई।

यही नहीं, विदेश की पूंजी से इतना डर हो गया कि लोग अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी से भी डरने लगे। जिन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हम भी मेम्बर और साझीदार हैं, उनसे भी आज लोग डरने लगे हैं। आखिर हम आज क्या कर रहे हैं। आज हम अपने देश में वही कर रहे हैं जो कि हम दूसरे देशों की पालियामेंटों से चाहेंगे। वहां पर भी आज हमारे बारे में कोई वही कह सकता है जो कि हम दूसरों के बारे में कहते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई डर की बात नहीं दिखाई देती। यहां तो सवाल किसी खास विदेश का नहीं है। इस समय राजा साहब नहीं हैं। अगर वह इस बात को सुनते तो वह मानते कि आज विश्व संघ की तरफ एक कदम उठ रहा है। यह ठीक है कि विश्व संघ का राज नहीं कायम होने जा रहा लेकिन कम से कम आर्थिक क्षेत्र में तो एक कदम उस तरफ उठाया जा रहा है।

जहां तक प्राइवेट सेक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) का सवाल है मेरा भी उसके साथ कोई खास समर्थन नहीं है। लेकिन बहुत सोच समझ कर ही इस सदन ने फैसला किया है कि इस देश के अन्दर मिक्स्ड इकानमी (मिश्रित अर्थव्यवस्था) रहेगी, जिसके अन्दर व्यक्तिगत सरमाये को भी मौका दिया जायेगा और सरकारी सरमाये को भी बढ़ावा दिया जायेगा। और मैं समझता हूं कि इस कारण इस देश की नीति पर कोई असर नहीं हुआ है। पहली पांच साला योजना में व्यक्तिगत सरमाये का जो औसत था तो दूसरी योजना में उससे उल्टा हो रहा है। तो इससे प्रकट होता है कि इस देश के अन्दर व्यक्तिगत सरमाये से सरकार नहीं घबराती और न यह सदन घबराता है।

एक माननीय सदस्य ने बिड़ला और टाटा का जिक्र किया और कहा कि यह तो बिड़ला और टाटा की सरकार है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस सदन में इन ११ सालों के अन्दर जो कायदे और कानून बने उनके कारण बिड़ला और टाटा को बड़ी घबराहट हुई होगी। अब वह यह मानने लगे हैं कि जैसा उनका खयाल था उस ढंग की बातें यह सदन पास नहीं करता और यह सदन उस किस्म की बातें नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि इस नीति के अन्दर कोई आपत्ति की बात नहीं है कि व्यक्तिगत सरमाये को भी स्थान दिया जाये।

महन्ती साहब ने किसी और चीज का रेफरेंस (हवाला) देते हुए कहा कि सरकार ने ३७० या ३७२ करोड़ डालर की जमानत दी है। मैं मानता हूं कि अगर सरकार ने यह जमानत बिड़ला या टाटा और दूसरे हाउसेज़ के लिए मकान या महल बनाने के लिए दी होती तब तो यह नाजायज़ बात होती। यह जमानत इस चीज़ के लिए दी गयी है कि इस देश की तरक्की के लिए कारखाने लगाये जायें, इस देश की इंडस्ट्री (उद्योग) की बढ़ोतरी हो। मुझे यह मालूम नहीं कि यह जमानत देने के साथ साथ सरकार ने कोई सीक्योरिटी भी ले ली है या नहीं या इन कारखानों को अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है या नहीं। ऐसा सरकार को करना चाहिए यह मैं मानता हूं। अगर माननीय सदस्य का यह केस होता कि जहां सरकार इन बड़े बड़े हाउसेज़ के लिए जमानत दे तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उस सरमाये से जो चीज़ लगाते हैं या जो चीज़ उस सरमाये से बनती है उसकी मिल्कियत जब तक कि वह कर्जा अदा न हो तब तक हिन्दुस्तान की सरकार के नाम होनी चाहिए, तो मैं उनके साथ होता और उनकी बात का समर्थन करता। लेकिन अगर

वाली एक डर है तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि अगर सरकार ऐसा कर लेती तो अच्छी बात होती, लेकिन अगर कहीं गलती हो भी गयी है तो सरकार उसे ठीक करेगी और अगर उस गलती को दुरुस्त करने में कुछ देरी भी लगती है तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर इन कारखानों को कोई हवाई जहाज़ से उड़ाकर दूसरे देशों को तो हिन्दुस्तान से ले नहीं जा सकता। और यह सदन ऐसे आदमियों का इन्तिजाम करने के लिए काफी मजबूत है। अगर किसी ने यह कोशिश की कि सरकार ने जो यह जमानत दी है उसका नाजायज फायदा उठायें तो मैं समझता हूं कि चाहे वे कितनी ताकत वाले या रुपये वाले हों, लेकिन इस सदन की नीति को वे बदल नहीं सकेंगे और यह सदन जो कर्रवाई करेगा वह सही होगी और इस देश के हितों की रक्षा के लिए होगी।

एक और बात यह कहना चाहता हूं। कुछ दोस्त समझते हैं कि सरकार के साथ हर काम में ५१ या ५२ फीसदी आदमी होने चाहिए। शायद वह सोचते हैं कि सरकार इस ढंग से काम नहीं कर पायेगी। वह समझते हैं कि जब सरकार कोई काम करे तो इन लोगों से पूछ कर जाये। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार को मालूम है कि इस देश का विश्वास और इस देश के प्रतिनिधियों का विश्वास उसके साथ है और इसी वजह से उसका हौसला बढ़ा हुआ है। आज जो संसार के दूसरे देशों में डिमाक्रेसियां (प्रजातंत्र) नहीं चल रही हैं इसकी यही वजह है कि वहां जो पंचायती ढंग का राज्य है उस राज्य में राज्य चलाने वालों के साथ वहां के लोगों का और प्रतिनिधियों का विश्वास नहीं है। यहां हालत उलटी है। इन ११ सालों में दुनिया में बहुत सारी तबदीलियां हुई लेकिन हमने इन ११ सालों में एक बार भी यह नहीं देखा कि सरकार ने विश्वास के साथ कहीं जाकर कुछ कहा हो और इस सदन में वे या उनके दूसरे साथी उस बात को बदलवा सकें हों। जब यह बात है तो क्यों न हिन्दुस्तान का मंत्री जब बाहर जाये तो देश के बारे में विश्वास के साथ बात कर सके, क्यों वह झिझके और इसमें देश के साथ क्या गद्दारी है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी बात तो है नहीं कि यहां पर भी पाकिस्तान की तरह लोगों को अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका न दिया गया हो। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद सब दलों को दो दफ़ा इस बात का मौका दिया गया कि वे सही या गलत तौर पर लोगों को बहका कर अपने साथ ले जाये, लेकिन दोनों दफ़ा दूसरे दल हिन्दुस्तान के लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सके और हिन्दुस्तान के लोगों ने दोनों दफ़ा इस सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया। तो जब कांग्रेस पार्टी के नुमायंदे दूसरे देशों में बात चीत करने के लिए इस देश के प्रतिनिधि की हैसियत से जायें, तो क्यों न उन के दिल में विश्वास हो। लोगों ने उन पर अपना विश्वास प्रकट किया है। जो इस पर शक़ जाहिर करते हैं, वे तो अपने ख्याल के मुताबिक बात करते हैं। हम ने देखा है कि १९४७ में हमारे जो साथी उधर बैठे थे, उन में से चन्द ही भाई हैं, जिन को दोबारा यहां बैठने का मौका मिला है। जिस तरह उन लोगों के दिलों में अविश्वास है, वैसे ही वे दूसरों के दिलों में भी अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने जिन को अपना विश्वास दिया हुआ है, वह अविश्वास के साथ कैसे बात कर सकता है? वह तो विश्वास के साथ ही बात करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री मू० चं० जैन (कैथल): माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और दिल से इस की हिमायत करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): और दिमाग से?

श्री मू० चं० जैन: मेरे बुज़ुर्ग शर्मा साहब का कहना है कि मैं दिमाग़ से भी इस की हिमायत करूं। इस लिए उनकी तसल्ली के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं दिल और दिमाग़ दोनों से इस की ताईद करने के लिए खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उनकी तसल्ली आप कहां तक करेंगे ? दिल और दिमाग़ के बाद वह जिस्म के किसी और हिस्से का नाम ले देंगें, जैसे जिगर से।

श्री मू० चं० जैन: जैसा मौका आयगा, वैसा देख लेंगे ।

इस बिल पर बहस करते हुए कुछ माननीय मेम्बरान ने कहा कि यह बिल इस पार्लियामेंट की बिटरेयल है। यह बात सुन कर मुझे हैरानी हुई है। उन मेम्बरान ने दलील यह दी है कि जो यह इन्टरनेशनल एग्रीमेंट (अन्तर्राष्ट्रीय करार) किया गया है, उस की बाबत पार्लियामेंट से मन्ज़ूरी नहीं ली गई और उस एग्रीमेंट (करार) की बिना पर ही यह बिल (विधेयक) पार्लियामेंट में लाया गया है। मैं अपने माननीय साथी महन्ती साहब को कहना चाहता हूं कि यह तो एक तरह से ज्यादती है। अप्रैल, १९५० में पचास कंट्रीज़ में यह एग्रीमेंट हुआ। तीन बरस से ज्यादा गुज़र चुके हैं। अगर उस की बाबत माननीय मेम्बरान को नाराज़गी थी, तो क्या वे इस अरसे में उस एग्रीमेंट को डिस-ए-प्रूव (रद्द) करने के लिए कोई मशीन यहां पर लाए। साढ़े तीन साल तक वे साहबान चुप रहे, खामोश रहे।

चौ० रणवीर सिंह: सोते रहे।

श्री मू० चं० जैन: आज जब कि एक इन्टरनेशनल आबलिगेशन (दायित्व), एक रेसिप्रोकल (परस्पर) आबलिगेशन को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आता है, तो कहा जाता है कि यह पार्लियामेंट की बिटरेयल है। इस तरह का सख्त शब्द इस्तेमाल करना किसी आर्ग्यूमेंट (तर्क) की जगह नहीं ले सकता है और न ही उस से उनकी दलील का वज़न ही बढ़ता है।

इस सिलसिले में ईस्ट इंडिया कम्पनी की मिसाल भी दी गई और कहा गया कि जैसे जहांगीर ने उसको ज़रा सा मौका दिया था और वह बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, वैसे ही फिर होगा। जैसा कि मेरे दोस्त चौ० रणवीर सिंह ने कहा है, यह दलील एक एहसास कमतरी—इन्फ़ीरियारिटी कम्पलेक्स—का मुज़ाहिरा करती है। कहां ईस्ट इंडिया कम्पनी और कहां यह इन्टरनेशनल एग्रीमेंट। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एग्रीमेंट पचास कौमों के दरमियान हुआ है और हिन्दुस्तान भी उसमें एक फ़रीक़ है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि इस सिलसिले में ईस्ट इंडिया कम्पनी की मिसाल कैसे दी जाती है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़): श्रीमान् "एहसास कमतरीन" बहुत बुरे शब्द हैं। इनके स्थान पर माननीय सदस्य "एहसास नाकिस" कह सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई दी।

माननीय सदस्य ने "एहसास कमतरीन" नहीं कहा है बल्कि "एहसास कमतरी" कहा है जिसका अर्थ हीनता की भावना है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

श्री मू० चं० जैन: मैं ईस्ट इंडिया कम्पनी की दलील का हवाला दे रहा था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एक इन्टरनेशनल एग्रीमेंट है और दूसरे कन्ट्रीज़ की तरह हमारा मुल्क भी उस फाइनेंशियल कार्पोरेशन का एक हिस्सेदार है और उसने उसमें हज़ारों हिस्से लिए हैं, तो फिर हमें यह क्यों ख्याल आता है कि हम ही मारे जायेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा नुकसान होगा, जब कि पचास मुल्क शामिल हो कर इस कार्पोरेशन को बनाते हैं। इस तरह की दलील का मतलब सिवाये इसके कुछ नहीं है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है और हम अपने ऊपर अदम-विश्वास का इज़हार करते हैं। इस के अलावा इस दलील में कोई बात नज़र नहीं आती है।

†**श्री महन्ती**: माननीय सदस्य फारसी मिश्रित हिन्दी बोल रहे हैं जिसको समझना पड़ा कठिन है। क्या इसका यह अर्थ है कि हम भी उड़िया अथवा अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं। कृपया हम इस भाषण की अनूदित प्रति दी जाये ताकि हम इसका प्रत्युत्तर दे सकें।

†**डा० गोपाल रेड्डी**: जब उपाध्यक्ष महोदय तथा प्रस्तावक महोदय इस भाषा को समझ रहे हैं तब माननीय सदस्य को क्या आपत्ति हो सकती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। यदि माननीय सदस्य शुद्ध हिन्दी नहीं बोल सकते तो उसमें उर्दू, संस्कृत या फारसी के शब्द मिलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मू० चं० जैन: मैं ता उर्दू में बोल रहा हूं, जो कि कांस्टीच्यूशन की एक रेक्गनाइज़्ड लैंग्वेज है। इस बिल के खिलाफ़ एक दलील यह भी दी गई कि इस से तो हमारे देश में सैबोटेज की तहरीक बढ़ जायगी। मैं समझता हूं कि इस इन्टरनेशनल फ़ाइनेंशियल कार्पोरेशन के डायरेक्टर, गवर्नर और मुलाज़मीन जिस तरीके से दूसरे देशों में काम करेंगे, उसी तरीके से वे हमारे देश में भी काम करेंगे। हमारे देश के आदमी भी इस कार्पोरेशन के डायरेक्टर और गवर्नर हो सकते हैं। तो फिर हमें यह अन्देशा क्यों है कि दूसरे देशों के जो आदमी डायरेक्टर और गवर्नर होंगे, वे हमारे यहां सैबोटेज करेंगे और हमारे देश के जो आदमी डायरेक्टर और गवर्नर बनेंगे वे किसी देश में काम नहीं कर सकेंगे। यह तो एक मुश्तर्का चीज़ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: उनका मतलब यह है कि हमारा प्राग्राम सैबोटेज (विध्वंस) करने का नहीं है।

श्री मू० चं० जैन: न हम यह उम्मीद करते हैं कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहां सैबोटेज करें। यह समझना ग़लत है। इस तरह की दलील के कोई मायने नहीं हैं।

अगर माननीय मेम्बरान इस बिल के आबजेक्ट्स (उद्देश्यों) को ठीक ढंग से पढ़ लेते, तो अच्छा होता। कुछ स्पीचिज (भाषणों) में हाई फ़ाइनेंस की बात भी इन्ट्रोड्यूस (पेश) कर दी गई है। मैं तो हाई फ़ाइनेंस जानता नहीं हूं। मैं तो एक लेमैन की हैसियत से बोलता हूं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक आबलिगेशन थी और इस बिल के ज़रिये उसको पूरा किया गया है। दूसरे कितने ही देशों में इस तरह के कानून बन चुके हैं। हमने तो देरी कर दी है। यह कानून पहले बन जाना चाहिए था। एक ऐतराज़ यह किया गया है कि हमारे देश के कपिटलिस्ट्स को कर्ज़ा नहीं मिला है। मैं समझता कि चूंकि हम ने यह कानून नहीं बनाया था, हम पर जो आबलिगेशन थी, उसको एक कानूनी शक्ल नहीं दी थी, इस लिए कर्ज़ा नहीं मिला। अगर ऐसा पहले कर दिया जाता, तो मिल सकता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मू० च० जैन]

सूद की बात भी कही गई है और कहा गया है कि सूद बहुत ज्यादा है। इस एग्रीमेंट की टर्म्ज़ (शर्तें) हैं, उनसे सूद का पता नहीं चलता है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ही इस कार्पोरेशन (निगम) के हिस्सेदार नहीं हैं। अगर ज्यादा सूद दे कर भी हमारे कैपिटलिस्ट्स (पूंजीपति) फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जहे किस्मत। यह एक अच्छी बात है। और अगर वे फायदा नहीं उठाते हैं, तो हमारा देश उन खतरात से बच जायगा, जिनकी तरफ़ माननीय मेम्बरान ने इशारा किया है। और फिर अगर किसी दूसरे देश के कैपिटलिस्ट इसका फायदा उठाते हैं और इतना अधिक सूद देते हैं तो भी हमको उसका डिविडेंड मिलेगा उसी तरह से जिस तरह से कि दूसरी कंट्रीज़ को मिलेगा। इस तरह हम कहां घाटे में रहेंगे ?

यहां पर यह बहुत बार कहा गया है कि यह बिल कांस्टीट्यूशन को वायोलेट करता है, उसकी फलां फलां दफा के खिलाफ जाता है। मैं समझता हूं कि यह एक रेसिप्रोकल ला है। जिस तरह से दूसरे देशों ने इस किस्म के बिल अपने यहां बनाने हैं, उसी तरह से हम भी इसको अपने मुल्क में बना रहे हैं। इसके कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

यहां पर यह भी कहा गया है कि इस बिल को पास करने का मतलब यह है कि अपने देश में प्राइवेट कैपिटलिज्म को तकवियत दे रहे हैं। यह दलील सुन कर मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक स्टूडेंट (विद्यार्थी) था जो कि बार बार इम्तिहान में फेल हुआ करता था चूंकि उसे बाईनोमियल थ्यूरम नहीं आती थी। पांच छः बार फेल होने के बाद उसने यह थ्यूरम याद कर ली पर उस समय यह सवाल नहीं आया तो भी अपने पर्चे पर लिखना शुरू किया तो एग्ज़ेमिनर ने कहा कि वक्त खत्म हो गया। इसके जवाब में उसने कहा कि मैं तो अभी बाइनोमिल थ्यूरी ही लिख रहा हूं। बार बार आप प्राइवेट कैपिटलिज्म को तकवियत देने की बात कह कर बाइनोमियल थ्यूरम की बात को ही साबित करते हैं चाहे उनका ज़िक्र हो या न हो।

यह एक सिम्पल (सरल) सा बिल (विधेयक) है। जो आब्लीगेशन हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट (करार) के तहत अपने उपर ली हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस आगस्ट पार्लियामेंट (महान संसद) का यह कर्त्तव्य है कि वह जो आब्लीगेशन हिन्दुस्तान ने तथा उसकी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली है, उसको पूरा करे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार यह बिल लाई है और मैं इसका पूरे ज़ोर के साथ समर्थन करता हूं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : मुझे आशा नहीं थी कि विरोधी पक्ष इस विधेयक का इतना विरोध करेगा। इस विधेयक में उपबंधित उन्मुक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह विधेयक एक अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार लाया गया है जो कि पिछले दो वर्ष से प्रवर्त्तन में है। जब हमने उस समय उस करार का कोई विरोध नहीं किया तब हम दो वर्ष बाद अब कैसे उसके उपबन्धों का विरोध कर सकते हैं। कोई भी ज़िम्मेवार आदमी ऐसा नहीं कर सकता।

इस विधेयक के अन्तर्गत दी जाने वाली उन्मुक्तियां सभी पक्षों द्वारा एक दूसरे देशों के राष्ट्रीयों को दी जायेंगी, हम अकेले ही ये उन्मुक्तियां नहीं देंगे, जिस जिस देश ने १९५६ के इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं वह अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के राष्ट्रीयों को ये सभी उन्मुक्तियां देने के लिये वचनबद्ध है। इसलिये इनका कतई विरोध नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुकर्जी ने शायद इसलिये इस विधेयक का विरोध किया है क्योंकि वह ग़ैर सरकारी उद्यम में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते जब कि इस करार का मुख्य उद्देश्य ग़ैर सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा मेरे कुछ मित्रों ने यह कहा है कि यह विदेशी पूंजी के प्रवेश का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। उन्होंने कहा है कि जब एक बार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का किसी उद्योग में अधिकार हो जायेगा तब वह उसके ऋण-पत्र किसी भी विदेशी कंपनी के पास बेच सकता है। मैं समझता हूं मेरे मित्रों की यह आशंका मिथ्या है। विधेयक में स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया हुआ है कि निगम किसी हित को विदेशों में बेचने से पहले राष्ट्रीय कंपनी से 'खरीदने में इन्कारी' लेगा। जब तक राष्ट्रीय कंपनी खरीदने से इन्कार नहीं कर देगी तब तक उसके हितों को विदेशियों में नहीं बेचा जायेगा।

भारतवर्ष पिछले दो वर्षों से इस निगम का सदस्य है। मगर आज तक इस निगम द्वारा भारत में तनिक भी पूंजी का विनियोजन नहीं किया गया है। सरकार को इस बात की जांच करके सभा को बताना चाहिये कि इसका क्या कारण है। जब निगम ने भारत में पूंजी का कोई विनियोजन नहीं किया तब उसका सदस्य बनने में क्या लाभ है?

इस निगम के पदाधिकारी अधिकतर दो देशों के राष्ट्रीय ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निगम के कर्मचारी अन्य देशों से क्यों नहीं नियुक्त किये जाते हैं? इस निगम में एक भी भारतीय कर्मचारी नहीं है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की कोशिश करेगी।

यह निगम ग़ैर-सरकारी उद्योग को सहायता पहुंचाने के लिये बनाया गया है। यह निगम उद्योगों में स्थायी पूंजी नहीं लगाता। यह केवल उद्योगों की स्थापना के लिये ऋण देता है और जब कोई उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तब यह अपना रुपया वापस ले लेता है और उसको अन्य लोगों में लगा देता है। इसके सामने लाभ का इतना उद्देश्य नहीं है जितना कि ग़ैर सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का। इसके सामने लाभ का उद्देश्य कभी मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है।

यह निगम किसी उद्योग में अधिकतम ५००,००० डालर तथा न्यूनतम १००,००० डालर लगा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि केवल वही उद्योग इससे लाभ उठा सकते हैं जिनकी पूंजी की आवश्यकताएं २० लाख तथा १ करोड़ रुपये के अन्तर्गत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी रकम देने के लिये इतने बड़े अन्तर्राष्ट्रीय निगम बनाने की क्या जरूरत थी। इससे कहीं बड़े बड़े ऋण तो हमारे देश का औद्योगिक वित्त निगम ही दे देता है। इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को इस निगम को अधिकतम विनियोजन सीमा को हटाने के लिए अनुरोध करना चाहिये क्योंकि आज के युग में कोई भी बड़ा उद्योग १० अथवा २० करोड़ रुपये की कम पूंजी से नहीं शुरु किया जा सकता।

इस विधेयक के खंड ३ के उपखंड (१) में यह कहा गया है कि निगम द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर कोई शुल्क अथवा कर नहीं लगाया जायेगा। मुझे इस उपखंड का आशय स्पष्ट नहीं हो सका। क्या इसका यह तात्पर्य है कि उन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क या बिक्री कर नहीं लगाये जायेंगे मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय इस बात पर उचित प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

इसी प्रकार मुझे इस करार के पैरा ३ की धारा ५ के बारे में एक सन्देह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा बाहर रुपया भेजने के बारे में जो प्रतिबंध लगाये हुए हैं वे प्रतिबंध इस निगम पर भी लागू होंगे अथवा नहीं?

[श्री विश्वनाथ रेडडी]

इस विधेयक में यह कहा गया है कि जहां कहीं भी निगम की कोई शाखा होगी इसकी सम्पत्ति अथवा कर्मचारियों को न्यायिक विधाओं से उन्मुक्ति रहेगी । किन्तु यदि निगम किसी स्थान पर कोई शाखा स्थापित न करे और अपना काम किसी सरकारी संस्था द्वारा कराये तब क्या ऐसी दशा में उस सरकारी संस्था अथवा उसके कर्मचारियों को भी यह उन्मुक्ति दी जायेगी । मैं समझता हूं निगम के अभिकर्ताओं को यह उन्मुक्ति नहीं दी जानी चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय एतत्सम्बन्धी धारा का सही उद्देश्य बताने की कृपा करेंगे ।

†**श्री बाला साहब पाटिल** (मिराज): यह कहा गया है कि हम इस स्तर पर विधेयक की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि सरकार आज से बहुत पहले अन्तर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर कर चुकी है । यह भी कहा गया है कि संसद् के प्रत्येक सदस्य को उस करार का तीन वर्ष से पता है । किन्तु मेरा अनुभव यह है कि जब यह बिल पहली बार सर्कुलेट किया गया था उस समय भी इस करार का किसी को नहीं पता था । जब सभा के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा कि विधेयक के साथ वह करार भी परिचालित किया जाना चाहिये तब यह काम किया गया । इस सम्बन्ध में पुस्तकालय में भी बहुत कम सूचना उपलब्ध है । वहां पर केवल तीन पुस्तकें हैं । उनमें से हमें इस निगम के बारे में आवश्यक तथा पूरी सूचना नहीं मिल सकती । इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह सब से पहले इस निगम के बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें ताकि हम इसके बारे में ठीक निष्कर्षों पर पहुंच सकें ।

सरकार ने इस करार पर १९५६ में हस्ताक्षर किये थे । और अब वह इस करार की धारा १० के अनुसार उसके उपबन्धों को पूरा करने के लिये यह विधेयक ला रही है । किन्तु इस विधेयक का खंड ३ इस करार की शर्तों पर प्रतिबन्ध लगा रहा है । जब कि मूल करार की धारा १० के अनुसार सरकार को निगम को दी गई उन्मुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार नहीं । इस लिये अगर आप उस करार को पूरा निभाना चाहते हैं तो आप को इस विधेयक का खंड ३ को निकाल देना चाहिये । यह खण्ड मूल करार की दृष्टि से शक्ति परस्तात है ।

यह निगम गैर सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिये बनाया गया है । अब यह निगम किस प्रकार से यह उद्देश्य पूरा करना चाहता है ? निगम यह चाहता है कि इसके लिये उस पर कोई कर आदि न लगाया जाये उसको प्रत्येक प्रकार की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार दिये जायें । मैं समझता हूं किसी भी देश में ऐसे निगम को इस प्रकार की उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार देने का कोई विधान नहीं है । इस निगम में तथा किसी गैर सरकारी व्यापारी में कोई अन्तर नहीं । इसलिये मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता कि इस निगम के साथ ऐसा विशेष व्यवहार किया जाये । हम इस निगम के कर्मचारियों को कभी भी राजदूतों के से विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां नहीं दे सकते । किसी व्यावसायिक कम्पनी या संस्था को ये अधिकार कैसे दिये जा सकते हैं ? मैं समझता हूं सरकार को ऐसा करार करने से पहले ही इस सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिये था । अथवा इस करार को संसद् के अनुसमर्थन के लिये यहां रखना चाहिये था । सरकार ने इनमें से कोई भी काम न करके इस सभा के अधिकारों का उल्लंघन किया है ।

यद्यपि इस करार पर ५५ राष्ट्रों के हस्ताक्षर हैं तथापि इस में कोई भी समाजवादी देश नहीं सम्मिलित है । यदि हमारा देश तटस्थता की नीति अपनाना चाहता है तो उसे इस पर हस्ताक्षर करने से पहले यह देखना चाहिये था कि क्या यह करार सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय है ? क्या यह किसी

†मूल अंग्रेजी में

विशेष वर्ग अथवा गुट तक तो नहीं सीमित है ? इस निगम में बहुमत द्वारा निश्चय किये जाने की व्यवस्था की गई है। मगर इसके सभी संचालक व गवर्नर किन देशों के व्यक्ति होंगे । हमें पहले ही सुरक्षा परिषद् तथा राष्ट्रमण्डल में काफी अनुभव हो चुका है कि इस बहुमत का वास्तविक अर्थ क्या है।

इन सब बातों को देखते हुए मैं कहूंगा कि इस सभा को यह विधेयक कभी नहीं पारित करना चाहिये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसार यदि किसी व्यवसाय, वणिज या व्यापार का कार्य सरकार के हाथों में हो तथा सरकार का उस पर एकाधिकार हो तब भारत का कोई भी नागरिक वह व्यवसाय, वणिज या व्यापार नहीं कर सकता । किन्तु इस विधेयक की धारा १ की अनुसूची से यह विदित होता है कि यह निगम सरकारी एकाधिकार अथवा नियन्त्रण में चल रहे व्यवसायों, वणिजों अथवा व्यापारों में भी हस्तक्षेप कर सकेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निगम को इस दिशा में भारत के नागरिकों से भी अधिक अधिकार होंगे ? तथा क्या वह सरकारी एकाधिकार के मुकाबले में काम कर सकेगा ?

†**डा० गोपाल रेड्डी :** अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी अर्थशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार उन उन्मुक्तियों के प्रति संदेह प्रकट किये, जो हम देने जा रहे हैं । पर, कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक को पूर्ण समर्थन प्रदान किया है।

श्री महन्ती ने एक बात कही कि संसद् से समय-समय पर इस सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं किया गया और संसद् को अन्धकार में रखा गया तथा अब संसद् से इस विधेयक को पारित करने की मांग की जा रही है । गत दो या तीन वर्षों में विभिन्न अवस्थाओं में संसद् को इस सम्बन्ध में बताया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सरकार तभी तक अपने अधिकारों के आधारों पर ठीक प्रकार कार्य संचालन कर सकती है जब तक उसे संसद् का विश्वास व समर्थन प्राप्त हो।

कार्यकारिणी सरकार अनेक बड़े महत्वपूर्ण कार्य---बड़े-बड़े करार, बड़े-बड़े समझौते, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां और कभी कभी गोपनीय सन्धियां भी---करती है । इन कार्यों को सरकार संसद् की राय के बिना सब से पहले कर लेती है । बाद में सामान्य वाद-विवाद में---आय व्ययक या वैदेशिक कार्य वाद-विवाद में इन बातों को सभा के समक्ष रखा जाता है और सभा की सम्पुष्टि प्राप्त की जाती है । पर यह कहना कि इन विदेशी संस्थाओं के साथ करार या समझौता करने के पूर्व संसद् की राय अवश्य ले ली जानी चाहिए, एक ऐसी बात है जिसे कोई भी लोकतंत्रात्मक संसद् नहीं स्वीकार कर सकती । अतः सरकार पर विश्वास किया जाना आवश्यक है । सरकार को संसद् का विश्वास प्राप्त है या नहीं यह तो एक ऐसी बात है जिसका निर्णय समय-समय पर किया जा सकता है।

पर, यदि माननीय सदस्य का विचार है कि सरकार ने कोई बहुत गलत काम किया है तो सरकार की निन्दा करने या सरकार को पदच्युत करने के साधन खुले हुए हैं । पर यह कहना कि सरकार जो भी काम करती है---चाहे छोटा काम हो या बड़ा, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र में हो या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में---उसके लिये उसे पहले संसद् के सामने आना चाहिये, सरकार के लिये बहुत कठिन काम है और संभवतः सरकार ऐसा कर भी नहीं सकती ।

---

†मूल अंग्रज़ी में

[डा० गोपाल रेड्डी]

करारोपण के सम्बन्ध में भी, मैं आप को बताना चाहता हूं कि, ज्यों ही इस सभा में विधेयक प्रस्थापित होता है, त्यों ही वह लागू हो जाता है चाहे संसद् द्वारा उसकी सम्पुष्टि में ६ या ८ सप्ताह का समय लग जाये।

अतः यह कहना गलत है कि संसद् को अंधकार में रखा गया। मैं आप को बताऊंगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही होती रही है। अप्रैल १९५५ में सभी देशों ने जिसमें भारत भी सम्मिलित है, इस निगम के संविधान को स्वीकार किया। भारत भी उपस्थित था और उसने भी इसे स्वीकार किया। विश्व बैंक के सदस्यों को छूट है कि वे यदि चाहें तो इस निगम के सदस्य हो सकते हैं। पर जो देश विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वे इस निगम के सदस्य नहीं हो सकते। चीन जो विश्व बैंक का सदस्य है, अभी इस निगम का सदस्य नहीं है अतः इस निगम के सम्बन्ध में श्री महन्ती का यह कथन गलत है कि चीन इस संस्था में भारत से अधिक अंश पूंजी के साथ सदस्य है :

मई १९५५ में हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था कि भारत इस निगम का सदस्य बनेगा। अक्टूबर १९५५ में भारत ने स्वीकृत पत्र पर हस्ताक्षर किये। २ अप्रैल, १९५६ को राष्ट्रपति ने सम्पुष्टि लिखत पर हस्ताक्षर किये और भारत ने अगस्त १९५६ में संसद् की अनुमति से ४४·३१ लाख डालर इस संस्था को दिया।

†**श्री महन्ती** : क्या आय व्ययक में इसकी व्यवस्था की गयी थी ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : जी हां, यह राशि मांग का एक भाग थी और अभिलेख को संसद् के सामने रखा गया था। संसद् ने अपनी अनुमति दी थी तब राशि का भुगतान किया गया था। अतः इस अवस्था में आप यह नहीं कह सकते कि संसद् को अंधकार में रखा गया और संसद् को बताये बिना सरकार यह काम करती रही।

अतः निगम को ४४·३१ लाख डालर की राशि देने के बाद अब प्रश्न यह है कि क्या हम ये उन्मुक्तियां देंगे अथवा नहीं ? हम ने यह राशि २ वर्ष पूर्व दी थी और चूंकि यह राशि अमरीका में पड़ी है अतः इसका यह मतलब नहीं है कि यह राशि अमरीका की हो गई है। यह राशि ५५ देशों के निगम की है आरम्भ में लगभग ३० देशों ने इसके संशोधन को स्वीकार किया था पर इस समय ५५ देश इसके सदस्य हैं। ९३० लाख डालर अंश पूंजी के रूप में दिये जा चुके हैं और हो सकता है कि यह रकम बढ़ा कर १००० डालर कर दी जाये। अतः मैं यह गलतफ़हमी दूर कर देना चाहता हूं कि हम किसी विदेशी अभिकरण या किसी विदेशी निगम को जो भारत में काम करेगी, कुछ उन्मुक्तियां दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तो ५५ राज्यों की सम्पत्ति है। इस में शक नहीं कि अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देश भी इस निगम के सदस्य बन गये हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम किसी विदेशी निगम को कुछ दे रहे हैं। यह हमारा निगम है। कल यदि इस निगम को लाभ होगा तो हमें भी लाभ मिलेगा। यदि निगम को घाटा होगा तो साझेदार के रूप में हमें भी घाटा होगा। अतः हम किसी विदेशी संस्था के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने देश के लाभ के लिये कर रहे हैं और यदि इससे लाभ होगा तो हर साझेदार को लाभ मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हमें सब से पहले यह समझ लेना चाहिये कि यह कोई विदेशी संस्था नहीं है। यह हमारी अपनी ही संस्था है। ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस के बाद चौथे नम्बर पर सब से अधिक हमारे अंश इस संस्था में हैं। यदि यह संस्था सभी विकसित व अर्द्ध विकसित देशों में फैल जायेगी तो यह बहुत लाभ कमायेगी।

यह निगम गैर-सरकारी उपक्रम को सहायता देने के लिये है विश्व बैंक सरकार और सरकारी संस्थाओं को ऋण देता है पर यह निगम गैर-सरकारी उपक्रमों को सरकारी प्रतिभूति के बिना सहायता करेगी। विश्व बैंक तो सरकारी प्रतिभूति के बाद ऋण देती है। इस निगम के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति गौड़ है। हां, यदि सरकार मना करेगी कि अमुक संस्था को ऋण न दिया जाये तो निगम उसे ऋण नहीं देगा। स्थिति यह है कि कोई भी संस्था ऋण प्राप्त करने की बातचीत निगम से कर सकती है तब तक सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। पर ऋण प्राप्त तभी होगा जब सरकार उसका अनुमोदन कर देगी। वैसे सरकार को पीछे डाल कर कोई भी ऋण नहीं लिया जा सकता पर सरकार को कोई प्रतिभूति नहीं लेनी पड़ती।

श्री मुकर्जी ने इस संस्था के स्थापित किये जाने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को मदद देने की बात पर आपत्ति की। ठीक है, हो सकता है आप को यह बात पसन्द न हो पर हम ने मिली जुली अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार किया है और हम चाहते हैं कि दूसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र २४०.० करोड़ व्यय करें हम उसे विदेशी विनिमय की सहायता भी दे रहे हैं। अतः यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि यह निगम न बने और गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद न की जाये। सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध हम कोई भी बात नहीं होने देंगे। अतः सरकार ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया है कि वह ऋण का दुरुपयोग न होने दे। हम ध्यान रखेंगे कि यह निगम गैर-सरकारी क्षेत्र को अच्छी तरह चलने में सहायता देता है। हम ने २ करोड़ रुपये दिये हैं और हम चाहते हैं कि ये उन्मुक्तियां दी जायें। श्री नरहरि राव उस निगम के निदेशक हैं। हमारे वित्त मंत्री उस निगम के गवर्नर हैं। हम चाहते हैं कि जब वे अमरीका या कनाडा जायें तो उन्हें ये उन्मुक्तियां दी जायें। भारत में उन्हें जो अधिकार प्राप्त है वही उन्हें विदेश में भी प्राप्त होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि श्री नरहरि राव को विदेश में आय कर या सीमा-शुल्क की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह बात तो ५५ देशों के ऊपर लागू होगी। आज ये पदाधिकारी कोई व्यक्ति हैं कल कोई और होंगे। अतः हम नहीं चाहते कि विदेश में हमारे पदाधिकारियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम केवल निगम के साथ कुछ रियायत या उदारता नहीं कर रहे हैं हम तो अपने पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं। यह निगम न्यूयार्क में है और वहां आय-कर सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में भी आय कर सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध अन्य देशों में भी हैं। भिन्न-भिन्न देशों में आय-कर की दरें भिन्न-भिन्न हैं। अतः इन सब आय-कर सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम सभी ५५ देश अपने ऊपर यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। हम अपने पदाधिकारियों पर ये प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते। ५५ देशों ने ये बातें मंजूर कर ली हैं। अतः इतनी देर के बाद यह कहना शोभनीय नहीं है कि हम ये उन्मुक्तियां नहीं देंगे। इससे हमें भी लाभ होगा जब हमारे पदाधिकारी विदेशों में जायेंगे।

माननीय सदस्यों को आपत्ति है कि हम बहुत ज्यादा सुविधायें या रियायतें दे रहे हैं। निगम के करार में यह बात कही गयी है कि निगम का प्रत्येक सदस्य देश अपनी सरकार या संसद् से इसकी सम्पुष्टि करवायेगा। वैसे तो हम अधिसूचना निकाल कर यह काम कर सकते थे पर हम ने समझा कि यह अच्छा होगा कि अधिसूचना निकालने के बजाय संसद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

[डा० गोपाल रेड्डी]

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि भारत ने अभी तक इस संस्था से कितनी सहायता प्राप्त की है। इस संस्था की आरम्भिक कार्यवाही १९५५-५६ में की गयी। १९५७ में इस सभा ने ऋण देना शुरू किया। ठीक है भारत में अभी तक इस से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। विश्व बैंक से भी हम ने काफी बाद में ऋण लेना शुरू किया था। आज हम ४००० लाख डालर का ऋण विश्व बैंक से ले चुके हैं। इस संस्था से ऋण लेने के पूर्व हमारे गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि ब्याज की दर क्या है व हमारी स्थिति क्या है। अतः यह कहना समय से पूर्व है कि हम ने इस संस्था से कोई लाभ नहीं उठाया है।

जहां तक संशोधन का प्रश्न है विश्व बैंक एक विशेष बहुमत से संशोधन स्वीकार करता है ५५ देश उसके सदस्य हैं। फिर ३/५ बहुमत से जिनके पास ४/५ भाग अंश हो, संशोधन स्वीकृत किये जाते हैं। अतः यदि विहित ढंग से संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो सरकार उसे अधिसूचना द्वारा लागू कर सकती है।

निगम के पदाधिकारियों में कुछ निर्वाचित हैं और कुछ स्थायी हैं। भारत को भी कालान्तर में समुचित स्थान प्राप्त होगा। अतः यह शिकायत करना ठीक नहीं है कि भारत का कोई भी पदाधिकारी निगम में उच्च स्थान पर नहीं है।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अनेक कार्यवाही की जा चुकी है। यह एक आनुषंगिक कार्यवाही है। ५५ देश इस में भाग ले रहे हैं। अतः हमें भी अपने वचनों के अनुसार इस में भाग लेना चाहिये। राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और करार में दिये गये वचनों को पूरा करने के लिये विधिनुसार कार्यवाही करने की अनुमति भी उन्होंने दे दी है। अतः हमें अपने वचनों को पूर्ण करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना तथा उसके कार्य संचालन के लिये, जहां तक उस निगम के पद, उसकी उन्मुक्तियों तथा उसके विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है, और तत्सम्बन्धी मामलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में है। खण्ड ३ उपखण्ड (१) के अनुसार अनुसूची तथा सभी उपबन्ध मुख्य अधिनियम के अधीन माने जायेंगे और उसके अंग समझे जायेंगे। अतः प्रश्न यह है

†मूल अंग्रेजी में

कि क्या सरकार को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार होगा या यह सभा सरकार को ऐसा करने का अधिकार देगी। वर्तमान विधेयक अनुच्छेद २५३ के अधीन है। अतः खण्ड ३ का उपखण्ड संविधान के विरुद्ध है क्योंकि संविधान के अनुसार सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कार्यकारिणी संस्था को अपने वैधानिक अधिकार प्रत्यायोजित करे। खण्ड ३ के उपखण्ड (२) में कहा गया है कि सरकार को अधिसूचना द्वारा अनुसूची में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार होगा इसका अर्थ यह है कि अधिनियम को संशोधित करने का अधिकार कार्यकारिणी को दिया जा रहा है। सरकार को तो विधियों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का ही अधिकार है। अतः उपखण्ड २ को विधेयक में रखना ठीक नहीं होगा। अतः खण्ड ३ के उपखण्ड (२) में मेरे संशोधन के अनुसार संशोधन कर दिया जाये।

†**श्री अ० चं० गुह**: मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत करें कि अधिसूचनाओं को सभा के सामने रखा जायेगा यदि सभा को उन पर विचार करने का अवसर मिले।

†**डा० गोपाल रेड्डी**: अधिसूचना को सभा में प्रस्तुत करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर संशोधन क्या है?

†**श्री नौशीर भरूचा**: मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २, पंक्ति ९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

"Provided that any notification so issued under this section shall be laid for not less than thirty days before each House of Parliament as soon as may be after it is issued and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the Session in which it is so laid on the Session immediately following."

(परन्तु इस धारा के अधीन इस प्रकार निकाली गयी प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र, संसद् की प्रत्येक सभा के सामने तीस से अन्यून दिनों तक रखी जायेगी और ऐसे रूपभेदों के अधीन होगी, जो संसद् उस सत्र में, जिसमें अधिसूचना इस प्रकार रखी गयी हो या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र में, करे।)

†**डा० गोपाल रेड्डी**: मैं संशोधन स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि श्री नलदुर्गकर अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

संशोधन संख्या ७ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

पृष्ठ २, पंक्ति ९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

"Provided that any notification so issued under this section shall be laid for not less than thirty days before each House of Parliament as soon as may be after it is issued and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the Session in which it is so laid or the Session immediately following."

(परन्तु इस धारा के अधीन इस प्रकार निकाली गयी प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र, संसद् की प्रत्येक सभा के सामने तीस से अन्यून दिनों तक रखी जायेगी और ऐसे रूपभेदों के अधीन होगी, जो संसद् उस सत्र में, जिसमें अधिसूचना इस प्रकार रखी गयी हो या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र में, करे।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†मूल अंग्रेज़ी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ (**नियम बनाने की शक्ति**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब अनुसूची को लीजिये । अनुसूची के जितने भी संशोधनों की सूचना दी गई है, वे सभी नियमबाह्य हैं, क्योंकि वह अनुसूची विधेयक को करार के अनुकूल बनाने के लिये ही है । इसलिये हम विधेयक और उस की अनुसूची को अलग-अलग नहीं कर सकते । सभा विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन उस में रूपभेद नहीं कर सकती क्योंकि उसे अन्य ५५ देशों ने भी उसी रूप में स्वीकार किया है ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं आप के विनिर्णय से सहमत हूं । फिर भी, मैं अनुसूची के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

माननीय मंत्री ने अभी तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को निजी उद्यमों में विनियोजन करने की दावत देते हैं, तो नौवहन की तरह के अन्य अर्द्ध-निजी उद्योगों का क्या होगा । हम ने नौवहन के लिये तय कर दिया है कि उस में २५ प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी नहीं लग सकेगी । अब यदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम उस में भी विनियोजन करना चाहे, तो क्या इस सीमा का अतिक्रमण होने दिया जायेगा ?

†**डा० गोपाल रेड्डी:** सरकार यह कह सकती है कि निगम ऐसे उद्योगों में विनियोजन नहीं करेगा ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** लेकिन इस विधेयक में तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है ।

मुझे दूसरी आपत्ति यह है कि इस अनुसूची में निगम द्वारा जारी की गई प्रत्याभूतियों को करारोपण से छूट दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि किसी भारतीय ने निगम की प्रत्याभूतियों से कोई लाभांश कमाया है, तो उसे करारोपण से विमुक्ति दी जायेगी, या नहीं । इस की धारा ९ की शब्दावली इस ढंग की क्यों रखी गई है कि जैसे निगम की प्रत्याभूतियां रखने वाले भारतीय नागरिक भी करों से विमुक्त रहेंगे ?

हम ने इस निगम के चन्दे के रूप में दो करोड़ रुपये से कुछ अधिक दिये हैं; लेकिन यह निगम किसी भी एक उद्योग को २५ लाख रुपयों से अधिक नहीं दे सकता । इसीलिये मैं कहता हूं कि हमारे उद्योगों को इस निगम से कोई खास फायदा नहीं हो सकता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

माननीय मंत्री ने मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार निगम के करार की शर्तों में रूप भेद कराना या उस में कम से कम एक ऐसा परन्तुक जोड़ना वांछनीय नहीं समझती कि आपातकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सरकार निगम के अभिलेखागार की जांच पड़ताल भी करा सकती है ? सरकार के पास ऐसी शक्ति रहनी चाहिये ।

इस के विपरीत धारा ५ में कहा गया है कि निगम का अभिलेखागार अनुल्लंघनीय रहेगा । यह बड़ी खतरनाक व्यवस्था है । इस विधेयक में बड़े खतरनाक क़िस्म की रियायतें दी गई हैं, जिन का पूरा पूरा अर्थ अभी माननीय मंत्री नहीं समझ पाये हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** संविधान के अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत भारत के सभी नागरिकों को "कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का" अधिकार दिया गया है । लेकिन खण्ड ६ के अन्तर्गत, हम ने नौवहन और प्रतिरक्षा शस्त्रों जैसे कुछ व्यापार या उद्योग राज्यों अथवा राज्य द्वारा नियंत्रित निगमों के लिये भी सुरक्षित रखे हैं । इस का अर्थ है कि अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत नागरिकों को दिये गये अधिकार परमाधिकार नहीं हैं ।

लेकिन, सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को इस से भी बड़ी शक्ति दी है कि वह उन उद्यमों में भी राशि विनियोजित कर सकता है जिन में पहले से सरकारी हित भी मौजूद हों । यानी सरकार चाहने पर भी निगम को विनियोजन करने से नहीं रोक सकती । वैसे धारा ३ में यह भी व्यवस्था है कि यदि सदस्य देश किसी उद्यम में निगम को विनियोजन नहीं करने देना चाहता, तो निगम उस में विनियोजित नहीं करेगा ।

साथ ही, करार में यह भी व्यवस्था मौजूद है कि इन सभी मामलों का निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा । मान लीजिये कि सदस्य देशों का बहुमत निर्णय कर देता है कि किसी देश के उद्योग या नौवहन में निगम को विनियोजन करना ही चाहिये । इस प्रकार तो निगम उस देश की अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप भी कर सकता है ।

इसी तरह धारा ४ की यह व्यवस्था भी बहुत खतरनाक है कि निगम की सम्पत्तियों और आस्तियों और उन को रखने वालों के विरुद्ध कोई कार्यपालक या विधि सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । इस से सरकार शक्तिहीन बन जाती है । इन मामलों में सरकार को ही अन्तिम निर्णय करने की शक्ति रहनी चाहिये । इस व्यवस्था के अनुसार तो निगम की सम्पत्तियां या आस्तियां रखने वालों को भी उन्मुक्ति रहेगी, सरकार उन की तलाशी भी नहीं करा सकती । इतनी व्यापक उन्मुक्ति तो राजनयिक कर्मचारियों को भी नहीं दी जाती । उन की भी तलाशी हो सकती है ।

मेरा अनुरोध यही है कि सरकार को अपनी कार्यपालक या विधि सम्बन्धी कार्यवाहियों पर इस करार की शर्तों को हावी नहीं होने देना चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कर्मचारी कुछ घातक शस्त्रादि भी तो छिपा कर ला-ले जा सकते हैं, पर हम उन की तलाशी भी नहीं कर पायेंगे ।

हमारे देश में सरकार को ही मनचाहा करने का सर्वोपरि अधिकार होना चाहिये । हमारी सरकार को निगम से उस के करार के अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने के लिये कहना चाहिये । हर सदस्य-देश को इतना ही सर्वोपरि अधिकार रहना चाहिये । माननीय मंत्री को अब इस दृष्टि से करार के अन्तर्नियमों का अध्ययन करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० गोपाल रेड्डी**: व्यक्तिगत हैसियत से किये जाने वाले कार्यों को उन्मुक्ति नहीं दी गई है, वह तो कर्तव्य पूरा करने के लिये किये जाने वाले अधिकृत कार्यों के लिये ही है ।

यह सही है कि कर्मचारियों को कुछ विशेषाधिकार भी रहेंगे, लेकिन व उन के व्यक्तिगत हैसियत से किये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होंगे । उन के व्यक्तिगत कार्यों पर तो इस देश की विधि की व्यवस्थायें लागू रहेंगी ही ।

यह निगम ५५ देशों में कार्य कर रहा है । उन सभी की अपने-अपने ढंग की सरकारें हैं । हम नहीं चाहते कि सरकारें निगम के सामान्य प्रकार्यों में हस्तक्षेप करें या बाधा डालें । इसलिये यह एक प्रकार का आत्म-त्यागपूर्ण अध्यादेश है ।

फिर, हम ने ये रियायतें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को भी दे रखी हैं । अभी तक तो हमें उन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है । कोई नुकसान होने पर ही तो हम उन की शिकायत कर सकते हैं । इसलिये, ये कोई नई या असामान्य उन्मुक्तियां नहीं हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० गोपाल रेड्डी**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के लिये जो तरीका अपनाया है, मैं उस का सख्त विरोध करता हूं । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इस अनुसूची को, और निगम के करार के कुछ अंशों को, हमारे देश की विधि का अंग बनाने का प्रस्ताव कैसे रख रही है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बड़ी स्पष्ट भाषा में बताया है कि हमारे देश की, समाजवाद की दिशा में प्रगति वाली, अर्थ-व्यवस्था के विकास में यह विधान किस प्रकार बाधायें डालेगा ।

हम इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे संगठन की सहायता पर १९५८ में भी इतने निर्भर क्यों बन रहे हैं ? और, खास तौर पर जब हम इतनी बार देख चुके हैं कि विश्व बैंक ने जिस भी देश के सरकारी क्षेत्र को सहायता दी है, उस के व्यय की प्राथमिकताओं के बारे में पहले शर्तें रख दी हैं । विश्व बैंक ने बोकारो तापीय केन्द्र के निर्माण के लिये सहायता तभी दी जबकि उस का ठेका अमरीका के कुलजियन निगम को सौंपा गया । निसन्देह ही, यह निगम भी इसी तरह हमारी अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संगठन में अभी तक ५५ देश शामिल हैं, लेकिन निगम की आंखें कम विकसित देशों पर ही खास तौर से जमी हुई हैं। निगम ने अभी तक लैटिन अमरीकी देशों को ही सहायता दी है। निगम ने उन देशों की अर्थ-व्यवस्था में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर दी हैं कि वे समाजवादी विकास कर ही न सकें। हम अपने देश में समाजवादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य की घोषणायें करते हैं, और फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे संगठनों से भारी सहायता की आशा रखते हैं। हम निगम के पदाधिकारियों को एक सम्पूर्ण-प्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र जितनी शक्तियां दे रहे हैं।

इस शर्मनाक विधान में कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं जिन्हें किसी भी हालत में संविधि पुस्तक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। आज सरकार इसे अपने बहुमत से पारित तो करा लेगी, लेकिन वह बाद में इस के औचित्य से अपने कांग्रेस दल के सहयोगियों को भी पूर्ण सहमत नहीं बना सकेगी। हमारा दल इस विधेयक का सख्त विरोध करता है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** शर्म की बात यह नहीं है कि ऐसा विधान पारित किया जा रहा है, शर्म की बात तो यह है कि हमारी जनता को भोजन में प्रति दिन ३२० कैलोरीज़ ही मिल पाती हैं, जबकि दूसरे ग़रीब से ग़रीब देशों में भी वहां की जनता को २,००० कैलोरीज़ मिलती हैं। शर्म की बात तो यह है कि भारतीय जनता के रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है। उस के पास न पर्याप्त खाना है, न कपड़ा और न रोज़गार।

हमें अभी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, अभाव से, तंगी से, स्वतंत्रता नहीं मिल सकी है। इसलिये यदि यह निगम हमारे देश की जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने में, देश का औद्योगोकरण करने में, सहायता दे सकता है, तो मैं इस का पूरा समर्थन करता हूं। यही हमारी सब से बड़ी आवश्यकता है।

†**श्री दासप्पा :** माननीय आलोचकों ने यह बात बिल्कुल ही भुला दी है कि यह निगम एक अन्तर्राष्टीय निगम है। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि हर देश में इस निगम के अन्तर्नियम भिन्न-भिन्न रहें। एक बार जब हम निगम के सदस्य बन चुके हैं, तब फिर हम अपने देश में उस के अन्तर्नियमों से भिन्न व्यवस्थायें कैसे कर सकते हैं ? संसद् इस अनुसूची में ऐसा कोई भी रूपभेद नहीं कर सकती जो निगम के करार के अन्तर्नियमों से मेल न खाता हो। हां, संसद् यह अवश्य कर सकती है कि यदि इस निगम की कार्यवाही देश के हित में न हो तो अपनी सदस्यता को तिलांजलि दे दे। इसलिये, इस का सही तरीका यही है कि निगम की सदस्यता वापिस लेने का सीधा प्रस्ताव रखा जाये। संसद् को उस के निर्णय का पूरा अधिकार है।

†**डा० गोपाल रेड्डी :** श्री मुकर्जी ने बड़े ही बुनियादी सवाल उठाये हैं। उन का सुझाव शायद यह है कि हमें इन कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता त्याग देनी चाहिये। हम यह सहायता द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में ले रहे हैं, इसलिये हम अब श्री मुकर्जी की बात से सहमत नहीं हो सकते।

अमरीका या रूस जो भी हो, हमें किसी से भी ऋण लेने में कोई भय नहीं है, क्योंकि हम बड़े देशों को गुटबाज़ी के सिलसिले में चलने वाली सभी चाल बाजियों को नाकाम करने लायक काफ़ी सुदृढ़ हैं। अपनी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये हमें विदेशी सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। हमें इस से नहीं डरना चाहिये कि हम किसी एक गुट के पंजे में आ जायेंगे। इसलिये, मैं इन दलीलों को ठीक नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में ११२, विपक्ष में २५ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह आप जानते हैं कि संविधान बनाये जाने से पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय फेडेरल न्यायालय था परन्तु इस के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउन्सिल में अपील की जा सकती थी । संविधान बनाये जाने तथा लागू हो जाने के पश्चात् उस के अनुच्छेद १२४ में व्यवस्था रख दी गई थी कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा । आप को यह भी मालूम है कि अनुसूची २ भाग घ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई थी । उन की छुट्टियों, निवृत्ति वेतनों तथा अन्य मामलों के बारे में अनुच्छेद १२५ खण्ड २ में निम्नलिखित व्यवस्था रखी गई थी :—

"(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हो, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का, जैसेकि द्वितीय अनुसूचो में उल्लिखित है, हक्क होगा ।"

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

संविधान में यह व्यवस्था रखी गई थी । अब इस को आठ वर्ष बीत चुके हैं और पर्याप्त अनुभव हो चुका है जिस के आधार पर यह उचित समझा गया कि छुट्टी, निवृत्ति-वेतन, तथा कुछ अन्य सेवा की शर्तों के लिये संसद द्वारा निर्मित एक विधि होनी चाहिये । इसीलिये सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

इन तीनों बातों के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि संविधान में इन की क्या स्थिति है तथा अनुसूची में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई है ? यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छः महीने की अधिकतम छुट्टी दी जा सकती है तथा उस का वेतन अथवा भत्ते ११११० रुपये प्रति मास होंगे । चिकित्सा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त भी उस को अन्य कारणों पर छः महीने की छुट्टी मिल सकती है और उस के वेतन तथा भत्ते वही अर्थात् ११११० रुपये प्रति मास रहेंगे । परन्तु इस के अतिरिक्त अन्य ऐसी परिस्थितियां भी

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

आ सकती हैं जब उन को इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की छुट्टी लेनी पड़े। सुविधा के लिये यह असाधारण छुट्टी कहलाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली असाधारण छुट्टी के लिये एक शर्त रखी गई है कि इस प्रकार की छुट्टी छः महीने से अधिक की नहीं होगी, और उस को इस छुट्टी के लिये किसी भी प्रकार के भत्ते नहीं मिलेंगे।

साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के लिये संसद् ने १९५४ में उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम पारित किया था। जिस से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कुछ रियायतें दी गई थीं। यह अधिनियम अभी भी लागू है। राज्यों के पुनर्गठन के अनुसार इस में परिवर्तन कर लिये गये हैं। अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये हम १९५४ में अधिनियम बना चुके हैं जिस में कुछ संशोधन करने के बारे में हम विचार कर रहे हैं और आशा है कि इस विधेयक के पश्चात् वह विधेयक भी सभा में आयेगा। उस में हमने छुट्टी देने आदि के बारे में एक सिद्धान्त बनाया है। उस की सभी शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शर्तों से अच्छी हैं। हम ने उसी पद्धति का अनुकरण किया है और उसी को कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू कर दिया है। पहले यह व्यवस्था थी कि छुट्टी आधे वेतन पर दी जाती थी। इस से उन को कोई रियायत नहीं दी गई थी। पहले जो छुट्टी वह लेते थे तथा जितनी वह ले सकते थे उस का लेखा रखा जाता था।

अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की छुट्टियों का हिसाब रखे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उस की सेवा की अवधि की एक चौथाई अवधि तक की छुट्टी मिलेगी। परन्तु साथ ही साथ एक शर्त और रखी है कि कुल छुट्टी की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की छुट्टी जमा होगी।

छुट्टी लेने के बारे में भी कुछ नियम बनाये गये हैं। यह व्यवस्था रखी गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवा की कुल अवधि के चौबीसवें भाग तक की छुट्टी पूरे वेतन पर ले सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने दिन की छुट्टी पूरे वेतन पर ली जाती है आधे वेतन पर उस से दुगनी छुट्टी ली जा सकती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शर्तों से हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अच्छी शर्तें रख रहे हैं अर्थात् पूरे वेतन पर सेवा की अवधि की १/२४ अवधि की छुट्टी पूरे वेतन पर ली जा सकती है। परन्तु एक समय पर पूरे वेतन पर अधिकतम पांच महीने की छुट्टी ली जा सकती है। आधे वेतन पर १६ महीने की छुट्टी ली जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इन शर्तों पर जमा की गई छुट्टियों में से छुट्टी ले सकते हैं। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियुक्ति के पश्चात् जब न्यायाधीश की कोई छुट्टी जमा नहीं हो, और वह छुट्टी पर जाना चाहता हो तो उस के लिये दो प्रकार की छुट्टियों की व्यवस्था रखी गई है। एक तो चिकित्सा के लिये। चिकित्सा की अवधि तो कोई निश्चित नहीं की गई है परन्तु जो सिद्धांत मैं ने अभी बताये उन्हीं के आधार पर अधिकतम अवधि निश्चित की गई है। जिस का अर्थ हुआ कि जो अधिकतम मैं बता चुका हूं उस से किसी भी हालत में अवधि नहीं बढ़ेगी। ऐसा भी होता है कि एक दो अथवा तीन वर्षों के पश्चात् न्यायाधीश की छुट्टी जमा तो होती नहीं है परन्तु उन को छुट्टी की ज़रूरत होती है। उन को छुट्टी लेने की अनुमति तो दी गई परन्तु कुछ नियंत्रण लगा दिये गये। जैसे जो छुट्टी जमा है उन से अधिक तो उन को छुट्टी दी जा सकती है परन्तु यह आवश्यक है कि वह छुट्टी के पश्चात् काम पर आयें और ली हुई अपनी छुट्टी जमा करें। इस प्रकार वह छः महीने की छुट्टी ले सकते हैं। चिकित्सा की छुट्टी के लिये हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बात तो उस के

[श्री दातार]

बस में नहीं होती है। जब वह बीमार है तो वह काम पर कैसे आ सकते हैं। परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियमों के अधीन जो अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं उस को उतनी ही छुट्टी लेनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक बात और याद रखनी चाहिये कि कर्तव्य पालन करते समय संभवतः कोई दुर्घटना हो जाती है और उन के चोट लग जाती है और उन को निर्योग्यता छुट्टी लेनी पड़ती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मर जाने पर निर्योग्यता निवृत्ति वेतन, उस के वारिसों को देने की व्यवस्था है उसी प्रकार हम ने इस सम्बन्ध में भी नियम बनाये हैं कि कर्तव्य पालन के निर्योग्य होने पर छुट्टी, निवृत्ति वेतन तथा उपदान आदि दिये जायें।

आप यह भी जानना चाहेंगे कि छुट्टी पर गए न्यायाधीश को कितनी धनराशि दी जायेगी। असाधरण छुट्टी पर जाने पर उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा परन्तु जिन छुट्टियों में उसको भत्ते, आधे अथवा पूरे मिलेंगे, उसके लिए सिद्धान्त बनाये गये हैं। पहले चिकित्सा अथवा अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी पर जाने पर उसको ११०० रुपये प्रतिमास दिए जाते थे जो कि उचित नहीं था। इसलिए इसमें संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश के छुट्टी पर जाने पर छुट्टी के पहले ४५ दिनों में जो वेतन छुट्टी से पहले उसको मिलना था वही उसको पूरा मिलेगा। उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। अन्तर केवल इतना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पूरा वेतन केवल एक महीने का मिलेगा जब कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ४५ दिनों का मिलेगा। ४२ दिन से अधिक की अवधि पर पूरे वेतन की छुट्टी के लिए उसको २२२० रुपये मिलेंगे। आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ४००० रुपये मासिक मिलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को ५००० रुपये मासिक मिलते हैं। इस संबंध में संविधान की द्वितीय अनुसूची में व्यवस्था की गई है। परन्तु ठीक यह समझा गया कि जब वह छुट्टी पर जाये तो छुट्टी की पूरी अवधि के लिए पूरा वेतन उनको न दिया जाये अपितु ४५ दिन के लिए पूरा वेतन दिया जाये तथा जब तक पूरे वेतन की छुट्टी की अवधि समाप्त न हो जाये तब तक २२२० रुपये प्रति मास दिए जायें। आधे वेतन की छुट्टी के लिए उनको इस राशि का आधा अर्थात् १११० रुपये दिए जायें।

छुट्टी की सुविधाओं को भी हमने कुछ उदार कर दिया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इनको उदार बनाना क्यों ठीक समझा गया। इसका एक कारण यह था कि उनको भी वही सुविधायें तथा रियायतें दी जानी थीं जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी गई थीं। इसके और भी कारण थे जैसे आप जानते हैं कि संसद में चर्चा के समय कई बार कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लम्बा अवकाश दिया जाता है। हमने इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श किया और उसे यह बताते हुए बड़ी प्रशन्नता होती है कि इस लम्बे अवकाश को बहुत कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि फेडरल न्यायालय के दिनों से अवकाशों की अवधि कितनी कम करदी गई है। १९५० में फडरल न्यायालय में लगभग चार महीनों का अवकाश होता था। परन्तु १९५० में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के पश्चात् उन्होंने स्वयं इसको कम करके ३ १/२ महीन का कर दिया। १९५७ में इसको ३ महीने का कर दिया गया। और अब मुख्य न्यायाधीश इसको १० सप्ताह का करने को राजी हो गये हैं। इस कारण से भी छुट्टी सुविधाओं को उदार बनाना आवश्यक था।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि काम के दिन भी पर्याप्त बढ़ गये हैं । इसलिए यह प्रश्न उठता है कि जब काम के दिन भी बढ़ गये हैं और अवकाश की अवधि भी कम हो गई तो क्या हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए । इसीलिए हमने ऐसा किया। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह सुविधायें थी इसलिए उनको उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान बनाने के लिए हमने यह प्रविधायें दीं ।

निवृत्ति वेतन के मामले में हमने वर्तमान शर्तों में कोई अधिक अन्तर नहीं किया है। केवल हमने न्यूनतम निवृत्ति वेतन निश्चित किया है । एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । परन्तु थोड़े हो समय में उसकी आयु ६५ वर्ष हो जाती है और वह सेवा निवृत्त हो जाता है तो यही प्रश्न उठता है कि उसको कितना निवृत्ति वेतन दिया जाये । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में संसद ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया था कि स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात् चाहे उसने कुछ भी दिन काम क्यों न किया हो उसको सेवानियुक्त अथवा बैंच से अलग होने पर ६००० रुपये वार्षिक मिलेंगे, इस मामले में भी न्यूनतम निवृत्ति वेतन ७,५०० रुपये रखे गये हैं । ७५०० रुपये के वार्षिक निवृत्ति वेतन से अधिक के निवृत्ति वेतन के लिए उसके काम के वर्षों पर विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध में हमने अनुसूची बनाई है जिसको तीन भागों में विभाजित किया है । एक भाग में मुख्य न्यायाधीश दूसरे में भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य तथा तीसरे में वह न्यायाधीश जो भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य नहीं हैं अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं । प्रत्येक भाग के लिए हमने सिद्धान्त बना दिए हैं जिनके अन्तर्गत निवृत्ति वेतन की राशि बढ़ाई जायेगी । मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम राशि २६,००० रुपये तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए अधिकतम राशि २०००० रुपये रखी है ।

अनुसूचि के विभिन्न भागों को देखने पर सभा को पता लगेगा कि भारतीय असैनिक सेवा के न्यायाधिशों के सम्बन्ध में भी यह सिद्धान्त रखा गया है कि उनको भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य को मिलने वाली सुविधायें तथा सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए अतिरिक्त निवृत्ति वेतन मिलेंगे । इस प्रकार जो न्यायाधीश भारतीय असैनिक सेवा के नहीं है ; उन्हीं के समान अर्थात् २०,००० रुपये वार्षिक ही भारतीय असैनिक सेवा वाले न्यायाधीशों को मिलेंगे । इस प्रकार आपको पता लगेगा कि हमने अभी तक प्रचलित व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है केवल कुछ संतोषजनक सिद्धान्त बना दिए हैं ।

चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्तों आदि के लिए उचित नियम बनाये जायेंगे जिनको संसद के समक्ष रख दिया जायेगा । जिसमें माननीय सदस्य उन पर विचार कर सकेंगे ।

हमने यही कुछ सिद्धान्त बनाये हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि समस्त विधेयक को लिया जाये तो हमने उनके साथ न्याय ही किया है । अवकाश के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को विधेयक के उपबन्धों से तय नहीं किया जा सकता है अपितु वह ऐसा मामला है कि जिसको उच्च तथा उच्चतम न्यायालय की सहमति के द्वारा ही तय किया जा सकता है ?

संविधान के अनुच्छेद १४५ के अधीन, उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के नियम राष्ट्रपति की अनुमति से बना सकता है । उसी प्रकार वह इन नियमों के आधार पर वह अवकाश की कुल अवधि भी निश्चित कर सकता है । इन नियमों को राष्ट्रपति की स्वीकृति रहती है इसलिए इनके सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं रहती है ।

[श्री दातार]

मैंने विधेयक के मुख्य उपबन्धों के बारे में बता दिया है और यह आवश्यक नहीं है कि अन्य उपबन्धों के बारे में मैं कुछ कहूं क्योंकि वह सब या तो संविधान की द्वितीय अनुसूचि के भाग (घ) में हैं अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम से ले लिए गए हैं।

इस प्रकार हमने इनको यथासंभव ठीक बनाने का प्रयत्न किया है तथा देश की उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए संतोषजनक सेवा की शर्तें बनाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा विधेयक के उपबन्धों का पूरी तरह समर्थन करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दमान) : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह विधेयक संविधान के कतिपय उपबन्धों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १२५(२) पर आधारित है। इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, सेवा निवृत्ति तथा भत्ते आदि का निर्धारण संसद विधि द्वारा करेगी। किन्तु विधेयक के खण्ड १६ का आशय है कि निर्धारित वेतन स्तरों तथा विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीशों को असाधारण वेतन तथा उपदान दिये जा सकते हैं। यह विधेयक तो न्यायाधीशों में ही मतभेद करता है अतः अनुच्छेद १४ का अतिक्रमण करता है। संसद सेवा निवृत्ति के बारे में निर्णय कर सकती है किन्तु असाधारण सेवानिवृत्ति के बारे में तो नहीं।

अनुच्छेद १२५ के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश इन भत्तों का भागी होगा किन्तु यहां तो "प्रत्येक" शब्द नहीं है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य "उपदान" पर आपत्ति करते हैं। अनुच्छेद में "विशेषाधिकार" शब्द आया है किन्तु विशेषाधिकार के अन्तर्गत ही "उपदान' आ जाता है।

†**श्री सुबिमन घोष** : तो यह सब के लिये चाहिये।

प्रथमतः तो यह अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है। दूसरे जो उपबन्ध अनुच्छेद १२५ में हैं उस से अधिक के बारे में इसे बनाया जा रहा है। तीसरे हम असाधारण उपदान इत्यादि दे रहे हैं। इस का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इस से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

"मुख्य न्यायाधीश" की परिभाषा में भी यहां "कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश" को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस के पश्चात् आप विधेयक के खण्ड १२ की ओर भी देखें। उस के अनुसार न्यायाधीशों के अवकाश की अनुमति तथा निरसन का कार्य राष्ट्रपति करेगा जो पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। किन्तु यदि मुख्य न्यायाधीश भी छुट्टी चला जाता है तब कौन परामर्श देगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य संशोधन रख सकते हैं, पर यह औचित्य प्रश्न तो नहीं है।

†श्री सुबिमन घोष : श्रीमान् मेरा आशय यह है कि विधेयक नियमित नहीं है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में सभापति ऐसी बातों का निर्णय नहीं देता। माननीय सदस्य यदि अन्य सदस्यों को अपने पक्ष का बना सकते हैं तो वे इस विधेयक को अस्वीकृत करा दें। इस में कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। यह विधेयक देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण मेरी यह इच्छा है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

न्यायाधीश लोकतंत्रात्मक प्रणाली के आधारस्तम्भ हुआ करते हैं। न्यायाधीश संविधान के अभिरक्षक हैं। हमें इस विषय पर राजनैतिक दृष्टिकोण से न सोचकर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये। हमें न्यायाधीशों को सामान्य प्रशासनिक पदाधिकारियों की भांति नहीं देखना चाहिये। यह ठीक माननीय मंत्री कहेंगे कि न्यायाधीशों के बहुत ही ज्यादा वेतन न दिया जाये किन्तु मुझे पता है कि अच्छे वकील न्यायाधीश बनना ही नहीं चाहते। हम वकीलों को दर्शन शिक्षा तो नहीं दे सकते।

मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के वेतन बहुत ही कम हैं। सेवा निवृत्ति वेतन तो बहुत ही कम है। फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश को ७००० वेतन मिलता था और उस का काम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कहीं कम था। आज हम २००० कम दे रहे हैं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन*

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : संसद ने दो वर्ष पहले एक विधेयक पारित किया था और १ मई, १९५८ को गजट में वह निकाला गया था। उस के परिणामस्वरूप गाने नाचने वाली लड़कियों तथा वेश्याओं ने प्रदर्शन किया। किन्तु हमारे मंत्रीगण यह कहते फिरे कि जब तक स्त्रियों के पुनर्वास की समस्या हल न होगी तब तक इस विधेयक को लागू न किया जायेगा। तीन जून के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड से पता चलता है कि माननीय विधि मंत्री ने कलकत्ता में यही बात कही। पत्र के सम्पादकीय ने लिखा कि भारत में संसद के अनेक अधिनियमों को कार्यपालिका ने इसी प्रकार प्रभावहीन बना दिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यह तो संसद की अवज्ञा प्रतीत होती है। यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। कलकत्ता में छोटे छोटे होटल खुल गये हैं जहां लड़कियां वेटरैस का काम करती हैं किन्तु उन से अनैतिक कार्य कराया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत वेश्यावृत्ति को बन्द ही नहीं किया जा सकता।

वास्तव में समस्या गहन थी इसी कारण इस में वेश्याओं को काम पर लगाने इत्यादि के उपबन्ध किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

दिल्ली से यह बात समाप्त हुई किन्तु वही वेश्यायें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चली गईं। खैर इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह चाहती हूं कि सभा इस बात पर ध्यान दे कि इस भीषण सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है।

दूसरा सुझाव यह है कि अनुसंधान कार्य तथा नारी निकेतनों की व्यवस्था के सारे कार्य में पुलिस के साथ सामाजिक कार्य करने वाली स्त्रियों को लगाया जाये। जब पुलिस किसी वेश्या की तलाशी ले तो स्त्री कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित रहनी चाहिये।

अब तक ये सारी बातें हो जानी चाहिये थीं किन्तु वास्तव में सरकारी व्यवस्था इस सामाजिक बुराई को दूर ही नहीं करना चाहती। वास्तव में सरकारी उच्च पदाधिकारी तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जाते रहते हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि वहां बड़े बड़े पदाधिकारी तथा एक भूतपूर्व संसद सदस्य भी इसी रोग के दोषी पाये गये हैं।

इन बातों को देख कर चिन्ता होती है। जब सरकार ही ऐसे कामों पर उतरेगी तब क्या होगा? अतः सरकार को यह बात बताना चाहिये कि वह संसद की विधियों को क्यों क्रियान्वित नहीं करती।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : ३० जून, १९५८ को माननीय विधि मंत्री ने कलकत्ता की बैठक में जो कुछ कहा क्या वह ठीक था और क्या उन्हों ने यह भी कहा था कि स्त्रियों को दूसरा स्थान दिये बिना बेदखल किया नहीं जायगा। क्या सरकार का विचार यही है? क्या सरकार अधिनियम को प्रवर्तित करना नहीं चाहती?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : कुछ राज्यों में नारी स्वरक्षा गृह हैं। क्या अन्य राज्यों में भी इन की व्यवस्था की गई है। क्या मद्रास तथा मदुरै के सदनों में केवल १५० स्त्रियों के लिये ही स्थान है?

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी जैसे सवाल उठाया गया, दिल्ली में भी यह क़ानून कुछ वर्षों से लागू हुआ पर हम यहां देखते हैं कि जब कोई ऐसी अभागी बहिन पुलिस के पास खबर भेजती है कि मेरे उपर इस तरीक़े से अत्याचार हो रहा है और मुझ को वहां से निकाला जाय तो हमारे यहां उस बहिन को निकालने का कोई क़तई बंदोबस्त नहीं होता है। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहती हूं कि उस के लिये क्या इंतज़ाम है? क्या आर्डिनेरी जो प्रोसीज्योर है क़ानून में कि वह इत्तिला जाय, रिपोर्ट जाय फिर वह मजिस्ट्रेट के पास उस के लिये वारंट लेने के लिये जाय, इतना लम्बा चौड़ा तरीका अख़त्यार किया जाता है और जो खबर ले कर जाते हैं उन को हैरेस किया जाता है और उन को वहां से निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं होता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस के लिये कोई ऐसा स्पेशल इंतजाम है जिस की कि रू से जब कोई इस तरह का खत किसी पुलिस अफ़सर या किसी एथोरिटी के पास पहुंचे, तो उस बहिन को जो मुसीबत में है उस को निकालने का कोई फ़ौरी बंदोबस्त हो सके। उस को निकालने का कोई बंदोबस्त होता है या नहीं?

†मूल अंग्रेज़ी में

मेरे देखने में यह आया है कि उस को निकालने के पहले पुलिस अपनी राय कायम करती है कि यह कौन है, कैसी है और कैसे पहुंची है अर पुलिस कई दफ़ा तो यह कह देती है कि वह खराब है, वहां से वे निकलना ही नहीं चाहती है और वह झूठ कहती है और इस तरह उन को निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं होता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को केवल सवाल करना था कोई स्पीच नहीं देनी थी।

श्रीमती सुभद्रा जोशी: कानून लागू हो जाने के बाद भी वहां आश्रय देने के अलावा उन को निकालने की भी क्या कोई स्पेशल मशीनरी है या नहीं, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : क्या मैं जान सकती हूं कि इन स्त्रियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैंने जो कुछ विषय पर कहा है यहां उसका उल्लेख किया गया है।

इस अधिनियम के उपबन्ध दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहले वर्ग में उन लोगों के लिये दण्ड व्यवस्था है जो लड़कियों को व्यभिचार के मार्ग पर डालते हैं और उनके व्यभिचार पर ही जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे लोगों से किसी को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है उन अभागी नारियों का जो वेश्यावृत्ति करती हैं--उनका क्या किया जाये। पहले तो उनकी संख्या में वृद्धि की रोकथाम करनी है दूसरे विद्यमान वेश्याओं का पुनर्वास करना है।

अतः पहले कुकर्म के विरुद्ध तो तुरन्त ही विधि को लागू करना है। दूसरी समस्या थोड़ी जटिल है। इस विधि का आशय नहीं था कि समस्त वेश्याओं को एकदम ही अपना काम बन्द करने की आज्ञा दी जाये। यह इस विधि का आशय कदापि न था कि वेश्याओं के विरुद्ध इतनी कड़ी कार्यवाही की जाये। इसमें नारी गृह स्थापित करने का भी उपबन्ध है। उसके पश्चात वेश्याओं को बेदखल करके उन गृहों में भेजने की व्यवस्था है। दण्डाधिकारियों को वेश्याओं के निष्कासन के अधिकार है। यदि वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना ही उन्हें बेदखल किया जाये तो वे शरीफ लोगों के महल्लों में जायेंगी और वहां का जीवन खतरनाक बन जायेगा। वास्तव में मई के अन्त में मैं जब कलकत्ता गया कुछ लोगों ने वहां की वेश्याओं में यह समाचार फैला दिया था कि उन्हें उखाड़ दिया जायेगा और उन्होंने सब कुछ बेचकर अच्छे महल्लों में मकान किराये पर लेने आरंभ कर दिये। शरीफ महल्लों के लोगों ने मेरे पास आ कर उस खतरे की सूचना दी। इसके अतिरिक्त कतिपय अवांछनीय व्यक्ति इस विधि के द्वारा धन कमाने भी लगे थे।

यह ठीक है कि सुरक्षागृह शीघ्र ही स्थापित न हो सके। मैं मानता हूं कि ऐसे कार्य शीघ्र ही होने चाहिये थे। शंघाई तथा चीन में जिस प्रकार वेश्याओं का पुनर्वास हुआ उस रीति का भी मैंने अध्ययन किया है उनका पुनर्वास उचित रीति से हुआ था। उन्हें काम दिया गया और कुछ व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया गया उनमें अधिकतर स्त्रियां उपयोगी बन गई हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यह तो मानेंगी कि इन्हें एकदम बेदखल करके भूखों मारना तो ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को अवश्य ही दण्ड दिया जायेगा जो कि लड़कियों को इस कुपथ पर डालकर लज्जा का जीवन बिताने के लिये बाध्य करते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक पश्चिमी बंगाल का प्रश्न है—वहां तो अनेक समस्यायें हैं। लाखों विस्थापितों को बसाना है। हम इस बात पर ठण्डे दिल से सोचेंगे और ऐसे गृह बनायेंगे जहां ये स्त्रियां काम धन्दे सीखें और उपयोगी बनें। जहां तक ऐसे लोगों का प्रश्न है जो कि इन्हें फुसलाकर यह वृत्ति करने पर बाध्य हैं— शासन उनसे किसी प्रकार की नम्रता प्रदर्शित नहीं करेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जिस प्रतिवेदन के बारे में बताया है यदि वह सच है तो स्थिति अवश्य ही खतरनाक है। उनसे कोई भी सहानुभूति न करेगा।

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मेरे योग्य साथी ने इसके सामाजिक-आर्थिक पहलू पर प्रकाश डाला है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि यह विधि १९५६ में बनी और इस वर्ष १ मई को लागू हुई। वास्तव में इतना समय लगने का कारण यह था कि धारा २३ के अन्तर्गत राज्यों ने आदर्श नियम बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना था। राज्यों ने देर की। मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा दिल्ली ने इन नियमों को स्वीकार कर लिया है और अपने अपने राज्य पत्रों में प्रकाशित किया है। केरल, राजस्थान, बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल ने भी बताया है कि उन्हें क्रियान्वित कर ही दिया जायेगा। इसलिये हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे या राज्य हिचकिचा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि राज्यों में कहीं पर भी सहायता गृह नहीं है किन्तु मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य में पहले से ही ऐसा उपाय किया गया था। सहायता गृहों के आंकड़े निम्न हैं :—

	सहायता गृहों की संख्या	मार्च, १९५८ तक काम आरंभ करने वाले गृहों की संख्या
आसाम . . .	१	१
आंध्र	१	१
केरल .	१	१
मद्रास .	०	०
राजस्थान .	१	१

मद्रास में पहले से ही कुछ गृह थे जिन्हें अब सहायता गृहों के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।

उड़ीसा . .	१	१
दिल्ली	१	०

हम अभी नारी निकेतन का ही लाभ ले रहे हैं और सहायता गृह बनाने के लिये स्थान प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे राज्यों के आंकड़े निम्न हैं।—

राज्य का नाम	स्वीकृत गृहों की संख्या	३१ मार्च १९५८ तक बनाये जाने वाले गृहों की संख्या
बम्बई	१	१
उत्तर प्रदेश	१	१
पश्चिमी बंगाल	१	०
पंजाब	१	१

अब मैं उन सहायता गृहों के आंकड़े बताऊंगी जो :—
मार्च १९५८ के बाद चालू हुए हैं;

राज्य का नाम	स्वीकृत गृहों की संख्या	मार्च, १९५८ के बाद से काम करने वाले गृहों की संख्या
आसाम .	८	०
आंध्र प्रदेश	१०	२
केरल	७	३
मद्रास	८	४
राजस्थान .	४	४
उड़ीसा . .	७	४
हिमाचल प्रदेश .	२	०
बम्बई	१४	४
उत्तर प्रदेश .	३०	२०
पश्चिमी बंगाल . . .	०	०
पंजाब	२	२

बिहार में सहायता गृह १ है तथा जिलाशरण गृह ३। मैसूर में इनकी संख्या क्रमशः १ तथा २ है। मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को परामर्श देती हूँ कि वे अपने राज्य में जाकर वहां की स्थिति सुधारें। जब वह भूतपूर्व संसद सदस्यों पर आरोप लगाती हैं तब वहां जाकर उन्हें रोकें भी तो और हमारी सहायता करें।

जहां तक गायन तथा नृत्य संघ का सम्बन्ध है हम उसे भी सन्दिग्ध दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उस आड़ में अन्य काम भी हो सकता है।

बम्बई ने पहले जब वेश्यावृत्ति विरोधी अधिनियम लागू किया था तो यही हुआ कि वेश्याएं आबादी में आकर रहने लग गईं। ऐसे मामलों को केवल मात्र विधि की सहायता से हल नहीं किया जा सकता। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा है कि पुलिस भी काम में बाधा उपस्थित करती है। मैं इस बात को मानती हूँ। अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। कन्तु हम स्थिति को ठीक करेंगे।

अन्त में मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगी कि वह हमारे हाथ मजबूत करें और हमें सहयोग देकर इस समस्या को हल करायें।

इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २४ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	३९३३–५६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५२२	आयात सहायता संस्थायें .	३९३३–३४
१५२३	नई दिल्ली में केन्द्रीय बुनियादी स्कूल	३९३४–३५
१५२४	पिछड़े हुए वर्गों का वर्गीकरण . . .	३९३५–३७
१५२५	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये रेल के इंजनों का आयात	३९३७–३८
१५२६	शिक्षा संस्थाओं में मौनधारण तथा अनुशासन	३९३८–३९
१५२७	तेल शोधक कारखानों में उत्पादन	३९३९–४१
१५२८	दिल्ली पोलिटेक्नीक .	३९४१–४२
१५२९	उद्वाष्पन नियंत्रण प्रयोग .	३९४२–४३
१५३१	आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश .	३९४३–४४
१५३२	त्रिपुरा के अनुसूचित आदिम जाति के बालक	३९४४–४५
१५३३	सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क .	३९४५–४६
१५३४	दुर्लभ पाण्डुलिपियों का अधिग्रहण	३९४६–४७
१५३६	लोहे और इस्पात का वितरण . .	३९४७–४८
१५३८	पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सीमा विवाद . .	३९४८–४९
१५४१	तेल का वितरण करने वाली कम्पनियों द्वारा कमाया गया मुनाफा	३९४९–५१
१५४२	इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०	३९५१–५३
१५४३	चुनाव याचिकाएं . .	३९५३–५४
१५४४	चिकित्सा और दंत-चिकित्सा सेवायें .	३९५४–५५
१५४५	तेल शोधक कारखानों में डीजल आयल का उत्पादन	३९५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	३९५६–४०३६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५३०	खजुराहो	३९५६
१५३५	कलकत्ता में स्पोर्ट्स स्टेडियम .	३९५६
१५३७	लक्का घाटी परियोजना .	३९५७
१५३९	अंदमान में सभाओं आदि पर प्रतिबन्ध .	३९५७
१५४०	संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी	३९५७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१५४६	जीपों का क्रय . .	३९५८
१५४७	सीनियर बेसिक पाठ्यक्रम .	३९५८
१५४८	विश्वविद्यालय की डिग्रियां . .	३९५८
१५४९	मितव्ययिता समिति	३९५९
१५५०	नौ प्रतिष्ठान .	३९५९
१५५१	होशंगाबाद का उप निर्वाचन . . .	३९५९
१५५२	राजस्थान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां .	३९५९–६०
१५५३	ओपन हर्थ ब्लास्ट फर्नेस . . .	३९६०–६१
१५५४	अंदमान द्वीप के अस्पतालों में रोगियों के रखे जाने के लिये स्थान .	३९६१
१५५५	खनिज पदार्थों का सम्भरण	३९६१
१५५६	पद सुरक्षित रखना . .	३९६१–६२
१५५७	भारत इंश्योरेंस कम्पनी और जुपिटर इंश्योरेंस कम्पनी .	३९६२
१५५७–क	वनस्पति	३९६२–६३
१५५८	गुम्मिडीपुंडी में युद्धास्त्र डिपो का बन्द होना . .	३९६३
१५५९	"साउथ चाइना एथलेटिक एसोसिएशन टीम"	३९६३
१५५९–क	सिलीगुड़ी में तिलक मैदान .	३९६४
१५५९–ख	मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् का बजट .	३९६४–६५
१५६०	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण .	३९६५
१५६१	फोरमेन और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण .	३९६५
१५६२	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास .	३९६६
१५६३	वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प की क्रियान्विति .	३९६६
१५६४	यूनेस्को प्रादेशिक गोष्ठियां	३९६७
१५६५	कोयले का उत्पादन	३९६७
१५६६	नाटक गोष्ठी .	३९६७–६८
१५६७	तेल शोधक कारखानों का मुनाफा	३९६८
१५६८	रूरकेला में डीसिलीकोनाइजिंग प्लांट	३९६८
१५६९	दक्षिणी जोन . . .	३९६८–६९
१५७०	आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	३९६९
१५७१	सेना का द्वितीय नौ-प्रांगण . .	३९६९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१५७२ इस्पात के कारखाने . .	३९६९-७०
१५७३ मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन . .	३९७०
१५७४ सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, छेवकी .	३९७०-७१
१५७५ पुलिस विभाग में गैर-सरकारी खोजी	३९७१
१५७६ समुद्र सीमा शुल्क नियम पुस्तिका . .	३९७१
१५७७ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	३९७१
१५७८ तेल के लिये छिद्र करना . . .	३९७२
१५७९ इस्पात कारखानों के इंजीनियरिंग ठेके	३९७२-७३
१५८० आदिवासियों का धर्म परिवर्तन .	३९७३
१५८१ दिल्ली में सांयकालीन कालेज .	३९७३
१५८२ मद्रास को लोहे और इस्पात का संभरण	३९७४
१५८३ दिल्ली जल संभरण जांच समिति .	३९७४
१५८३—क अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् .	३९७५
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२६०१ नगरीय समाज कल्याण केन्द्र	३९७५
२६०२ मैसूर के स्मारक . .	३९७५
२६०३ अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	३९७५-७६
२६०४ बम्बई में आदिवासी .	३९७६
२६०५ बम्बई उच्चन्यायालय .	३९७६
२६०६ पुलिसमेन	३९७६-७७
२६०७ केन्द्रीय सचिवालय में स्थानापन्न नियुक्तियां .	३९७७
२६०८ भिलाई इस्पात परियोजना में अनुसूचित जाति के कर्मचारी	३९७७-७८
२६०९ केरल राज्य बैंक की स्थापना . . .	३९७८
२६१० उड़ीसा उच्चन्यायालय में आयकर के मुकदमे	३९७८
२६११ उड़ीसा राज्य में लघु बचत योजना . .	३९७८-७९
२६१२ भारत से विदेशों को विदेशों से भारत को धन भेजा जाना	३९७९
२६१३ केन्द्रीय वेतनमान	३९७९
२६१४ मनीपुर में आदिम जाति गृह-निर्माणयोजना	३९७९-८०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६१५	मनीपुर में आदिम जाति के होस्टल	३९८०
२६१६	गवेषणायें	३९८०
२६१७	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी	३९८०–८१
२६१८	महेन्द्रगढ़ में खनिज निक्षेप	३९८१
२६१९	शिक्षित बेकार	३९८२
२६२०	नाटक के विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण	३९८२
२६२१	पंजाब में बेसिक स्कूल	३९८२–८३
२६२२	सीमा विवाद	३९८३
२६२३	राष्ट्रमंडलीय व्यापार तथा अर्थ सम्मेलन	३९८३
२६२४	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	३९८३–८४
२६२५	संघ राज्य-क्षेत्रों के इंजीनियरिंग विद्यार्थी	३९८४
२६२६	साहित्य अकादमी	३९८४–८५
२६२७	बकाया आय कर की वसूली	३९८५
२६२८	डासडा (कंचनपुर) रोड	३९८५–८६
२६२९	हार्ड कोक	३९८६
२६३०	सांस्कृतिक तथा मनोरंजन की सुविधायें	३९८६
२६३१	शक संवत की तिथिपत्री	३९८७
२६३२	बम्बई में लघु बचत संग्रह	३९८७
२६३३	दिल्ली की बाढ़ों के लिये समितियां	३९८७—८९
२६३४	अंडमान पुलिस	३९८९–९०
२६३५	महिलाओं द्वारा तस्कर व्यापार	३९९०
२६३६	आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस०	३९९१
२६३७	शाहजहांपुर में तेल सर्वेक्षण	३९९१
२६३८	देवलाली शिविर	३९९२
२६३९	इण्डियन स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी	३९९२
२६४०	विदेशी प्रचारकों की गतिविधियां	३९९२–९३
२६४१	केरल की अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	३९९३
२६४२	इस्पात की पुनर्बेलन मिलों की लागत	३९९३
२६४३	वारंगल का रामप्पा देवालयम्	३९९३–९४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२६४४	चीनी राष्ट्र-जन .	३९९४
२६४५	ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य .	३९९४
२६४६	संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र	३९९५
२६४७	दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना	३९९५
२६४८	अल्पवयस्कों का धर्म परिवर्तन	३९९५–९६
२६४९	सेवाओं के एकीकरण के बारे में शिकायतें	३९९६
२६५०	इन्द्रप्रस्थ कालेज के होस्टल की घटना	३९९६
२६५१	काव्य संग्रह 'तिरुक्कुरल'	३९९६–९७
२६५२	आंध्र प्रदेश में बैरिटीज़ के निक्षेप	३९९७
२६५३	अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षार्थी	३९९७–९८
२६५४	पंजाब में भारत सेवक समाज के शिविर .	३९९८
२६५५	ताजमहल और आगरे के किले की ईंटों के भट्टे	३९९८
२६५६	मारे गये तस्कर व्यापारी	३९९९
२६५७	चोरी से लायी गयी घड़ियों का पकड़ा जाना	३९९९
२६५८	रूमानियां में तेल की खोज के सम्बन्ध में अध्ययन	३९९९
२६५९	इंजीनियरिंग कालेज और पोलिटेक्निक्स	३९९९–४०००
२६६०	अमरीका में इंजीनियरों का स्नातकोत्तर अध्ययन	४०००
२६६१	ब्रिटेन भेजी गयी राशियां . . .	४०००–०१
२६६२	अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच .	४००१
२६६३	ब्रिटेन में इंजीनियरों का प्रशिक्षण	४००१–०२
२६६४	पंजाब के भूतपूर्व सैनिक .	४००२
२६६५	पंजाब में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	४००२
२६६६	पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण	४००२–०३
२६६७	दिल्ली में आत्महत्यायें	४००३–०४
२६६८	रेलवे यात्री किराये	४००४–०५
२६६९	नौवहन सम्मेलन	४००५
२६७०	कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह	४००६
२६७१	भारतीय वायु सेना का हैलीकाप्टर विभाग	४००६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६७२	पूर्वी कमान, लखनऊ . .	४००७
२६७३	लौह अयस्क परियोजना	४००७
२६७४	जीवन बीमा निगम .	४००७
२६७५	राजस्थान में नई बीमा योजना	४००७—०८
२६७६	त्रिपुरा न्यायपालिका .	४००८
२६७७	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियां	४००८—०९
२६७८	वेतन सम्बन्धी नियम .	४००९
२६७९	एम० ई० एस० और इंजीनियर कोर	४००९—१०
२६८०	सड़क परिवहन के लिये अमरीकी सहायता	४०१०
२६८१	विधि मंत्रालय के कर्मचारी . . .	४०११
२६८२	वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी	४०११
२६८३	राजनैतिक पैशनें	४०१२
२६८४	सूर्यवंशी जातियां	४०१२
२६८५	दिल्ली में रमेश नगर के स्कूल	४०१२
२६८६	ज्वालामुखी से दिल्ली तक गैस की पाइप लाइन	४०१२—१३
२६८७	पिछड़े वर्ग . .	४०१३
२६८८	गृह-कार्य मंत्री की स्वविवेक निधि	४०१४
२६८९	त्रिपुरा में आदिम जाति के लिये रक्षित भूमि	४०१४—१५
२६९०	संघ राज्य-क्षेत्रों में विवाह विच्छेद	४०१५
२६९१	कुचिपुडी नाट्यम्	४०१५
२६९२	जीवन बीमा निगम	४०१५—१६
२६९३	अण्दमान में जल संभरण	४०१६
२६९४	अण्दमान में चिकित्सा विशेषज्ञ	४०१६
२६९५	अण्दमान के लिये भैंसे	४०१६
२६९६	बिड़ला औद्योगिक संग्रहालय	४०१७
२६९७	त्रिपुरा के विस्थापितों को ऋण	४०१७
२६९८	त्रिपुरा में प्राइवेट स्कूल	४०१७—१८
२६९९	भारतीय सेना में गोरखे	४०१८
२७००	सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाया जाना	४०१८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७०१	इलाहाबाद जिले में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा ली गयी ज़मीन	४०१८–१९
२७०२	शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े	४०१९
२७०३	केरल में स्थान परिवर्ती खेती .	४०१९–२०
२७०४	तेल के लिये छिद्र करने का कार्यक्रम	४०२०
२७०५	आय-कर के मुकदमे . . .	४०२०
२७०६	सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम	४०२०–२१
२००७	बीजापुर में "आसर महल"	४०२१
२७०८	बीजापुर का "इब्राहिम रोज़ा"	४०२१
२७०९	अवाडी का डिफेंस डिपो .	४०२१–२२
२७१०	दिल्ली पुलिस कर्मचारी का फरार होना	४०२२
२७११	शाहजहां की मृत्यु पर रोशनी डालने वाले दस्तावेज	४०२२
२७१३	अवाडी में प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग	४०२२
२७१५	अमृतसर छावनी .	४०२३
२७१६	भूमि	४०२३
२७१७	सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों द्वारा गैर-सरकारी नौकरी	४०२४
२७१८	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्	४०२४
२७१९	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्	४०२४–२५
२७२०	जलियांवाला बाग, अमृतसर, में राष्ट्रीय स्मारक	४०२५
२७२१	पंजाब में आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये संस्थायें	४०२५–२६
२७२२	पंजाब में बच्चों तथा महिलाओं के लिये पुस्तकालय	४०२६
२७२३	हिमाचल प्रदेश के समाज शिक्षा केन्द्र . .	४०२६
२७२४	खाद्यान्नों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली पेशगी की रकमों पर प्रतिबन्ध .	४०२६–२७
२७२५	दिल्ली नगर के निगम क्षेत्राधिकार से ग्रामीण क्षेत्रों को अलग करना	४०२७
२७२६	इंडियन स्कूल आफ माइन्स एंड अप्लाइड जियोलोजी	४०२८
२७२७	मिट्टी हटाने वाली मशीनों का निर्माण .	४०२८
२७२८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली समितियां	४०२८–३०
२७२९	सैनिक मिशन	४०३०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२७३० पंजाब में आय-कर दाता	४०३०–३१
२७३१ भारत में अमेरिका के गैर-सरकारी विनियोजन	४०३१
२७३२ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सूची	४०३१–३२
२७३३ मिलिटरी डेरीफार्म, जबलपुर	४०३२
२७३४ बेरकपुर छावनी	४०३२
२७३५ जबलपुर में भूमि का अर्जन	४०३२–३३
२७३७ साहित्य अकादमी	४०३३
२७३८ दिल्ली में प्रतिलिपि अधिकरण (कॉपींग एजेंसी)	४०३३
२७३९ दियासलाई पर उत्पादन शुल्क	४०३४
२७४० इस्पात कारखानों के लिये इंजीनियरों की आवश्यकता	४०३४–३५
२७४१ भ्रष्टाचार निरोधक अभिकरण	४०३५
२७४१-क दुर्गापुर इस्पात कारखाना	४०३५–३६
२७४१-ख विश्व बैंक सम्मेलन	४०३६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०३९–४०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा दैनिक भत्ते अधिनियम, १९५३ में की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत संसद् के पदाधिकारी (यात्रा तथा दैनिक भत्ते) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति ।

(२) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उपधारा (२) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा सुविधायें तथा अन्य विशेषाधिकार) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७२ की एक प्रति ।

(३) मई, १९५८ में सोवियत रूस जाने वाले वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडल के नेता के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय

विषय　　पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ७७४।

(दो) दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की जी० एस० आर० संख्या ७९३।

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९५ की एक प्रति।

(६) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड की वर्ष १९५६–५७ के वार्षिक प्रतिवेदन की लेखा-परीक्षित लेखे सहित एक प्रति।

सदस्य की गिरफ्तारी　　४०४०

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचना दी कि उन्हें कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक २३ सितम्बर, १९५८ का सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गयी है कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, प्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ७ के अन्तर्गत श्री जगदीश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया है।

याचिका समिति के कार्यवाही-सारांश—सभा-पटल पर रखे गये　　४०४१

याचिका समिति की उन्नीसवी और बीसवी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये।

राज्य सभा से संदेश　　४०४१

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत हो गयी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .　　४०४१–४२

श्री भा० कृ० गायकवाड ने दिल्ली में मोतीबाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया। गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य . .	४०४२
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) ने रूरकेला में उपोत्पाद संयंत्र के बारे में २६ सितम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर सर्व श्री रामनाथन चेट्टियार और राधेश्याम राम कुमार मुरारका द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . .	४०४३—४५
वर्ष १९५८-५९ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । सारे कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये और मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
विधेयक—पारित	४०४५—७२
राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक—विचाराधीन	४०७२-७७
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घण्टे की चर्चा .	४०७७—८१
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १११ के १३ अगस्त, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।	
गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	

गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

विनियोग (संख्या ४) विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसे पारित करना तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर विचार तथा उसको पारित करना ।